खण्ड-346, अंक-9
शुक्रवार, 4 आश्विन, शक संवत् 1902
(26 सितम्बर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 346 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्य
उपस्थित सदस्य ..	..1147–115(
प्रश्नोत्तर ..	..1151–118'
बस्ती जनपद के तराई क्षेत्र में एक विचित्र बीमारी के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118!
जनपद गोन्डा के बलरामपुर तथा उतरौला तहसील के कतिपय ग्रामों में बाढ़ से धान की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	..1187–118!
बाराबंकी जनपद के सिध्दौर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में बाढ़ व वर्षा से क्षति एवं राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	..1188–1189
प्रदेश के पश्चिमी जिलों में धान की बिक्री समर्थन मूल्य कम मूल्य पर होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1189
श्री प्रवीन कुमार शर्मा विधायक को बुलन्दशहर के स्व0 अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी का प्रशासक नियुक्त किए जाने पर आपत्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1189–1190
नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	..1190–119
आयुक्त, आगरा मन्डल, श्री देशराज सिंह के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश का शासन द्वारा पालन न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1192
मुख्य मन्त्री के सदन में न आने पर आपत्ति	1193
सदन की बैठकों की अन्तिम तिथि की जानकारी की मांग ..	1193
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	..1194–1197
1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 68––सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 69––सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 102––सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 103–सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	..1198–1230
इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित)	..1231–1262
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, विधेयक, 1980 (पारित)	..1263–1282
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1282
नत्थियां ..	..1283–1285

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 332

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री, (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)

गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ीगढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छदी लाल, श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलकन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)

बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भागवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भोखालाल, श्री (उन्नाव)
भधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भर्पसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भाला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मन्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दाहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुन्शीलाल, श्री (मैनपुरी)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकन्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम, वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
रामकृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
रामधनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खारी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री, (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कटियाल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह टाना, कुंवर (गाजियाबाद)
बुद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिवनारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (रामपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 26 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

*1–श्री मित्रसेन—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ के चुनाव का स्थगन

*2–श्री कुबेर भंडारी, श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ का चुनाव किन कारणों से इस सत्र में रोक दिया गया है और कब तक उसे सम्पन्न करा दिया जायगा ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ की प्रबन्ध कमेटी के चुनाव माह मई, 1980 में होने वाले विधान सभा चुनाव के परिपेक्ष्य में रोके गये थे । अब यह चुनाव सम्पन्न कराने के शासनादेश प्रसारित कर दिये गये हैं और शीघ्र ही चुनाव करा दिये जायेंगे ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि शासनादेश कब जारी किया गया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

25 सितम्बर, 1980 को जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस निश्चित तिथि तक चुनाव सम्पन्न करा दिए जायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

26 अक्तूबर, 1980 तक चुनाव कराने का निवेदन किया गया है ।

कानपुर में चकबन्दी समिति की राय के बिना चक काटा जाना

*3–श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें ग्राम अमौली कुर्मियान परगना डेरापुर, जिला कानपुर की चकबन्दी समिति का कोई आवेदन–पत्र इस सम्बन्ध में दिनांक 11–7–80 को प्राप्त हुआ है कि बिना चकबन्दी समिति की राय के चक काटे गये जिससे अनेक अनियमितताएं हुईं ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

अध्यक्ष, चकबन्दी समिति ग्राम अमौली कुर्मियान का इस विषय पर एक पत्र दिनांक 14-7-80 को शासन को प्राप्त हुआ था। इस पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच संयुक्त संचालक चकबन्दी, कानपुर के माध्यम से कराई गई थी जांच से यह ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत गाँव के कार्यवाही रजिस्टर पर चकबन्दी समिति के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं जिससे यह स्पष्ट है कि चकबन्दी समिति की राय से चक काटे गये थे। अनियमितताओं की शिकायत सही नहीं पाई गई थी।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जो शिकायत चकबन्दी समिति के अध्यक्ष ने दी है उसमें यह भी शिकायत है कि उड़न चक काट गय और एक-एक आदमी को 4-4 चक काटे गये हैं ?

श्री भान प्रताप सिंह—

जो पत्र है उसमें यह शिकायत है कि 40 प्रतिशत कृषकों को 2 चक, 20 प्रतिशत कृषकों को 3 चक और लघु तथा सीमान्त कृषकों को 3 तथा 4 चक दिए गये हैं। जांच के जो परिणाम आये हे, उनमें यह है कि 4 चक किसी को नहीं दिए गये है। गांव में चकदारों की संख्या 247 है जिसमें से 158 को एक चक, 62 को 2 चक शेष 34 चकदारों को 3 चक प्रदिष्ट किए गये हैं। जिन चकदारों को 3 चक दिये गये हैं, उनमें से छोटे चकदार का रकबा 7 बीघे, 6 बिस्वे और 7 बिस्वान्सी है।

श्री मित्रसेन—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत कर्ता को कितने चक दिए गये हैं और क्या जांच के समय उसको भी तलब किया गया था ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

इस वक्त मेरे पास जो जानकारी पत्रावली में है उससे मैं आपको यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि उनको कितने चक दिये गये और उनको जांच के समय बुलवाया गया या नहीं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

अध्यक्ष, चकबन्दी समिति, के जो हस्ताक्षर हैं उसके बारे में अध्यक्ष, चकबन्दी समिति ने स्वयं कहा है और दरख्वास्त दी है कि वह उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, तो उसका मिलान क्या किसी एक्सपर्ट से कराया गया या इसकी फिर से जांच करवा देंगे ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

जैसा कि माननीय प्रश्नकर्ता ने बताया, मेरे मन में भी शंका पैदा हुई और इसीलिये मैंने विभाग को आदेश दिये हैं इसे देखने के लिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

शिकायत कर्ता की शिकायत को देखते हुए और यह देखते हुये कि जिसने रिपोर्ट की है उससे पूछा भी नहीं गया, क्या मन्त्री जी अपने हेडक्वार्टर से किसी अधिकारी को भेज कर इसकी जांच करवायेंगे और इसमें अध्यक्ष को भी तलब करने के आदेश देंगे ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है मैं यहां से किसी को भेज कर जांच करवा लूंगा ।

श्री दलगंजन सिंह--

चकबन्दी की शिकायतें यू0 पी0 भर में हर जगह हैं, तो क्या मन्त्री जी कोई ऐसी नीति बनायेंगे कि शिकायतों की जांच यहां के ही किसी उच्च अधिकारी से करायी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपका प्रश्न व्यापक है तथा इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री दलगंजन सिंह--

यहां से किसी अधिकारी से जांच करवाने की बात है । यह नीति का सवाल है ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय वर्मा जी ने जो सवाल किया था, मैंने उन्हें अभी बता दिया कि मैं किसी को यहां से भेज कर दिखवा लूंगा । जो शिकायतकर्त्ता हैं वे उनसे भी दरियाफ्त कर लेंगे ।

श्री कुबेर भण्डारी--

चकबन्दी के मामले में आम तौर से इस तरह की शिकायतें होती हैं और हाई कोर्ट जाने में बड़ा खर्चा होता है । तो क्या ऐसा नियम माननीय मन्त्री जी बनायेंगे कि इस तरह की शिकायत पैदा न हो सकें ? और जो शिकायतें हैं वे ठीक हो सकें ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है ।

किसान सहकारी चीनी मिल, अकबरपुर, फैजाबाद में गबन

*4--श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री लालसा, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्रीमती धनेश्वरी देवी--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे किसान सहकारी चीनी मिल, अकबरपुर, जिला फैजाबाद में 1978 मार्च में गबन की कोई रिपोर्ट थाने में हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार पाये गये ? और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'--

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इस मिल में 1978 के पूर्व या उसके बाद कोई गबन सम्बन्धी रिपोर्ट थाने में हुई है । अगर हुई है, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

अगर गबन न होता तो रिपोर्ट क्यों होती। जिस वर्ष का आपने जिक्र किया है यह मामला उस वर्ष के बाद का है। उसमें एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज हुई थी। और उस पर जांच चल रही है। यहां से शासन से क्वेरी की गयी थी एस0 पी0 से और उसमें उनका वहां से उत्तर भी आया है कि तेजी से इसमें जांच चल रही है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गबन जिसकी रिपोर्ट थाने में की गयी किस प्रकार का गबन है, कितने रुपये का है और इसकी घटना किस प्रकार से हुई है ? क्या चोरी हुई ह या रुपया निकाल लिया गया है या फर्जी चेक दिया गया है ? किस प्रकार का गबन है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह तो एक रिपोर्ट है, आपकी आज्ञा हो, तो इसको पढ़े दें। उससे तो यह साफ हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

पढ़ दें।

श्री भानु प्रताप सिंह--

यह थानाध्यक्ष के लिए सम्बोधित है।

"प्रार्थी डा0 भोला नाथ वर्मा, जो कि सचिव गन्ना विकास अधिकारी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 अकबरपुर (शहजादपुर) फैजाबाद के पद पर कार्य कर रहा है। मेरे अधीनस्थ कनिष्ठ लिपिक श्री सभाराज सिंह, जो स्थाई कोषाध्यक्ष (लेखाकार)श्री राधा कृष्ण शुक्ल के दिनांक 11-3-79 से अवकाश पर जाने के कारण खजांची लेखाकार के पद का कार्य अस्थाई रूप से देख रहे थे तिजोरी की चाबी पंजाब नेशनल बैंक को ग्यारह चेक कैश बुक तथा उससे सम्बन्धी अन्य कागजात श्री सभाराज सिंह के पास दिनांक 11-3-79 के शाम से चार्ज में दिये गये थे। दिनांक 12-3-79 से 17-3-79 तक के गन्ना मूल्य भुगतान वाउचर सब उन्हीं के पास हैं।

कल दिनांक 19-3-79 को प्रार्थी को मुख्यालय लखनऊ की मासिक बैठक में भाग लेने जाना था और उसी दिन कचेहरी अकबरपुर, बरियावन, रगड़गंज असगवां के क्रय केन्द्रों का गन्ना मूल्य भुगतान कार्यालय में ही होना था इसी कारण प्रार्थी ने एक चेक पंजाब नेशनल बैंक के श्री हृदय नारायण सिंह के रुपया बीस हजार (20,000) दूसरा चेक श्री लाल साहब सिंह के नाम रु0 20,000 (रुपया बीस हजार) तथा तीसरा चेक श्री सभा राज सिंह के नाम रु0 10,000 (रुपया दस हजार) के काट कर मीटिंग में भाग लेने हेतु सियालदह एक्सप्रेस से लखनऊ जाते समय श्री सभाराज सिंह को चेक बुक जिसमें उपरोक्त तीनों चेक भी हैं। देकर गया था। चूंकि जाते समय श्री हृदय नारायण सिंह उपलब्ध नहीं थे, अतः उनके हस्ताक्षर की जगह छोड़कर श्री हृदय नारायण के हस्ताक्षर प्रमाणित कर इस आदेश के साथ श्री सभाराज सिंह को दे दिया था कि जब श्री हृदय नारायण सिंह उपस्थित हों उनके हस्ताक्षर चेक पर करवा कर चेक उनको देकर उसकी प्राप्ति

श्री हृदय नारायण सिंह से चेक काउन्टर फाइल पर लेकर काश्तकारों का गन्ना मूल्य भुगतान करवाया जाय । प्रार्थी लखनऊ मुख्यालय में भाग लेकर जनता ट्रेन से अकबरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मेरे विभाग के कर्मचारी श्री परशा सिंह, ग० वि० नि० श्री इन्द्रमणि उपाध्याय गन्ना विकास निरीक्षक (वाणिज्य) अन्य कर्मचारियों सहित उपस्थित थे उन्होंने मुझे सूचना दी कि श्री सभाराज सिंह, श्री हृदय नारायण सिंह के फर्जी हस्ताक्षर करके धोखा देकर पंजाब नशनल बैंक से 20,000 रु० (बीस हजार) लेकर भाग गये हैं । मैं कर्मचारियों सहित कार्यालय आया तो पता चला कि शफ की चाभी कैश बुक तथा अन्य भुगतान बाउचर सहित श्री सभाराज सिंह के चार्ज में है, भी गायब है ।

अतः श्रीमन् जी से प्रार्थना है कि रिपोर्ट लिख कर तुरन्त उचित कार्यवाही करने की कृपा करें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 78 का यह केस है, इसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई । किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी अब तक हुई या नहीं हुई ? और जांचकर्त्ता अभी किस स्तर तक पहुंचे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, उनमें से कोई अरेस्ट हुये या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

(व्यवधान)

(ता० प्र० सं० 5 पुकारे जाने तथा वन मंत्री के स्थान पर पर्वतीय विकास राज्य मंत्री के उत्तर देने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैं कई दिन से बराबर व्यवहार में देख रहा हूं कि मंत्रीगण अपने प्रश्न और अपने वक्तव्य सदन में किसी दूसरे माननीय मंत्री जी से दिलवा देते हैं और इसकी कोई पूर्व सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को नहीं दी जाती है । तो यह परम्परा के अनुसार गलत है । कायदे से इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अलग से दे दी जानी चाहिये ।

(शोर)

प्रदेश में भेड़ें चरानें की समस्या

*5--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि हिमांचल प्रदेश की भेड़ें उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी तथा देहरादून आदि जनपद के जंगलों में चरने आती हैं और उत्तरकाशी जनपद की भेड़ें हिमांचल प्रदेश के वनों में चरने जाती हैं ? क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि भेड़ों के चराव-चुगाने का उत्तर प्रदेश और हिमांचल प्रदेश को सरकारों के बीच कोई समझौता है ? यदि हां, तो वह समझौता क्या है ?

माननीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)--

जी हां । हिमांचल प्रदेश की भेड़ें उत्तर प्रदेश के वनों में चरान-चुगान के लिए विगत कई वर्षों से सर्दियों में आती रही हैं और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के जिला उत्तरकाशी की भेड़ें भी हिमांचल प्रदेश के वनों में विगत कई वर्षों से चरान-चुगान करने जाती रही हैं । उत्तरकाशी जिले की भेड़ बकरियों के हिमांचल प्रदेश में जाकर चरान-चुगान करने की प्रक्रिया टिहरी स्टेट के भूतपूर्व महाराजा के शासन काल से चली आ रही है । पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के किसी भी भेड़ पालक को हिमांचल प्रदेश में भेड़ बकरी चराने की अनुमति नहीं मिली है इसी प्रकार हिमांचल प्रदेश की भेड़ बकरियों को भी उत्तर प्रदेश में चरने की अनुमति नहीं दी गई और अब वे अपने-अपने प्रदेश में ही चुगान कर रही हैं ।

इस समस्या के समाधान हेतु दिनांक 4-12-1976 को देहरादून में तथा दिनांक 21-9-1979 को शिमला में दोनों राज्यों की मंत्री स्तर पर 2 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें लिए गये निर्णयों पर अभी अन्तिम रूप से समझौता नहीं हुआ है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के किसी भेड़-बकरी पालन को हिमांचल प्रदेश में भेड़-बकरियां चराने की अनुमति नहीं मिली थी और इसी तरह से हिमांचल प्रदेश की भेड़-बकरियां उत्तर प्रदेश में चराने की अनुमति नहीं मिली है । तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह अनुमति कब बन्द हुई, उसका तारीख और सन् क्या है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, सन् 1977 में जब पहली मीटिंग हुई थी, तब से बन्द हुआ है । लगभग 3 वर्ष हो गये हैं और इससे पहले से कब से बन्द है, इसकी निश्चित सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि 2, 4-12-76 और 21 सितम्बर, 1979 को मंत्री स्तर की बठकें हुई थीं, उन बैठकों में क्या विचार किये गये और अभी तक उस पर कोई निर्णय क्यों नहीं हुआ ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, 4-12-76 को जो मीटिंग हुई देहरादून में, उसमें जो निर्णय लिए गये, वह इस प्रकार हैं--

1--लिवाड़ी, उत्तर प्रदेश की 6,000 भेड़ बकरियों की माणी-वन, हिमांचल प्रदेश में एक एकड़ प्रति पशु की दर से चारागाह उपलब्ध कराया जायेगा । इन चारागाह क्षेत्रों का चयन लिवाड़ी के चरवाहे निम्नलिखित थाचों में से, स्वयं करेंगे ।

गोगलार, कूकर कण्डो, नरगानी, बंवर, हरकू तथा बजोड़ी

2—पंचगाई पट्टी, उत्तर प्रदेश की 8,800 भेड़ बकरियों को हिमांचल प्रदेश के रानी पोंडा चारागाह क्षेत्र में चरान सुविधा न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोनों प्रदेश के वनाधिकारियों द्वारा संयुक्त मौका मुआयना किया जायेगा । जिसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त भड़ बकरियां परम्परागत रूप से हिमांचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में चरने जाया करती थी और अब उन्हें किन क्षेत्रों म यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती ह ।

तीसरा 14,700 भेड़ बकरियों कों हिमांचल प्रदेश के किस क्षेत्र में चरान सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती हैं यह पता लगाने के लिये दोनों प्रदेशों के बनाधिकारी हिमांचल के चरागाह क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण एक माह के अन्दर करेंगे । चौथा हिमाँचल प्रदेश की 8,000 भेड़ बकरियों को देहरादून के साल जंगलों से हटाकर बिजनौर प्रभाग में चराई सुविधा प्रदान करन का जो निर्णय पहले लिया जा चुका था उस सम्बन्ध में हिमांचल प्रदेश के बनाधिकारी ने उत्तर प्रदेश की बकरियों के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किया । अतः हिमांचल प्रदेश को जो भेड़ बकरियां आ रही थी उसे रोक दिया गया । मान्यवर, मैं समझता हूं कि शासन में परिवर्तन हुआ जो उस समय मंत्री थे वह परिवर्तित हो गये इस कारण इसमें विलम्ब हुआ ।

श्री त्राद्र चन्द्र ओझा---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भेड़ बकरियों का पालन बुगियाल में होता है जो 10–15 हजार फिट ऊंचाई पर होती ह, तो जो और देश है जहां पर बर्फ गिरती है, रूस है और अन्य यूरोप के देश हैं जिस प्रकार से वह व्यवस्था करते हैं उनके चारे के लिये क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी कोई विचार इस प्रकार का कर रही ह कि जाड़ों में भी बुगियाल सुरक्षित रहे और भेड़ बकरियों को वहां रखा जा सके ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यह प्रथा महाराजा टेहरी के जमाने से चली आ रही है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है इसको दिखलवाया जा सकता है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी क्या अब भी कोई इस सम्बन्ध में वार्ता की जा रही है ? यदि वार्ता की जा रही है, तो कितनों दिनों में इसका निराकरण हो जायगा कि उत्तर काशी की भड़ बकरियां हिमांचल प्रदेश में और वहां की वहां चुग सकें ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

इस सम्बन्ध में जल्दी ही प्रयत्न किया जायेगा । इसमें मुख्य दिक्कत यह आ रही है कि वह हमारे यहां चराई करना चाहते हैं हमने इजाजत दे दी किन्तु हमने भेजा और उन्होंने इजाजत नहीं दी । यह रुकावट है हमें उम्मीद है जल्दी ही हम इसको दूर कर सकेंगे ।

श्री गुलाब सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण ऐसे थे कि हिमांचल प्रदेश की भेड़ बकरियां उत्तर प्रदेश में आती थीं और उत्तर काशी की भेड़ बकरियां हिमांचल प्रदेश जाती थीं तो क्या कारण था जो यह आना-जाना बन्द हो गया और दूसरी बात मैं यह जानना चाह रहा हूं कि देहरादून में हिमांचल की बकरियां आती थीं क्या वहां के लोगों को भेड़ बकरियां हिमांचल प्रदेश में ले जाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जो आना जाना बन्द हुआ भेड़ बकरियों का, उसका कारण क्या था ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मूल प्रश्न में यह उठाया नहीं गया था इसलिए बन्द है, इतना मालूम है और उसे चालू करने का प्रयास किया जा रहा है ?

*6--श्री अम्बा प्रसाद वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा--

[6ठें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*7--श्री हरगोविन्द वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाढ़ ग्रस्त लोगों को क्या सुविधाएं देने जा रही हैं और किसान को क्या छूट और सहयोग दे रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

वांछित सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर के ग्राम सिकटौर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

*8--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के सदर तहसील व खोराबार ब्लाक के ग्राम सिकटौर के प्रधान के ऊपर ग्राम समाज की सम्पत्ति के हेर-फेर के सम्बन्ध में वहां के नागरिकों द्वारा जुलाई, 1980 के द्वितीय सप्ताह में जिलाधीश, गोरखपुर को दिया पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, प्रार्थना-पत्र की प्रारम्भिक जांच तहसीलदार द्वारा की गई, जिसमें प्रधान को दोषी पाया गया । प्रधान के विरुद्ध परगनाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है और उन्हें दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है ।

श्रीमती गौरी देवी--

गांवों में ग्राम प्रधानों व अधिकारियों की सांठ-गांठ से ग्राम समाज की जमीन व सम्पत्ति की हेराफेरी करने के कारण फौजदारी, दीवानी के अनेक मुकदमें चलने लगते हैं। हत्या मारपीट तक हो जाती ह तथा गांवों में अनेक गुट बन जाते हैं । इसे रोकने के लिए सरकार कौन सा कारगर कदम उठा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय सदस्यों ने एक बहुत लम्बा प्रश्न, अति महत्व का प्रश्न उठा दिया है । मान्यवर, जो हत्याओं और लड़ाई झगड़ों से सम्बन्धित है। ला-ऐण्ड आर्डर बनाये रखने के लिए और जहां से इस तरह की शिकायतें आती हैं, तत्परता से कार्यवाही करने के लिए सरकार सचेत रहती है, हम जांच कराते हैं और ऐक्शन भी लेते हैं ताकि वहां कोई दुर्घटना न हो ।

श्री रियासत हुसैन--

जो आरोप सिद्ध हो गये, जिसके आधार पर प्रधान के खिलाफ चार्ज-शीट दे दी गई, उसके गलत कार्यों को सही करने क लिए, जैसे उन्होंने गलत पट्टे किये होंगे, गलत भूमि का आवंटन, गबन आदि किया होगा, तो इनको दुरुस्त करने के लिए भी तहसीलदार या हाकिम परगना द्वारा कोई कदम उठाया गया या नहीं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

चार्ज-शीट दे दी गई और जैसा अभी ध्यान आकर्षित किया है, उसकी जांच करा लेंगे कि उस पर आदेश हुए हैं या नहीं, उनको दुरुस्त किया है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो ध्यान आकर्षित नहीं किया, श्री रियासत हुसैन ने किया होगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस गांव समाज की जमीन के हेर-फेर की बात है क्या उसमें यह भी है कि गांव समाज मैनुअल के अन्तर्गत 8 प्रतिशत से कम जमीन का बटवारा नहीं किया जाता है । क्या यह बात सम्मिलित ह और बड़े-बड़े लोगों को बांट दी गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता । यह गांव के भाग विशेष से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

खीराबाद ब्लाक के ग्राम सिकटौर की जमीन का मामला है । क्या वहां की जमीन 8 प्रतिशत से अधिक रही ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसकी जानकारी तो मुझे इस समय नहीं है ।

सूचना की आवश्यकता है ।

पंजाब शुगर मिल, घुंघली, (गोरखपुर) की बैलेन्स शीट

*9—श्री जनर्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रिसीवरशिप में चलने वाली पंजाब शुगर मिल, घुंघली (गोरखपुर) में कई वर्षों से बैलेन्सशीट नहीं बनी है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह--

पंजाब शुगर मिल्स, घुंघली, जो रिसीवरशिप में मई 1977 से कार्य कर रही है, की वर्ष 1976-77 व 1977-78 की बैलेन्सशीट बन गई है व 1978-79 की बैलेन्सशीट तैयार की जा रही है, लेकिन कतिपय तकनीकी कारणों-से इन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । चूंकि बैलेन्स शीट तकनीकी कारण-वश अन्तिम नहीं हो सकी है, अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पी० सी० एफ० की मोटरें

*10--श्री छत्तर सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पी० सी० एफ० द्वारा बेची जाने वाली मोटरें मंहगी तथा अच्छी नहीं होतीं और यह बाजार भाव से काफी अधिक मूल्य पर दी जाती हैं ? यदि हां, तो भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को मोटर आदि खरीदने हेतु जो ऋण दिया जाता है उसके लिए कृषकों को मोटर पी० सी० एफ० द्वारा खरीदने हेतु क्यों बाध्य किया जाता है ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

उपलब्ध सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि पी० सी० एफ० द्वारा बेची जाने वाली मोटरें मंहगी हैं वे अच्छी नहीं होती हैं और वह बाजार भाव से काफी अधिक मूल्य पर दी जाती हैं ।

(प्रश्न का उत्तर श्रम मंत्री द्वारा दिये जाने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, यह क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सहकारिता मंत्री जी ने सूचित कर दिया है कि इसका उत्तर श्रम मंत्री देंगे ।

श्री छत्तर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की क्या कृपा करेंगे कि मोटर कम्पनी अपने ट्रैक्टरों पर 25 प्रतिशत कमीशन देती है । पी० सी० एफ० अपने डीलरों को 10 प्रतिशत कमीशन देता है । इस प्रकार पी० सी० एफ० 15 प्रतिशत बीच में रोक लेता है । डीलर को 10 प्रतिशत मिलता है ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जितने लीडिंग कन्सर्न् स हैं... ।

(कई सदस्यों के आपस में बात करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें, मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जितने लीडिंग कंसर्न्स हैं वह साढ़े बारह प्रतिशत डिसकाउन्ट देते हैं ।

श्री छत्तर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पी० सी० एफ० अपने द्वारा दी हुई मशीनों पर 8 प्रतिशत चार्ज अलग से लेती हैं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

ऐसी बात नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंक से ऋण लेने पर पी० सी० एफ० से ही मशीनें खरीदी जायेंगी, यह प्रतिबन्ध हैं । इसको समाप्त करके किसानों को सुविधा प्रदान करेंगे कि जहां से चाहें, मशीनें खरीद सकते हैं ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, कर्ज लेना बैंक द्वारा एक बात है । बैंक को भी रिजर्व बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ने बताया कि कैसे कर्ज दिया जाय । कहां दिया जाय । बहरहाल, जैसे ऋण लेने वाले के ऋण देने वाले से सम्बन्ध होते हैं उसी तरह के सम्बन्ध हमारी बैंक के साथ रिजर्व बैंक के साथ सम्बन्ध हैं । क्योंकि भूमि विकास बैंक उससे ऋण लेकर किसानों को देता है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर हो गया ।

(व्यवधान)

आप लोग बैठिये । प्रश्न का पूरा उत्तर आ चुका है।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये प्रतिबन्ध क्यों लगाये हैं ? उसको छूट क्यों नहीं देते कि वह जहां से चाहे, खरीद सके ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस प्रश्न का उत्तर आ गया है । दूसरे प्रश्नों के उत्तर आने दें । इस तरह से बाकी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर आ नहीं पाता ।

वन विभाग में पंचफैसले (आरबीट्रेशन) की व्यवस्था

*11—श्री गुलाब सिंह—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग की संविदाओं (एग्रीमेन्ट) में संविदा के अन्तर्गत पैदा होने वाले झगड़ों के निपटारे के लिए पंच निर्णय (आरबीट्रेटर) को सुपुर्द करने की कोई व्यवस्था है । यदि हां, तो चकराता वन प्रभाग में इसके अनुसार क्यों कार्य नहीं हो रहा है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

वन विभाग के ठेकों के अनुबन्ध पत्रों (एग्रीमेन्ट डीड) में वर्ष 75–76 तक संविदा के अन्तर्गत उठने वाले विवादों को पंच फैसले से निपटाने की व्यवस्था थी । परन्तु वर्ष 75–76 के बाद से यह व्यवस्था सड़क निर्माण, भवन निर्माण आदि कार्यों के ठेकों को छोड़ कर समस्त वन उपज के ठकों से सम्बन्धित संविदाओं म समाप्त कर दी गयी है । चकराता वन प्रभाग में आरबीट्रेशन हेतु 75–76 तक किसी ठेकेदार द्वारा प्रार्थना–पत्र नहीं दिया गया । अतः किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठा ।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वन मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 75–76 के बाद पंचफैसले की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी । मैं कहना चाहता हूं कि जब यह व्यवस्था सड़क निर्माण, भवन निर्माण आदि में है, तो क्या कारण है कि इसमें पंच फैसले को समाप्त कर दिया गया ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, इसमें 23 अक्तूबर, 1975 में एक शासनादेश जारी हुआ । उसमें नम्बर 1 में जो रिलीवेंट पोरशन सम्बन्धित है, उसमें यह है कि जिन प्रपत्रों में आर्बीट्रेशन खण्ड हों साथ ही मालगुजारी की तरह से वसुली का प्राविधान हो, तो उनमें आर्बीटेशन खण्ड को निकाल दिया जाय क्योंकि वन विभाग की वसूली जो रह जाती है, वह बाद में मालगुजारी की तरह से वसूल ली जायेगी । इसलिये उसको निकाल दिया जाय, यह बात थी ।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय वन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि इसमें वसूली की बात कह रहे हैं तो वसूली तो सड़क के निर्माण और भवन निर्माण में भी हो सकती है । तो जब यह फैसला पंचनिर्णय का उनमें रखा है, तो इसको इसमें क्यों निकाल दिया ? 75–76 के बाद केवल भवन निर्माण और उसमें रखा है । औरों में किन कारणों से निकाल दिया गया ? यह बताने की कृपा करें, मान्यवर, पंचफैसले में विभागीय आदमी रहता है । उस सुविधा को जो उपलब्ध है, उसको क्यों खत्म किया जाय ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया कि तत्कालीन न्याय सचिव ने इस तरह का पत्र विभागाध्यक्षों को भजा था । उसमें मुख्य अरण्यपाल को भी वह पत्र भेजा गया । उसमें नम्बर 1 में स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन प्रपत्रों में आर्बीट्रशन खण्ड हों साथ ही मालगुजारी की तरह वसूली का प्राविधान हो तो उसको निकाल दिया जाय क्योंकि वह मालगुजारी की तरह वसूल किया जाता ह । इसलिये उसको निकाल दिया गया ।

श्री गुलाब सिंह--

मैंने तो स्पष्ट रूप से पूछा है । मान्यवर, माननीय, मंत्री जी बतानें की कृपा करेंगे कि अनुबन्ध पत्र के अनुसार जो झगड़े 71, 72, 73, 74 में पैदा हुये उनको निपटानें के लिये पंचफैसले की व्यवस्था थी, तो 71 से 74 तक के जो मामले हैं उनका फैसला करने के लिये उसमें आर्बीट्रेशन की बात रखेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, 71-72 में एक ऐसा मामला आया था और तब तक आर्बीट्रेशन की व्यवस्था थी । एक ठेकेदार श्री सुरेश चन्द्र जैन का मामला था । यह मामला सिविल जज, देहरादून के पास था । न्यायाधीश ने निर्णय देते हुये पंचफैसले के द्वारा इसे हल करने की राय दियी । डी0 डी0 सी0 ने राय दी कि अपील होनी चाहिये और इस राय की पुष्टि हमारे एल0 आर0 ने की । उसके आधार पर उसकी अपील पेंडिंग है ।

*12--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[21वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

थाना रेहरा बाजार, जिला गोंडा में पकड़ी गई लकड़ी

*13--डाक्टर मोहम्मद उमर (अनुपस्थित)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना रेहरा बाजार, जनपद गोण्डा द्वारा बरामद की गयी लकड़ी जिसका मूल्य लगभग 12,000 रुपया है जिसके बारे में अपराध संख्या 102/80 धारा 384/323/342/506, आई0 पी0 सी0, थाना रेहरा बाजार, जनपद गोण्डा में दर्ज हुआ था, पर अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

अपराध संख्या 102/80 धारा 384/323/342/506 आई0 पी0 सी0 जो थाना रेहरा बाजार, जनपद गोण्डा में दर्ज हुआ है वह बरामद की गयी लकड़ी के सम्बन्ध में नहीं है । सही स्थिति यह है कि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कुछ लोगों को अवैध मछली का शिकार करते हुए पकड़ा गया था और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी । इस पर प्रतिशोध की भावना से उन लोगों द्वारा उक्त मुकदमों में वन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किया गया है । मुकदमें की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है ।

(प्रश्न संख्या 13 पुकारे जाने पर)

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि उनकी लड़की की मृत्यु हो गयी है इसलिये वह नहीं आ रहे हैं । इस प्रश्न में मेरी दिलचस्पी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक के खर्चे पर कथित तीर्थयात्रा

*14—श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1980 में इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, 11 संचालकों, सचिव तथा 5-6 अन्य कर्मचारियों सहित बैंक के खर्चों से ही तीर्थ यात्रा करने गये थे ? यदि हां, तो किस निधि से और कैसे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

उपलब्ध सूचना के अनुसार यात्रा बैंक के खर्चे से नहीं की गई ।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी—

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह प्रयाग के निवासी हैं । मेरा विश्वास है कि प्रयाग निवासी जब कभी भी तीर्थ यात्रा करते हैं तो बैंक के खर्च पर नहीं करते ।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी—

मान्यवर, मेरी निश्चित सूचना है कि बैंक के खर्चे पर यह यात्रा की गई है और जब सवाल पूछा गया तो हर डाइरेक्टर से पैसा लेकर जमा कराया गया है ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

मान्यवर, पूरा रुपया जमा हो गया है । 5 सितम्बर, 1980 और 8 सितम्बर, 1980 को पूरा ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बैंकों के अध्यक्ष ह जो विदेश यात्रा कर रहे हैं और पूंजीपति देशों को जा रहे हैं, क्या ऐसी सूचना है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका यह प्रश्न कई बैंकों से ताल्लुक रखता है, इसलिये इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता है ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि रुपया जमा हो गया है । तो इसके माने यह हुये कि पहले बैंक से पैसा लिया गया और सफर किया गया और जब यह प्रश्न किया गया तब वह पैसा जमा किया गया है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, एडवांस और लोन लेने का सबको अधिकार है ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो गया कि वह बैंक के पैसे से गये और जब तिवारी जी ने सवाल किया तो उसके बाद की तारीख को जमा कराया गया । मैं जानना चाहता हूं कि यह सवाल विधान सभा सचिवालय में होने के बाद जमा कराया गया है तो उसको भ्रष्टाचार मानकर माननीय मन्त्री जी सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र--

ऐसी स्थिति में नियमानुसार जो कार्यवाही होती है, वह होगी ।

श्री मन्जूर अहमद--

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं इकरार किया, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो रुपया जमा हुआ है वह किन तारीखों में जमा हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

तारीख बता दिया है ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, सवाल पूछने के बाद में रुपया जमा हुआ है, तो उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, यह निश्चित बतायें । चूंकि गबन का आरोप सिद्ध हो गया है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, माननीय सदस्यों की विभिन्न परिभाषाओं से सहमत होना मुश्किल है । उनकी सूचना के लिये 26 मई, 1980 को बैंक ने एक संकल्प द्वारा निर्णय लिया था और उस निर्णय के बाद पैसा लिया गया । संकल्प यह था कि बैंक के अधिकारियों को ज्ञानवर्द्धन के लिये हिमालय की तलहटी के कुछ उन्नतशील सहकारी संस्थाओं का कार्य देखना चाहिये ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग इस तरह से एक साथ बोलते हैं जिससे तमाम माननीय सदस्यों का हक मारा जाता है । आप एक-एक करके प्रश्न करें तो ठीक रहेगा । आप लोग विराजें ।

माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर को पढ़ें ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया है कि बैंक ने एक संकल्प स्वीकार किया था कि उन लोगों को कुछ सहकारी संस्थाओं को देखना चाहिये अपने ज्ञानवर्द्धन के लिये । लेकिन बाद में उन लोगों न यह सोचा कि ऐसे परमार्थ कार्य अपने पैसे पर ही करना चाहिय । इसलिये संकल्प के आधार पर जो पैसा उन्होंने लिया था उसको वापस कर दिया गया । अतः वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना यह है कि विरोधी दल के भी बैंक में सदस्य हैं, उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, सहकारी निबन्धक, इलाहाबाद ने विरोध किया कि सहकारिता का अध्ययन ऋषिकेष और बद्रीनाथ में नहीं होगा, जहां ये टीम लेकर गये थे ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, पहाड़ के ऊपर अनेक सहकारी संस्थायें हैं जो सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं । कृषि, वन, उत्पादन, पशुधन के सम्वर्द्धन कार्यों में वे आदर्श मानी जाती हैं ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे) (शोर) ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि पर्वतीय अंचलों में कौन-कौन से....(व्यवधान) ।

एक सदस्य--

मन्त्री जी की रक्षा करें....(शोर) ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अब तो पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिये....।

श्री उपाध्यक्ष--

विराजिये आप बैठ जाइये, मैं खड़ा हूं । विराजिये । आप सभी लोग आसन ग्रहण कीजिए ।

देखये, अगर सदन सहयोग नहीं करेगा तो जितने माननीय सदस्यों ने तारांकित प्रश्न दिये हैं उनके प्रश्न सदन में उपस्थित नहीं हो पायेंगे और अगर एक साथ इतने लोग प्रश्न करने लगेंग तो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ सकेगा । इसलिए आवश्यक है कि सदन से सहयोग करना चाहिए । अगर एक-एक आदमी प्रश्न करेगा तब तो बात चलेगी, एक प्रश्न पर दो या तीन अनुपूरक प्रश्न पूछ लेंगे, जितने लोगों के प्रश्न आये हैं उन सब के प्रश्न सामने आ सकेंगे अन्यथा एक प्रश्न ही पर आधा घन्टा, एक घन्टा या पूरा घन्टा निकल जायेगा और जिन लोगों के प्रश्न आगे होने को हैं उनके पास तो केवल लिखित उत्तर गया है वे प्रश्न पूछ नहीं सकेंगे और उन सदस्यों की वाणी कुण्ठित हो जायगी । अपने क्षेत्र का प्रश्न उपस्थित नहीं कर सकेंगे, अपनी बात सरकार से नहीं कह सकेंगे । इसलिए इस प्रक्रिया में आप मुझे सहयोग दें और एक साथ एक प्रश्न पर इतन लोग उठ कर प्रश्न पूछने का प्रयास अगर न करें तो इससे मेरे काम में आप का योगदान होगा और उससे आप के काम में भी बड़ी सुविधा हो जायगी ।

अब चूंकि इस पर इतने ज्यादा लोग खड़े हो गये थे, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए और मैं आगे का प्रश्न लेता हूं । प्रश्न संख्या 15..(शोर) ।

श्री राज कुमार राय--

आप की व्यवस्था चाहूंगा (शोर) ।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो संकल्प.... (व्यवधान) ।

श्री विजय सिंह राना--

मेरा विशेषाधिकार का सवाल है । मन्त्री महोदय ने तीन दफे तीन बातें कही..(व्यवधान) ।

श्री राज कुमार राय--

मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राय जी बिना इजाजत के बोल रहे हैं, बैठ जाइये, प्रश्नकाल में व्यवस्था नहीं होती....

ग्राम भौली, जिला उन्नाव में चकबन्दी

*15--श्री भीखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भौली, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में चकबन्दी क्रिया कब प्रारम्भ हुई थी और अब कार्य किस स्टेज पर है और पूरा कार्य कब तक समाप्त होने की सम्भावना है और इसको जल्द पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

ग्राम भौली, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में चकबन्दी क्रियायें दिनांक 1-1-1971 को प्रारम्भ की गयी थी और 1975 में इस गांव की प्रस्तावित चकबन्दी योजना प्रकाशित हुयी थी । वर्ष 1979 में जिला उप संचालक चकबन्दी ने चक आपत्ति तथा अपीलों में पारित आदेशों को निरस्त कर मामले को पुनः चकबन्दी अधिकारी स्तर पर प्रत्यावर्तित कर दिया है । पूरा कार्य मार्च, 1982 तक समाप्त होने की सम्भावना है । इस गांव का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ही पूरा कराने हेतु जिलाधिकारी (जिला उप संचालक चकबन्दी), उन्नाव को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री भीखा लाल--

वर्ष 1975 में इस गांव की प्रस्तावित चकबन्दी योजना प्रकाशित हो गई है और 1979 में उसे निरस्त कर दिया गया तो इन चार वर्षों में क्या होता रहा और जब 1979 के बाद चकबन्दी अधिकारी द्वारा काम करने को कहा गया है तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

पहले चार वर्षों में क्या होता रहा उसी की वजह से माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया ? जो कुछ भी कारण रहे हों उनकी वजह से इस योजना को उसी स्तर पर पुनः वापस कर दिया गया था । लेकिन अब इसमें वहाँ का कार्य जो ह वह प्रगति पर है ।

श्री भीखालाल--

1979 में जो इस योजना को निरस्त किया गया उसका मुख्य कारण क्या था ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

कुछ गम्भीर कारण जरूर रहे होंगे जिनकी मुझे जानकारी नहीं है । निश्चित जानकारी के लिए सूचना की आवश्यकता है ।

ट्रैक्टर की खरीद पर स्टाम्प-ड्यूटी

*16--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि ट्रैक्टर खरीद के लिए कर्ज लेने के लिए किसानों को 42·50 प्रति हजार का नान-जुडीशियल स्टाम्प लगाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों पर पड़ने वाले इस बोझ को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जी हां । राजस्व की हानि को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने का औचित्य नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

काश्तकार के अलावा आम आदमी को 5 रुपये प्रति हजार स्टाम्प लगाना पड़ता है जब कि काश्तकार को 42 रुपये देना पड़ता है तो अपने आप में बहुत बड़ा बोझ है । तो क्या सरकार कोई ऐसा प्लान बनाने को तैयार है कि जो सहूलियत आम आदमी को मिलती है 5 रुपया स्टाम्प लगाने की वही काश्तकार को भी मिल जाय क्योंकि 5 रुपय तथा 42 रुपये में बहुत फर्क है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हमारी सरकार की नीति है छोटे किसानों को प्राथमिकता देना । 10 हजार तथा 20 हजार के जो दस्तावेज हैं उनको स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त कर रखा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

ट्रैक्टर की कीमत छोटे काश्तकार को भी वही देनी पड़ती है जो बड़े काश्तकार को देनी होती है । तो क्या सरकार कोई ऐसा तरीका अख्तियार करेगी कि ट्रैक्टर की कीमत को दो तीन हिस्सों में बांट दिया जाय ताकि काश्तकार को 5 रुपये ही स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़े ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो व्यक्ति 50 हजार रुपये का ट्रैक्टर खरीद सकता है उसको सरकारी संसाधनों में भी योगदान देना चाहिये ।

श्री छत्तर सिंह—

एक ट्रक या बस की बाडी तैयार करने पर 10 रुपये का स्टाम्प लगाया जाता है जब कि किसानों से 42 रुपये प्रति हजार स्टाम्प लिया जाता है तो इतना फर्क क्यों है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका इससे सम्बन्ध है क्या ?

श्री छत्तर सिंह—

किसानों से यह सम्बन्धित है। एक ट्रैक्टर के लिए जब कि 42 हजार रुपया लेना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय, विभिन्न दस्तावेजों की क्या स्टाम्प ड्यूटी है यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि काश्तकार ट्रैक्टर को पूरी कीमत पर नहीं लेता है। यदि कोई ऐसा काश्तकार हो जो 50–60 हजार रुपये का ट्रैक्टर खुद खरीद सके तो उसके लिए साढ़े बयालिस हजार मुश्किल नहीं होता लेकिन जो लोन पर लेता है और ट्रैक्टर खरीदता है, उसकी माली हालत इतनी नहीं है कि वह उसको खरीद सके तो क्या ऐसे लोगों को सहूलियत देने का आप प्रबन्ध करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सामान्यतया जो आदमी 50 हजार का ट्रैक्टर लेता है उसकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं मानी जा सकती।

*17–श्री ऊदल—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कार्यालय, मुख्य अरण्यपाल, लखनऊ के राजपत्रित अधिकारियों को दिया गया कार–स्कूटर एडवान्स

*18–श्री केदार नाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालय के कितने राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 में क्रमशः कितनी–कितनी धनराशि, कार, स्कूटर एडवान्स के रूप में स्वीकृत की गयी ? उक्त अधिकारियों में से कितनों ने उक्त अवधि के अन्तर्गत, कार, स्कूटर क्रय कर नियमानुसार उनकी रसीदें तथा क्रय करने की सूचना सरकार को दी तथा क्रय की गयी कार, स्कूटर को नियमानुसार सरकार को मार्गेज किया जिन अधिकारियों ने उक्त मद के अन्तर्गत ली गयी धनराशि से दिनांक 5 अगस्त, 1980 तक कार, स्कूटर नहीं क्रय किये और न ही उक्त धनराशि सरकार को वापस की, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

[श्री विद्या भूषण---]

अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालय के एक राजपत्रित अधिकारी को वर्ष 1975-76 में तथा दो राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 1976-77 में क्रमशः 11,523 रु0 तथा 9,200 रु0 की धनराशियां कार/स्कूटर एडवान्स के रूप में स्वीकृत की गयी थीं इसमें से दो अधिकारियों ने निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार, स्कूटर क्रय करके नियमानुसार उसकी रसीदें तथा क्रय करने की सूचना अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (नियोजन) को दी तथा क्रय की गई कार, स्कूटर को नियमानुसार मार्गेज किया। वर्ष 1977-78 में किसी भी अधिकारी को कार, स्कूटर एडवान्स स्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष 1976-77 में जिन दो अधिकारियों को स्कूटर-क्रय हेतु एडवान्स स्वीकृत किया गया था, उनमें से एक अधिकारी ने 5 अगस्त, 1980 तक स्कूटर क्रय नहीं किया था। उनको अग्रिम दी गई रु0 4,500 की धनराशि में से 3,375 रु0 की धनराशि, माहवारी किस्तों में, वापस प्राप्त हो गई है। चूंकि कार, स्कूटर एडवान्स स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधानित है, अतः शासन की जानकारी में यह बात अब आयी है, और सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (नियोजन) को निदेशित किया जा रहा है।

पी0 सी0 एफ0, रामपुर द्वारा दी गई खाद

*19-श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि पी0 सी0 एफ0, जिला रामपुर द्वारा जो खाद कृषक सेवा समितियों एवं सहकारी संघों तथा साधन सहकारी समितियों को खाद सप्लाई की जा रही है उस खाद के बोरे अनस्टैन्डर्ड भार, हाथ के सिले बिना प्लास्टिक झिल्ली, कटे-फटे, भीगे जबरदस्ती दिए जा रहे ह ? यदि हां, तो क्यों ? और इसके सुधार के लिए सरकार क्या-क्या कर रही है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)--

प्राप्त सूचना के अनुसार रामपुर जनपद में पी0 सी0 एफ0 द्वारा खरीफ 1980 में 4540 मैट्रिक टन खाद सहकारी संस्थाओं को दिया गया जिसमें से 380 मै0 टन स्टाक असमान भार के बोरों में था। इस स्टाक की डिलीवरी इन संस्थाओं को धर्म कांटे पर तौलवाकर उनकी स्वेच्छा से दी गई। बिक्री केन्द्रों को यह निर्देश है कि ऐसे स्टाक की बिक्री कृषकों को वास्तविक तौल के आधार पर की जाय।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

वाल्टरगंज चीनी मिल, जिला बस्ती का अधिग्रहण

**1-कु0 अलमेलू अम्माल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती की वालटरगंज चीनी मिल का सरकार अधिग्रहण करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो क्यों ?

*20--श्री रूप राम--

[9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं। जनपद बस्ती की वाल्टरगंज चीनी मिल में विलोनीकरण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो अभी शासन के विचाराधीन है। उक्त मिल को अधिग्रहण करने का प्रश्न नहीं उठता।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गन्ने के बढ़ते रकबे और उत्पादन को देखते हुये जो बस्ती चीनी मिल की पेरने की क्षमता है उससे काम चलने वाला नहीं है, क्या इस वालटरगंज की स्थापित चीनी मिल को कायम रखने देंगे ताकि किसानों का गन्ना पूरा-पूरा लिया जा सके ?

श्री भानु प्रताप सिह—

मान्यवर, मैंने उत्तर में कहा है कि इसको अपने कब्जे में लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है।....(व्यवधान)

कुमारी अलमेलु अम्माल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वालटरगंज कस्बे के अनेक दुकानदार और निवासी, जिनको मिल चलने के कारण रोजगार मिलता था उनको सरकार बेरोजगार बनने से किस प्रकार बचायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिह—

इस पर जब निर्णय लिया जायेगा तो उनके हितों का भी ध्यान में रखा जायेगा।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

मान्यवर, क्या यह सही है कि सरकार वहां के मजदूर एवं कर्मचारियों, किसानों और कस्बे के नागरिकों को ध्यान में न रखकर मिल को हटाने की स्वीकृत देने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मिल को चलायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिह—

मैंने निवेदन किया कि अभी यह मामला विचाराधीन है और उस पर सबके हितों की रक्षा की जायेगी। उसके बाद ही उस पर कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे इस सदन में वालटरगंज चीनी मिल के बारे में शून्य प्रहर में भी और प्रश्नोत्तर काल म भी चर्चा हुई कि यह चीनी मिल घाटे में चल रही है और इसके विलोनीकरण बस्ती शुगर फैक्टरी में आप करने जा रहे हैं तो क्या आप वहां के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये जिस तरह से आपने अन्य घाटे की मिलों को अधिग्रहीत किया है, इसको भी अधिग्रहण करने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिह—

मान्यवर, अभी इसको अधिग्रहण करने का मामला तो विचाराधीन है नहीं, विलीनीकरण का मामला शासन के समक्ष है उस पर गंभीरता से विचार शासन कर रहा है। वहां के किसानों, मजदूरों, दुकानदारों और लोगों के हितों की रक्षा निर्णय में की जायेगी।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय--]

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि प्रस्ताव वाल्टरगंज फैक्ट्री ने दे दिया है विलीनीकरण के लिए लेकिन उसकी सफाई और बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है । जब मामला आपके विचाराधीन है बावजूद उसके बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है तो कौन सा तरीका अपनायेंगे कि जिससे आने वाले दिनों में गन्ने की पूरी पिराई करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि यह सब विचाराधीन है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, हमारे यहां भय व्याप्त है लोगों में क्योंकि बस्ती फैक्ट्री की जब तक क्षमता नहीं बढ़ेगी काम कैसे चलेगा क्योंकि 8 लाख टन इसकी क्षमता है । यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है यदि विलीनीकरण का निर्णय दे दिया जाता है और बढ़ोत्री नहीं होगी तो वाल्टरगंज मिल को गन्ना देने वाले किसानों का क्या होगा ? कौन सी व्यवस्था आप कर रहे हैं जिससे वाल्टरगंज के किसानों को असुविधा न हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सब प्रश्न तो कुमारी अलमेलु अम्माल ने पूछे हैं ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि वह मिल करीब-करीब मालिक ने खड़ी करा दी है ? क्या इस साल मिल को चलायेंगे या नहीं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, इस मिल से लिए मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि उन्होंने विलानीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है और उस पर विचार विमर्श हो रहा है । मैं सिर्फ यह बता दूं कि मैं आज सिर्फ इस स्थिति में हूं कि यह मामला एक दो रोज में ही तय हो जायेगा और जैसा मुझे विश्वास है कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को सरकार ने अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं किया जो प्रदेश के किसानों और मजदूरों के हित में न हो ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी के सामने एक तरफ तो यह प्रस्ताव आया और दूसरी तरफ वाल्टरगंज मिल की जो कैपेसिटी है उसको देखते हुए तथा वहां की कुव्यवस्था को देखते हुए सदन के सम्मानित सदस्यों की एक भावना आई है अधिग्रहण के लिए । तो क्या उस मिल के अधिग्रहण पर शासन विचार करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कहा कि उस पर विचार हो रहा है (व्यवधान) माननीय मन्त्री जी अधिग्रहण के बारे में बता दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह—

श्रीमन, अगर उस मिल को बस्ती में विलीनीकरण किये जाने के प्रस्ताव पर जो मालिकों ने भेजा है, स्वीकार नहीं होता है और उसके बाद वह चलायेंगे नहीं तो फिर जो नियम है उसके अंदर हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे और इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे कि वहां के किसानों, मजदूरों अन्य और लोगों की हानि न हो ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मालिकों द्वारा भेजा गया प्रस्ताव विलीनीकरण का आया है उस पर शासन विचार कर रहा है । लेकिन इस सदन के अंदर आप देख रहे हैं सब की यह भावना है कि उसमें दुर्व्यवस्था है और फ्रेक्ट्री की कैपेसिटी भी कम है तो इन सारी चीजों को देखते हुए और माननीय सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए क्या अधिग्रहण करने पर विचार करेंगे ? सीधा सवाल अधिग्रहण का है क्या उस पर विचार करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

माननीय सदस्य जो इस सम्बन्ध में रुचि रखते हैं मैं उनकी भावनाओं से अवगत हूं । मेरे मन में जो विचार हैं उनसे भी माननीय सदस्यगण अवगत हैं । म आपकी भावना से माननीय मुख्य मन्त्री जी को अवगत करा दूंगा ।

जिला नैनीताल के चोरगलिया में हरिजनों की झोपड़ियां वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जलाया जाना

**2—श्री बिहारी लाल—

क्या वन मन्त्री को विदित है कि दिनांक 9-9-80 को जिला नैनीताल के चोरगलिया स्थान पर 18 हरिजनों की झोपड़ियां वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जला दी गयी हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी हुए थे ? यदि नहीं, तो सरकार दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के निरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

यह सही नहीं है कि दिनांक 9-9-1980 को जिला नैनीताल के चोर गलिया स्थान पर 18 हरिजनों की झोपड़ियां वन-विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जला दी गयीं । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

एक सदस्य—

आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं । एक आपत्ति है, एक सेकंड में उसके बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं चाहूंगा आप आपत्ति उठा कर दूसरे प्रश्न का समय न लें । वह एक गलत परम्परा होगी ।

श्री बिहारी लाल—

मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी जानकारी माननीय मन्त्री या जंगलात विभाग को किस तरीके से मिली और इसकी इनक्वायरी के लिए कौन अधिकारी वहां गया था उसकी रिपोर्ट पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, 10-9-80 को जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ। शासन के द्वारा जांच करने के लिए श्री वी० बी० सिंह, चीफ वाल्ड लाइफ वार्डन को भेजा गया। सौभाग्य से प्रश्नकर्ता माननीय बिहारी लाल भी जांच में मौजूद थे।

श्री बिहारी लाल—

मैं निवेदन और करना चाहता हूं। जब मैंने सूचना दी तो जंगलात विभाग के कर्मचारियों और माननीय मन्त्री जी से पूछा गया कि क्या इस किस्म की दुर्घटना हुई थी, आपने कहा आपके अधिकारियों ने बताया कि कोई इस किस्म की घटना नहीं हुई। जब मुख्य मन्त्री को सूचना दी तो तत्काल खलबली पड़ी। दुर्भाग्य से मैं भी पहुंचा हुआ था। उसके बाद एक हरिजन परिवार वहां रहता था, एक तरफ सरकार हरिजनों के संरक्षण की बात कहती है, हरिजन परिवार की रोटी व बेदाना करने के लिए सारी फसल उजाड़ दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न पूछिए।

श्री बिहारी लाल—

झोपड़ी में आग लगा दी गयी। मैं आपको फोटो सदन में पेश करूंगा जिससे मालूम होगा कि गाय की बछिया जली हुई थी। अधिकारी जो गये, उन्होंने गाय की बछिया को देखा। इसकी जांच ईमानदारी के साथ हो ताकि भविष्य में इस तरह की हरकतें विभाग न करे। दोबारा जांच करायी जाय। इसका प्रमाण सदन में प्रस्तुत करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का प्रश्न क्या है ?

श्री बिहारी लाल—

सरकार दोबारा जांच करायेगी।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

दोबारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं।

एक सदस्य—

एक हरिजन की झोपड़ी जलायी गयी और जांच नहीं कराएंगे।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्रीमन्, जो रिपोर्ट आयी है और बिहारी लाल जी ने, माननीय प्रश्नकर्ता विधायक ने जो बात कही है, जहां तक बछिया जलने का प्रश्न है वह मैं स्पष्ट करता हूं, स्पष्ट है कि कोई झोपड़ी वहां नहीं जली पायी गयी। और आगे उन्होंने वहां पर एन्क्रोचमेन्ट कर लिया था लेकिन फिर भी वन विभाग की ओर से कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। वहां पर कोई झोपड़ी जली हुई नहीं पाई गई। एक झोपड़ी जो 3·3 मीटर लम्बी और 3·3 मीटर चौड़ी और मवेशियों के लिए थी वह जरूर जली पाई गई। वहां पर कुछ लोगों

ने बताया कि वहां पर एक गाय की बछिया थी । उसके दायें और बायें दोनों तरफ घाव थ लेकिन सूक्ष्म परीक्षण में जांच अधिकारी ने बताया कि वह बछिया जली हुई मालूम नहीं हुई क्योंकि जले का कोई निशान नहीं था और उस जगह पर बाल भी आ गये थे । जानवरों के अस्पताल में जाकर रजिस्टर भी देखा गया लेकिन उसमें भी जले हुए का कोई संकेत नहीं था और न ही इस प्रकार की उसम कोई एन्ट्री थी। विभागीय अधिकारी के साथ जांच के समय माननीय सदस्य भी मौजूद थ । वहां पर जितने लोग बसे हुए हैं उन्होंने अनअथोराइज्ड औक्युपेशन कर रखा है । यह आरक्षित वन में है । जहां हमारी हरिजनों के प्रति हर प्रकार की सहानुभूति ह वहां पर्यावरण बनान के लिन वन और कृषि की रेशियों को बनाने के लिए जंगल को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है ।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, गाय की बछिया के वहां पर जलने का मैं सबूत भी दे सकता हूं। माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि कोई झोपड़ी वहां पर नहीं जली । फिर कहा कि वहां पर एक झोपड़ी जली लेकिन यह जरूर है कि वहां पर गाय की बछिया नहीं जली । मैं तो कहता हूं कि अगर कोई अधिकारी यह कहता ह कि वहां पर कोई बछिया नहीं जली तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं । मैं पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के सामने सबूत पेश कर दूंगा कि वहां पर गाय की बछिया जली है और म उसको यहां पर लाकर खड़ी कर दूंगा ,

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, रिपोर्ट में जो सूचना उपलब्ध थी, वह मैंने बता दी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी, कहा गया कि वे खुद उसमें शामिल थे लेकिन (श्री बिहारी लाल) उसके विरुद्ध कह रहे हैं । उनकी जो जानकारी है वह आपके द्वारा दी गई जानकारी से भिन्न है, इस स्थिति का देखते हुए क्या आप इसकी दुबारा जांच कराने की बात सोचते हैं ?

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, मैं भी यही निवेदन करूंगा कि इसकी दुबारा जाँच करायी जाये ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, इसकी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई थी जिसमें माननीय सदस्य भी मौजूद थे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मैंने कहा कि वहां पर गाय की बछिया के जलने की कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, सदन में एक माननीय सदस्य, जिनके बारे में आपने कहा कि वे भी जांच में गये थे, लेकिन वे आज जांच रिपोर्ट की ताईद न करके उसके विरुद्ध तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं । तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं ?

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]--

श्रीमन्, यद्यपि मैं इससे संतुष्ट हूं लेकिन माननीय सदस्य और सदन के अन्य माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुय मैं इस पर पुनर्विचार की बात भी कर लूंगा और उनकी बात भी सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

[× × ×]

अतारांकित प्रश्न

हरदोई जिला सहकारी बैंक लि0, हरदोई पर बकाया ऋण

1--श्री नरेश चन्द्र--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिला सहकारी बैंक पर शासन का कितना ऋण 30 जून, 1980 तक अवशेष है ? शासन ने उसको वसूलने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नारायण पाठक--

हरदोई जिला सहकारी बैंक लि0, हरदोई को शासन से तीस हजार रुपये ऋण प्राप्त हुआ है जिसकी अदायगी अभी देय नहीं हुई है । अतः वसूली का प्रश्न नहीं उठता ।

2--श्रीमती गौरी देवी--

[दिनांक 29 अगस्त, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित] ।

स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा पेरा गया गन्ना तथा हानि-लाभ का विवरण

3--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा सीजन 1979-80 में मिल वार कितना गन्ना पेरा गया तथा कितनी शक्कर का उत्पादन हुआ तथा मिल वार कितनी लाभ या हानि हुई ? इनके प्रबन्ध में सरकार कोई गैर सरकारी व्यक्तियों की सलाहकार कमेटी बनाने पर विचार कर रही है ?

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री यशपाल सिंह--

राज्य चीनी निगम की इकाईयां सहायक कम्पनियां व प्रशासित चीनी मिल द्वारा पेराई सीजन 1979-80 में मिलवार पेरे गये गन्ने तथा शक्कर उत्पादन का विवरण संलग्न है । मिलवार लाभ या हानि का लेखा-जोखा 30 सितम्बर, 1980 को चीनी निगम का वित्तीय वर्ष पूरा हो जाने के बाद ही तैयार किया जायेगा ।

चीनी निगम के नियन्त्रणाधीन चीनी मिलों की व्यवस्था में सुधार हेतु तथा तकनीकी, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु सलाहकार समितियां पहले से ही गठित हैं । जिदमें केन यूनियन के अध्यक्ष, लेबर यूनियन के प्रतिनिधि, क्षेत्र के विधायक तथा संसद सदस्य भी गर सरकारी सदस्य हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1283 पर) ।

4—श्री मन्जूर अहमद--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फतेहगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, फैजाबाद को दिया गया नियंत्रित कपड़ा

5- श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 की फैजाबाद शाखा द्वारा फतेहगंज सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0, फैजाबाद को दिनांक 1 जुलाई, 1976 से 30 जून, 1980 तक कितनी धनराशि का नियंत्रित कपड़ा दिया गया ?

श्री राम नारायण पाठक--

प्रश्नगत अवधि में 16 लाख 76 हजार 786 रुपये 13 पैसे का नियंत्रित कपड़ा दिया गया ।

6—श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सहकारिता मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शाखा फतेहगंज सहकारी क्रय विक्रय समिति, फैजाबाद को दिया गया स्टाक यू0 पी0 कोआपरेटिव फैडरेशन लि0, फैजाबाद शाखा के अभिलेखों में अंकित किया गया ? यदि नहीं, तो कितनी मात्रा अंकित नहीं की गई ?

श्री राम नारायण पाठक--

फतेहगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, फैजाबाद को उपरोक्त स्टाक देने की प्रविष्टियां उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, फजाबाद के अभिलेखों में अंकित हैं ।

7-8--श्री लल्लू सिंह चौहान--

[15-9-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 38-39 के अन्तर्गत उत्तरित]

प्रशिक्षित सुपरवाइजर कानुनगो की नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति

9—श्री राम नरायन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार सेवा नियमावली के नियम 18 के अन्तगत सुपरवाइजर कानूनगो प्रशिक्षित बैच 1973–74 से 1977–78 तक में उत्तर प्रदेश में प्रथम पोजीशन पाने वाले कानूनगोओं का चयन नायब तहसीलदार पद पर प्रशिक्षण समाप्ति के 2 वर्ष व्यतीत होने पर भी अब तक क्यों नहीं हुआ ? सरकार इस संबंध में क्या आवश्यक कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

10—श्री राम नरायन—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वर्गीय श्री शंकर प्रसाद घिल्डियाल की पेन्शन–ग्रेच्युटी

11—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, मुजफ्फरनगर के अधीन ए0 डी0 ओ0 (सहकारिता) (स्व0 श्री शंकर प्रसाद घिल्डियाल) के निधन के 11 महीने व्यतीत होने पर भी किन कारणों से उनकी विधवा धर्मपत्नी को पारिवारिक पेन्शन, सामूहिक बीमा की धनराशि, उनके भविष्य निधि की धनराशि तथा ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान नहीं हो पाया है ?

श्री राम नारायन पाठक—

श्री शंकर प्रसाद घिल्डियाल का आकस्मिक निधन दिनांक 28–9–1979 को हुआ था। उनकी सेवा पुस्तिका पेन्शन तथा ग्रेच्युटी व जी0 पी0 फन्ड के भुगतान हेतु अभिलेख पूरे कराये जा रहे हैं। सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि के लिए प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम से स्वीकृति अपेक्षित है। उनको निरन्तर लिखा जा रहा है।

श्री आर0 आर0 शाह, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम का स्थानान्तरण

12—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर0 आर0 शाह की वर्ष 1979 के माह नवम्बर के उक्त पद पर नियुक्त करके तत्काल उसी दिन हटा दिया गया और उसी विभाग में कार्यरत अनुभवहीन व्यक्ति को कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक बना दिया गया ? यदि हां, तो आठ घंटे के अन्दर ही नियुक्त करने और हटाने का क्या कारण था ?

श्री यशपाल सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के प्रबन्ध निदेशक पद पर श्री आर0 आर0 शाह की नियुक्ति दिनांक 10–6–79 (अपराह्न) को हुई और स्थानान्तरण दिनांक 17–9–79 (अपराह्न) को हुआ। उनके स्थान पर चीनी निगम के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया। अतः श्री आर0 आर0 शाह को उसी दिन नियुक्त करके आठ घंटे के अन्दर हटा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिव कुमार त्यागी तथा श्री चन्द्रभान सिंह चकबन्दी विभाग, जौनपुर के विरुद्ध घूसखोरी की शिकायतें

13—श्री राज किशोर राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या श्री शिव कुमार त्यागी, सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा श्री चन्द्रभान सिंह, चकबन्दी कर्त्ता, जौनपुर के विरुद्ध घूस मांगने एवं घूस न मिलने पर झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सालिक राम सिंह, ग्राम काठीडीह, पो0 नीमापुर जौनपुर का शिकायती पत्र अगस्त, 78 से प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

शिकायती-पत्रों की जांच क्षेत्रीय उप संचालक चकबन्दी, जौनपुर से कराई गई थी किन्तु जांच म सभी आरोप निराधार पाये गये ।

धमान्दस्यु (धमास्यू) पट्टी, टिहरी-गढ़वाल, के हरिजनों का पुनर्वासन

14—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद का धमानन्द पट्टी के हरिजन परिवारों को जिनकी भू-सम्पत्ति जून तथा जुलाई सन् 1980 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बलात निर्मित कुजापुरी-हिंडोला खाल मोटर मार्ग की खुदाई से गिर कर आन तथा वर्षा से बहाये गये मलबे में दब कर नष्ट हो गई उसी पट्टी में ढालूवाला ग्राम के अन्दर वृक्षविहीन वन भूमि पर बसाने हेतु राज्य सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें कब तक बसा दिया जायेगा ?

श्री विद्या भूषण—

टिहरी गढ़वाल जनपद की धमान्दस्यु (धमास्यू) पट्टी के हरिजन परिवार को बसाने हेतु वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । ढालू वाला ग्राम के अन्दर वन विभाग का कोई भी वृक्ष विहीन आरक्षित वन क्षेत्र नहीं है ।

फर्रुखाबाद की बाजार बेलामऊ सराय की सम्मिलित निष्क्रान्त सम्पत्ति

15—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के बाजार बेलामऊ सरैया के आंशिक निष्क्रान्त सम्पति में सह खातेदारों के अंश की आय के भुगतान का अधिकार किसे है तथा यह भुगतान कब से नहीं किया गया तथा क्यों ? और इसका भुगतान कब तक हो जाने की संभावना है ?

श्री यशपाल सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद के बाजार बेलामऊ सरैया की सम्मिलित निष्क्रान्त सम्पति के अनिष्क्रान्त भाग के सह-खातेदारों के मध्य आय के भुगतान का अधिकार परिषद के आहरण एवं वितरण अधिकारी को है । यह भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के राजस्व परिषद को निष्क्रान्त सम्पत्ति के कार्य

[श्री यशपाल सिंह--]

के हस्तान्तरण के दिनांक 1-4-77 के पश्चात से नहीं किया गया है। अनिष्क्रान्त अंश के समस्त सह-खातेदारों के मध्य उनके द्वारा अपन-अपने अंश का सक्षम न्यायालय से अन्तिम निर्धारण न हो सकन के कारण भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है। समस्त सह-खातेदारों के मध्य उनके द्वारा अपने-अपने अंश के सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्धारण कराने के पश्चात् उसका भुगतान कर दिया जायगा।

जिला आजमगढ़ के कतिपय विकास खंडों में खाद का वितरण

16--श्री लालसा--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खंड फूलपुर तथा मार्टीनगंज में वर्ष 79-80 में किन-किन लघु तथा सीमान्त कृषकों को सहकारी समितियों द्वारा खाद वितरित की गई ? तथा उन्हें कितनी-कितनी छूट दी गई ?

श्री राम नारायण पाठक--

इस प्रश्न के उत्तर में जो व्यय, समय या श्रम लगेगा वह सार्वजनिक हित में नहीं है।

रजाबुलन्द शुगर फैक्ट्री, रामपुर का अधिग्रहण एवं मुआवजा

17--श्री जयप सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में स्थित रजा बुलन्द शुगर फैक्ट्री जिसका सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है, का कितना मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है और इस फैक्ट्री एवं इससे सम्बन्धित जो सम्पति अधिग्रहीत की गई ह इसका बाजार भाव से मूल्यांकन इस मुआवजे से कितना अधिक है ? अभी तक किसानों का कितना गन्ना मूल्य, वर्षानुसार इस फक्ट्री पर बकाया है और कब तक सरकार इसका भुगतान कर देगी ?

श्री यशपाल सिंह--

रजाबुलन्द चीनी मिल, रामपुर जुलाई, 1971 में शासन द्वारा अधिग्रहीत 12 चीनी मिलों में से एक है। इन अधिग्रहीत चीनी मिलों की सम्पति का मुआवजा बुक वेल्यू के आधार पर सम्बन्धित अधिनियम में निर्धारित है, जो रामपुर जिलों के किए 118 लाख रुपया है। मुआवजे का उक्त आधार व उक्त अधिनियम, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध माना गया है। अतः अधिग्रहीत सम्पत्ति का अब बाजार भाव से मूल्यांकन का कोई प्रश्न नहीं है।

इस फैक्ट्री पर किसानों का 94·90 लाख रुपया का गन्ना मूल्य अवशेष है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है :--

	(लाख रुपया में)
वर्ष 74-75 के पूर्व का	8.69
वर्ष 74-75 का	2.68
वर्ष 75-76 का	29.54
वर्ष 76-77 का	0.73
वर्ष 77-78 का	26.58
वर्ष 78-79 का	26.68
वर्ष 79-80 का	..
योग ..	94.90

उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण उक्त चीनी मिल 2/11/79 से राज्य चीनी निगम के कब्ज में आई। उससे पूर्व की अधिकांश देनदारी मिल मालिकों के समय की है जिसके भुगतान कराने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर के कतिपय गांवों की पुनः चकबन्दी

18—श्री राम करन सिंह तथा श्री रामधनी—

क्या राजस्व मंत्री बतानें की कृप करेंगे कि सैदपुर तहसील, गाजीपुर जो जमीन नहर में गयी है वहां पुनः चकबन्दी होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील के उन गांवों में जो वर्ष 1956 में चकबन्दी में लिये गये थे छठी-पंचवर्षीय योजना काल में पुनः चकबन्दी कराने का प्रस्ताव है।

19—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]।

20—श्री चेतराम गंझवार—

[15-9-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 40 द्वारा उत्तरित]

21—श्री चारु चन्द्र ओझा—

[छठें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ में भूस्खलन एवं भूकम्प से प्रभावित लोगों को सहायता एवं पुनर्वासन

22-23—श्री चारु चन्द्र ओझा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में भू-स्खलन व पहाड़ के धंसने से प्रभावित ग्राम दरुखला, रांकी जम्मा व गड्यांग आदि ग्रामों के लोगों को दिए गए निर्वास का आश्वासन शासन द्वारा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या राजस्व मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 1980 में जनपद पिथौरागढ़ के भारी भूकम्प से प्रभावित किसानों व निवासियों को पर्याप्त सहायता राशि दी गई व उनके पुनर्वासन की व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले के संग्रह अमीनों का सेलेक्शन ग्रेड

24—श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में संग्रहालय कार्यालय में लगे संग्रह अमीनों का चयन सीनियर स्केल में पिछले दस वर्षों से नहीं किया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री यशपाल सिंह—

संग्रह अमीनों का चयन सीनियर स्केल में न होकर सेलेक्शन ग्रेड में होता है । यह सही नहीं है कि बस्ती जिले में संग्रह अमीनों का चयन सेलेक्शन ग्रेड में पिछले दस वर्षों से नहीं किया गया ।

वर्ष 1977 तक सेलेक्शन ग्रेड में कोई रिक्ति नहीं थी पर उसी वर्ष सेलेक्शन ग्रेड के 7 अमीन सेवा निवृत्त हुए और संग्रह अमीनों के पद राजस्व परिषद् द्वारा 179 के स्थान पर 221 कर दिए गए । जिसके कारण चार अतिरिक्त पद सेलेक्शन ग्रेड में बढ़ गए । इस प्रकार कुल मिलाकर 11 पद सेलेक्शन ग्रेड के हो गए । इन 11 पदों को 29 अगस्त, 1980 को अमीनों को वरिष्ठता एवं अनुकूलता के आधार पर भर लिया गया है ।

तहसीलदार के पद पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की प्रोन्नति

25—श्री गुलाब सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 8 मार्च, 1973 से आज तक शासकीय आदेश संख्या 65/2–69 रा0 एको0, दिनांक 8 मार्च, 1973 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए विभागीय पदोन्नति हेतु 2 प्रतिशत के आरक्षण म अनुसूचित जनजाति के कितने अभ्यर्थियों को प्रोन्नति तहसीलदार पद पर की जानी थी और उनमें से अब तक कितने अभ्यर्थियों को तहसीलदार पद पर प्रोन्नत किया गया ? यदि अभी तक कोई भी जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण के अन्तर्गत तहसीलदार पद पर प्रोन्नति नहीं किया गया है तो सरकार ने इस सम्बन्ध में जनजाति के अभ्यर्थियों को तहसीलदार पद पर प्रोन्नति हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

तहसीलदार के पद नायब तहसीलदार/पेशकार एवं सदर कानूनगो के संवर्गों के पदधारकों की प्रोन्नति से भरे जाते हैं । इन संवर्गों में अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था, अतः कथित शासनादेश के बाद से अब तक इस जाति के अभ्यर्थियों को तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम श्रीपति खंड, जिला देवरिया में चकबंदी में छोड़ी गई आवासीय भूमि का आवंटन

26—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम श्रीपति खंड, थाना तुर्कपट्टी जिला देवरिया में बसने हेतु, चकबन्दी के अन्तर्गत छोड़ी गयी आवासीय भूमि से लिए उक्त ग्राम के 3 किसानों का प्रार्थना–पत्र दिनांक 10–1–80

प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति दिनांक 22-1-80 के साथ शासन को प्राप्त है ? यदि हां तो अवासीय छोड़ी गयी भूमि पर उक्त 3 गरीब किसानों को मकान बनाने की स्वीकृति शासन देगा ? यदि हां तो कब तक ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां । इस गांव में चकबन्दी क्रियायों में आबादी हेतु आरक्षित की गई भूमि के आबंटन हेतु एक प्रार्थना-पत्र राजस्व (बन्दोबस्त) अनुभाग में प्राप्त हुआ था जो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु दिनांक 11 फरवरी, 1980 को अधिकारी देवरिया को भज दिया गया था । जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार यद्यपि इस ग्राम का प्रकाशन उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत हो गया है किन्तु अभिलेख अभी तहसील को नही भजे गये हैं । गाँव का नया नक्शा एवं अभिलेख प्राप्त होन पर नियमानुसार आवासस्थलों का आवंटन किया जा सकेगा ।

साधन सहकारी समिति, कैथोला भुलभुलिया जिला गोंडा के सचिव का स्थानान्तण

27—श्री जटा शंकर सिंह—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1978-79 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह कृपया बतायगी कि साधन सहकारी समिति कैथोला, भुलभुलिया, जिला गोंडा के सचिव के विरुद्ध अपराध संख्या 1070/74, दिनांक 25-8-77 की मु0 600 रुपया का आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जा चुका है । फिर भी वह उसी सहकारी समिति एवं ब्लाक में कार्यरत है ? यदि हां, तो उक्त सचिव को अन्य ब्लाक में स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ?

श्री राम नारायण पाठक—

श्री कृष्ण देव सिंह, सचिव के स्थानातरण आदेश साधन सहकारी समिति लि0, कैथौला भुलभुलिया, जिला गोंडा से साधन सहकारी समिति गनवलिया विकास खन्ड करनैलगंज, जिला गोंडा के लिए कर दिए गए हैं ।

28—श्री मोहन सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस—

[6ठें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद झांसी में भूकम्प से जन-धन की क्षति एवं सहायता

29—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 29 जुलाई को आये हुये भूकम्प से झांसो जनपद में कितनी जन एवं सम्पत्ति की हानि हुई और शासन ने क्षतिपूर्ति के लिये क्या उपाय किया है ?

श्री यशपाल सिंह—

दिनांक 29 जुलाई, 1980 को झांसी जिले की केवल तहसील मोठ में लगभग एक सेकेन्ड के लिए भूकम्प का हल्का झटका आया था जिससे कोई भी जन या सम्पत्ति की हानि नहीं हुई । अतः क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जनपद के कतिपय विकास खंडों में गोदामों का निर्माण

30—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जनपद की तहसील हसनगंज के विकास खंड औरास, हसनगंज, मियागंज तथा नवाबगंज की किन-किन पंचायत अदालतों में ग्रामीण गोदाम का निर्माण हो चुका है और किन में होना बाकी है ? और जहां गोदाम बनना बाकी है उनका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राम नारायण पाठक—

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत औरास, हसनगंज, मियागंज तथा नवाबगंज, विकास खंडों के अधीन 42 पंचायत अदालतों में से 15 पंचायत अदालतों में गोदाम निर्माण के कार्य पूर्ण हो गया है, 9 में निर्माणाधीन है तथा 18 में निर्माण प्रस्तवित है । पूर्ण हुए तथा निर्माणाधीन गोदामों की सूचना संलग्नक-1 में तथा उन समितियों की सूचना, जिनमें निर्माण प्रस्तावित है, संलग्नक—11 में इंगित है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1284 पर) ।

सूखे के कारण प्रदेश में कृषि देयों की वसूली का स्थगन

31—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत सूखे की गम्भीर स्थिति को देखते हुये प्रदेश के जनपदों को केटेगरीज में विभाजित किया गया है ? यदि हां, तो देश के किन-किन जनपदों में कौन-कौन सी वसूलियां माफ की गई हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

विगत वर्ष 1979 में सूखे से 22 जिले आगरा, इटावा, फतेहपुर, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, आजमगढ़, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, गोंडा, सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ अत्यधिक रूप से प्रभावित माने गये थे तथा उक्त 22 जिलों में से 4 जिलों मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर व झांसी को सबसे अधिक सूखाग्रस्त माना गया ।

खरीफ 1387 फसली में सूखे से हुई क्षति के कारण फिलहाल पूरे प्रदेश में समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित है ।

श्री कृष्णानन्द जोशी, रेन्ज आफिसर सम्पूर्णनगर के विरुद्ध शिकायतें

32—श्री हरिवंश सहाय—

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि संस्थापक एवं महासचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा शाखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र, दिनांक 4 जून, 1980 संलग्नक सहित शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें 41 पेड़ राजस्व विभाग की खीरी लखीमपुर के लेखों एवं नक्शे में काश्तकारों के दर्ज हैं, जिनकी जांच कानूनगो सर्किल, पलिया, परगना पलिया, तहसील निघासन, जिला खीरी लखीमपुर ने करके

अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 20 सितम्बर, 1980 तहसीलदार एवं एस0 डी0 एम0, लखीमपुर को भेजी है, परन्तु रेन्ज आफिसर सम्पूर्णानगर (श्री कृष्णानन्द जोशी) न उक्त पेड़ों की परमिट संख्या 74, 75, 76, दिनांक 18 अक्तूबर, 1978 प्रार्थी को प्राप्त कराकर कटी लकड़ी के लट्ठों को निकासी से रोका और 3 ट्रक निकासी आदेश पर दो ट्रक निकासी ही करने दिया था तथा एक ट्रक लकड़ी (370 लट्ठे) 4 बैलगाड़ियों द्वारा चोरी से दिनांक 1 अप्रैल, 1979 को निकासी कराया जिसकी पुलिस जांच जिलाधिकारी लखीमपुर के आदेश पर की गयी और चोरी सही पायी गयी ? यदि हां, तो रेन्ज आफिसर सम्पूर्णानगर (श्री कृष्णानन्द जोशी) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विद्या भूषण—

संस्थापक एवं महासचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा शाखा उत्तर प्रदेश लखनऊ का दिनांक 4 जून, 1980 का कथित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न में उल्लिखित परमिट संख्या 74, 75 एवं 76, दिनांक 18 अक्तूबर, 1978, जो पेड़ों के पातन हेतु अनुज्ञा से सम्बन्धित है, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पलिया द्वारा निर्गत किये गये थे। उक्त अनुज्ञा पत्र के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी ने निकासी के लिये अपने पत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1978 द्वारा श्री कृष्णा नन्द जोशी, रेन्ज अधिकारी को यह आदेश दिये थे कि वे पेड़ों की जांचकर निकासी के तखमीना भेजें और जब तक सही मूल्यांकन होकर निकासी स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक वे अधिकतम तीन ट्रक की निकासी दे सकते ह। श्री कृष्णानन्द जोशी, रेन्ज अधिकारी द्वारा प्रश्नगत वृक्षों के कटे माल म से दो ट्रक माल की निकासी दे दी गयी। इसी बीच जाँच के दौरान जब इस तथ्य का पता लगा कि प्रश्नगत भूमि, जिस पर उक्त वृक्ष खड़े थे, वह आरक्षित वन भूमि है रेन्ज अधिकारी ने तीसरे ट्रक की निकासी रोक दी जो अब भी विभाग के अधिकार में ह। अतः श्री कृष्णानन्द जोशी, रेन्ज अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग द्वारा उत्पादित लीसा का आवंटन

33—श्री गोवरधन तिवारी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में सरकारी वनों, पंचायती वनों, सिविल अथवा सीयम वनों से पृथक्-पृथक् कितना लीसा वर्षवार सन् 1977 से 79 के अन्त तक निकाला गया ? क्या वन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग द्वारा वर्षवार उन 1977 से 79 के अन्त तक किस-किस लीसा उद्योग को कितना-कितना लीसा आवंटित किया गया ? क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में वे कौन-कौन से लीसा उद्योग हैं जिन्हें वन विभाग द्वारा उक्त अवधि में लीसा आवंटित नहीं किया गया है और उन्हें लीसा आवंटित न करने का कारण क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम बस्तौली, जिला लखनऊ में मकान बनाने हेतु भूमि के अवैध पट्टे

34—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज बस्तौली, तहसील सदर, लखनऊ में 20 वर्ष पूर्व भूमि प्रबन्धक समिति ने मकान बनाने के कितने

[श्री लल्लू सिंह चौहान--]

पट्टे दिये थे ? क्या पट्टेदारों ने मकान बना लिये हैं ? क्या अब इन मकानों को गिराने और पट्टे खारिज करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो जिन राजस्व अधिकारियों की गलती से यह पट्टे हुए उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति बस्तौली, जनपद लखनऊ के भूतपूर्व प्रधान द्वारा वर्ष 1964 से 1969 तक 542 व्यक्तियों को अवैधानिक तरीके से मकान बनाने हेतु भूमि का आवंटन किया गया है । जिनमें से लगभग 400 व्यक्तियों ने आंशिक या पूरे मकान बनवा लिये हैं । इन आवंटनों के निरस्तीकरण हेतु अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ के न्यायालय में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 115 पी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । अवैधआवंटनों के लिये मुख्य रूप से भूमि प्रबन्धक समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुबराती पंचायत सचिव, श्री शरदचन्द बाजपेयी तथा ए0 डी0 ओ0 (पंचायत) श्री ए0 एच0 किदवाई की सांठ गांठ पाई गई जिनमें से प्रधान श्री सुबराती तथा ए0 डी0 ओ0 श्री किदवाई का निधन हो चुका है पंचायत सचिव को निलम्बित किया गया था किन्तु न्यायालय के आदेश से निलम्बन रुका हुआ है । भूमि प्रबन्धक समिति को भी निलम्बित कर दिया गया है । यद्यपि इस मामले में राजस्व अधिकारियों का हाथ होने की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है किन्तु जांच में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

उन्नाव में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त मकान एवं सहायता

35--श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव के ब्लाक हसनगंज व ब्लाक औरास तथा ब्लाक नवाबगंज के गांवों के ऐसे किन-किन लोगों को, जिनके मकान वर्षा व बाढ़ के कारण 1 जुलाई, 1980 से 15 अगस्त, 1980 के मध्य गिर गये थे कितनी-कितनी सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री यशपाल सिंह--

जनपद उन्नाव के ब्लाक हसनगंज, औरास तथा नवाबगंज के कुल 137 ग्रामों में दिनांक 1 जुलाई, 1980 से 15 अगस्त 1980 तक वर्षा एवं बाढ़ के कारण कुल 1475 मकान क्षतिग्रस्त हुए। अब तक कुल 1,14,500 रु0 गृह निर्माण अनुदान तथा 340 रु0 अहेतुक सहायता के रूप म वितरित किया जा चुका है । वितरण कार्य जारी है ।

तहसील हरदोई में स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की मांग

36--श्री नरेश चन्द्र--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई तहसील में रजिस्ट्रेशन कार्यालय में गत डेढ़ वर्ष से स्थानापन्न सब-रजिस्ट्रार कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ? इस स्थान पर स्थायी सब-रजिस्ट्रार की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां। स्थाई उपनिवन्धकों के अभाव में हरदोई तहसील के रजिस्ट्रेशन कार्यालय तथा राज्य के अन्य कई रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में तदर्थ रूप से पदोन्नत किए गये स्थानापन्न उप निबन्धक कार्यरत हैं। नियमानुसार उप-निबन्धक के पद पर नियमित नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से 25 प्रतिशत तक पदोन्नति द्वारा तथा शेष सीधी भर्ती द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर माह अप्रैल, 1980 से माह जुलाई, 1980 तक कुल 89 अभ्यर्थियों के नामों की संस्तुति की ह और इन सभी के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन्हें अभी ढाई माह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई ह। माह नवम्बर, 1980 के अन्त तक प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति पर यह अधिकारी नियमित तैनाती हेतु उपलब्ध हो सकेंगे। पदोन्नति से भरे जाने वाले उप निबन्धक के स्थाई पदों हेतु चयन के लिये भी लोक सेवा आयोग को संदर्भ भेजा जा चुका है। इस प्रकार उक्त दोनों स्रोतों से स्थाई नियुक्ति हेतु ज्यों-ज्यों अभ्यर्थी उपलब्ध होते जायेंगे त्यों-त्यों स्थानापन्न नियुक्तियां समाप्त कर दी जायेगी।

बस्ती जनपद के तराई क्षेत्र में एक विचित्र बीमारी के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बज कर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 की 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें 5 को मैंने स्वीकार किया है।

*श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में जनपद बस्ती के तराई के इलाके में फैलने वाली भयंकर और विचित्र बीमारी को लाना चाहती हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां ऐसी बीमारी फैल रही है जिसमें भयंकर सिर दर्द के साथ तेज बुखार हो जाता है और रोगी की मृत्यु की सम्भावना हो जाती है। मान्यवर, इस बीमारी से सोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस बीमारी की वजह से क्षेत्र की जनता में भय व्याप्त हो गया है और वहां की जनता अत्यन्त आतंकित है। अस्तु मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन से यह मांग करती हूं कि जनपद बस्ती के तराई इलाकों में इस रोग से बचाव एवं रोकथाम के लिये अविलम्ब पर्याप्त व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे कि जनता में व्याप्त भय की भावना दूर हो सके।

जनपद गोण्डा के बलरामपुर तथा उतरौला तहसील के कतिपय ग्रामों में बाढ़ से धान की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबाल हुसैन--

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा के बलरामपुर तथा उतरौला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबाल हुसैन--]

तहसील में मास सितम्बर, 1980 के दिवस 8, 9 तथा दिवस 18, 19 को हुई भारी वर्षा से राप्ती के दोनों किनारों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गय, थान की पका तैयार फसल पानी म डूब कर नष्ट हो गयी, विकास खंड गैसड़ी में भाभर और कटहा तथा बूढ़ी राप्ती के बाढ़ से तथा उसी समय भगवानपुर बांध का पानी छोड़ देने से गांव सभा गनवरियां विलोहा विकास खंड तुलसीपुर ग्राम सभा, सौनपुर चौकियां जहदारियां मिश्र बलिया, मनकी, भदुई, जमुनी आदि विकास खंड गैसड़ी तथा विकास खंड पचपेड़वा के पूर्वी तथा दक्खिनी छोर के गांवों सभाओं कुटी, रमतलहा, अथवा नगर, खादर आदि ग्राम सभाओं की धान की फसल पूर्णतः नष्ट हो गयी है । इन गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को बाढ़ राहत कार्य के अन्तर्गत कोई सहायता नहीं दी जा रही है जिससे वहां की जनता भुखमरी के कगार पर है । इस कारण उस क्षेत्र के निवासियों में असंतोष तथा भय का वातावरण व्याप्त है । मैं मांग करता हूं कि सरकार बलरामपुर तथा उत्तरौला तहसील के उन सभी गांव सभाओं के निवासियों को अविलम्ब आवश्यक खाद्य सामग्री मिट्टी का तेल तथा जीवन रक्षक दवाओं को उपलब्ध कराये और सरकार ऐसी व्यवस्था शीघ्र करे जिससे कोई भी व्यक्ति भूख से न मरने पावे तथा जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाढ़ सहायता कार्य के अन्तर्गत लापरवाही की है उनको दंडित किया जाय ।

बाराबंकी जनपद के सिद्धौर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में बाढ़ व वर्षा से क्षति एवं राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामसागर--

मान्यवर, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर मैं सम्मानित सदन क एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र सिद्धौर बाराबंकी विगत वर्ष के सूखा ओला जैसी दैवीय आपदाओं से सम्भल नहीं पाया था कि इस वर्ष विनाशकारी बाढ़ एवं अतिवृष्टि की चपेट में बुरी तरह आ गया है जिससे कि क्षेत्र के अधिकांश गांवों में मनुष्यों एवं जानवरों के भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी ह । सारा जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया ह । बाढ़ क्षत्र के सरैया इमामगंज, कछिया, बेलपुर, अनार पट्टी, सो रहा, असरफपुर, हाजीपुर दयाराम पुरवा, दोदूपुर जैसे तमाम गांव बाढ़ वर्षा की विनाश लीला में बुरी तरह नष्ट हो गये हैं । सरकार द्वारा वितरित सांत्वना अनुदान को भी लोगों में न बाटने की बराबर शिकायतें बनी हुई ह। अब तक तहसील के कर्मचारी मूल्यांकन करने गांवों में नहीं पहुंचे । यह ही नहीं मेरे क्षेत्र गजपतीपुर, सिद्धौर कोठी मझियांव, भरथामी अन्दला गांव झीलों से बुरी तरह चारों ओर से घिरे हुये हैं । प्रत्येक गांव की हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि पानी से डूबी हुई है । और आबादी भी जलभराव से प्रभावित है । इन समस्याओं के बारे में सरकार एवं अधिकारियों का ध्यान बार-बार आकर्षित करने पर ग्रामीणों में न ही राहत कार्य चल रहा है और न ही उनके कृषि योग्य भूमि एवं आबादी के जल भराव को समाप्त करने हेतु कोई व्यवस्था की जा रही है जब कि रबी की फसल करीब है । सरकार की इस लापरवाही से क्षेत्र के उक्त जनमानस में बहुत ही असंतोष एवं खेद की भावना व्याप्त है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाराबंकी जनपद के सिद्धौर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में बाढ़ व वर्षा से क्षति एवं राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सम्बन्धित गांवों में तुरन्त राहत सम्बन्धी कार्य एवं जल भराव को समाप्त करने की व्यवस्था करें जिससे कि जन मानस में व्याप्त असंतोष समाप्त हो सके ।

प्रदेश के पश्चिमी जिलों में धान की बिक्री समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह (सहारनपुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान लोक महत्व के तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनाज मंडियों में धान के फसल काफी मात्रा में गत सप्ताह से आनी प्रारम्भ हो गयी है राज्य सरकार ने न तो केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालकर न्यूनतम सपोर्ट प्राइस तय कराया है, न ही क्रय की स्पष्ट नीति घोषित की है, जिससे बिचौलिये, व्यापारी किसानों को खुले आम लूट रहे हैं किसान मजबूरी की दशा अस्सी रुपया तथा पच्चासी रुपया प्रति कुन्तल अपना धान बेचने पर विवश हो रहा है जबकि शासन की स्पष्ट घोषणा थी कि धान की न्यूनतम वसूल मूल्य गत वर्ष के 95 रुपये प्रति कुन्तल के भाव से काफी अधिक रहेगी इससे पश्चिमी क्षेत्र के धान उत्पादकों में भारी असंतोष व्याप्त है ।

प्रश्न लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है क्योंकि यदि शासन ने इसमें तुरन्त हस्तक्षेप न किया तो गरीब किसानों की लाखों रुपय की हानि हो जायगी और उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार तथा सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब कार्यवाही करें ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा विधायक को बुलन्दशहर के स्वर्गीय अमर सिंह महा विद्यालय लखावटी का प्रशासक नियुक्त किये जाने पर आपत्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय कृषि मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री पी0 के0 शर्मा, विधायक को जनपद बुलन्दशहर में स्थित स्वर्गीय अमर सिंह कृषि महाविद्यालय लखावटी का प्रशासक नियुक्त करने हेतु आदेश किये हैं । यह समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण शिक्षा संस्था है और महान समाजसेवी स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी के त्याग व तपस्या का प्रतीक है । उस संस्था के प्रशासन की विशेषता रही है कि कभी किसी भी राजनैतिक दल के कार्यकर्त्ता या सदस्य को प्रशासन का भार नहीं सौपा गया है जिससे कि संस्था राजनीति से ऊपर रह कर अनेक प्रतिभाशाली छात्रों की शिक्षा प्रदान करती चली आ रही है । संस्था के स्थापना से अब तक कभी भी इसका प्रशासन किसी भी राजनैतिक हाथों में नहीं रहा बल्कि जिलाधिकारी सन् 1944 से अब तक इसके पदेन प्रशासक होते चले आये हैं । श्री पी0 के0 विधायक कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं और सरकार इस संस्था को अपनी दलगत राजनीति का अड्डा बनाने के लिए उपरोक्त नियुक्ति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री किरन पाल सिंह--]

की है । सरासर अनियमित और गैर कानूनी है और शिक्षा संस्था की स्वायत्तता के ऊपर आघात है जिससे हजारों विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता रहेगा । इस कदम से तमाम विद्यार्थियों व अध्यापकों व क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व क्षोभ व्याप्त है और कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है ।

यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और मेरा आग्रह है कि मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें कि इस असाधारण स्थिति को पनपने से रोकने के लिए शिक्षा मंत्री जी अपने आदेश को स्वयं रद्द कर दें ।

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी आपको, मान्यवर, सुन लें थोड़ा सा....।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने औचित्य का प्रश्न उठाया था, मैंने उसको देखा आपने यह कहा था कि नियम 301 म जो सूचनाएं होती हैं उनका उत्तर समय से नहीं आ रहा है । यह आपका औचित्य का प्रश्न है । आपका कहना था कि शासन उस पर समय से कार्यवाही नहीं कर रहा है । उसमें नियम जो हैं और उस नियम के अन्दर अगर शासन कार्यवाही नहीं कर रहा है, तो मेरा ध्यानाकर्षण किया जाय और मैं निश्चित रूप से इसके लिए निर्देश दूंगा कि शासन नियमों के अन्दर आवे और नियम 301 के अन्तर्गत उठायी गयी सूचनाओं पर नियमों के अनुसार कार्यवाही करें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नियम 14 (1) देखिए अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण, जिसमें साफ दिया गया है कि 301 की सूचना आपकी अनुमति से यह सदन के संज्ञान में लायेंगे, उन पर अग्रेत्तर व्यवस्था है कि दी गयी सूचनाओं का उत्तर ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपा होगी, यदि आप धीरे-धीरे बोलें, क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा था कि दी गयी सूचनाओं का उत्तर कोई मंत्री सदन म देन के लिए बाध्य नहीं है, किन्तु यदि वे चाहें तो सदन में भी उत्तर दे सकते हैं । सम्बन्धित मंत्री, ऐसी सूचनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराकर सम्बन्धित सदस्यों को अपने ही हस्ताक्षर से 7 दिन में उत्तर देंगे । यदि 7 दिनों में सूचना न दी जा सके तो मंत्री सम्बन्धित सदस्य को कार्यवाही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के सम्बन्ध में अन्तरिम उत्तर देंगे । परन्तु उसका अन्तिम उत्तर अधिक से अधिक एक माह के अन्दर अवश्य माननीय सदस्य को भेज देंगे ।

तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह मेरी एक नहीं 15वीं सूचना है जिसमें से 7 दिन में उत्तर एक या दो का आया होगा, लेकिन... ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप इतना तेज बोल रहे हैं कि मैं उसको ठीक-ठीक सुन नहीं पा रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरी स्वयं करीब-करीब 20-21 सूचनाएं हैं व अन्य माननीय सदस्यों की भी सूचनाएं होंगी, उनमें से केवल 3 सूचनाओं का उत्तर 7 दिन में आया है और वह उत्तर भी दोषपूर्ण है । लिखा हुआ है कि पत्र आपका मिला, उस पर कार्यवाही की जा रही है या यह लिख दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है । इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप इसको दिखवा लें कि मंत्रीगण किसी भी प्रश्न का उत्तर 7 दिन में नहीं देते, बल्कि वह महीने की छूट को लेकर हर प्रश्न का उत्तर एक महीने में ही देते हैं । और जो अन्तरिम सूचना एक महीने के बीच में आती है और उसके द्वारा जो जानकारी दी जाय, उसकी एक प्रतिलिपि मान्यवर, आपकी सेवा में भी प्रस्तुत की जायेगी, तो मैं चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में अपने सचिवालय को भी निर्देश दे दें । और इस तरह की व्यवस्था करें कि नियम 301 की सूचना को महत्व दिया जाना चाहिए, इसका महत्व तो उन पत्रों के उत्तर से भी गिर गया है, जो हम लोग मंत्रीगण को लिखते हैं । मान्यवर, इसमें जनता का पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है । इसलिए शासन को इस पर एक समय निश्चित कर देना चाहिए । इसीलिए यह बात उठाकर मान्यवर, आपसे व्यवस्था चाहते हैं ।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह नियम 301 के बजाय 302 हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष-

नहीं, यह अभी 302 नहीं हो पाया है । यह प्रश्न आपने ठीक उठाया है । शासन को अपने आप ही नियमों में प्रतिबन्धित होना चाहिए । मैं अपने सचिवालय को भी निर्देश दूंगा कि हमारा सचिवालय इसको देख ले और जहां भी इसमें व्यतिक्रम हो रहा है, उसको दूर करने का प्रयास करे । शासन से भी इस सम्बन्ध में सहयोग अपेक्षित है, कि जो उत्तर हों, उनको वह समय से आना चाहिए, ताकि माननीय सदस्यों की मन्शा पूरी हो सके ।

(शोर)

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो आदेश दिये हैं, शिरोधार्य हैं और उनका लफ्ज बलफ्ज पालन होगा ।

आयुक्त, आगरा मंडल श्री देशराज सिंह के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश का शासन द्वारा पालन न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि 19 तारीख को इस माननीय सदन के अन्दर आपने अपनी व्यवस्था दी थी कि कमिश्नर, आगरा मंडल श्री देशराम सिंह के बारे में आपने स्पष्ट आदेश दिये थे कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय हमने कल या परसों अखबारों म यह पढ़ा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कुछ रिटेन मांगा है कि उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय, क्या चार्जेज है । इसके बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जब सारी बातो को समझने बूझने के बाद सब चीजों का पता लगाने के बाद आपने एक निर्देश दिया उसके बाद मुख्य मन्त्री आपसे लिखित मांगे यह उचित नहीं है । इस सम्बन्ध में आप स्पष्ट बात दें क्योंकि सदन को भ्रम हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री ने लिखित रूप में हमसे कुछ भी नहीं मांगा है । मैं समझता हूं कि परम्परा यह रही है कि ऐसे निर्देश दिये जाते हैं उसके साथ सदन की कार्यवाही सरकार को भेज दी जाती है और वही काफी होता है ।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, 19 तारीख को इस सदन के सामने माननीय संसदीय कार्यमन्त्री ने आपके निर्देशों को शिरोधार्य करते हुये आश्वासन दिया था कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । 19 तारीख से 7 दिन हो गये 26 तारीख एक सप्ताह बीत गया । एक सप्ताह के अन्दर क्या कार्यवाही की गई उस कमिश्नर के खिलाफ उसके बारे में किसी माननीय सदस्य को कोई जानकारी नहीं दी गई है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्यमन्त्री बतायें कि उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही शासन ने की ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपके अधिकारों का रक्षक मैं हूं और मैं स्वयं इसको देख रहा हूं । कार्यवाही के लिये बहुत समय की आवश्यकता नहीं है किन्तु हो सकता है कि मन्त्रिमण्डल की बठक हो और उसमें विचार कर के कार्यवाही की जाय और यह भी हो सकता है कि बैठक न हुई हो । जो निर्देश दिये गये ह उनका पालन उन्होंने नहीं किया अभी यह नहीं कहा जा सकता । म खुद प्रयत्नशील हूं कि निर्देशों का पालन हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुख्य मन्त्री के सदन में न आने पर आपत्ति

* श्री भगवान दीन कुशवाहा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी दो दिन से लखनऊ में हैं किन्तु सदन में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रस आई का एक गुट उनको हटाकर लोकपति को मुख्य मन्त्री बनाना चाहता हैं। इससे सदन की उपेक्षा हो रही है, इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, इस पर आपसे व्यवस्था चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसमें व्यवस्था का तो कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है नहीं। कौन दल अपने अन्दर क्या कर रहा है इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, दो दिन से सदन में नहीं आ रहे हैं यह सदन की उपेक्षा है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बात आपने कही कि दो दिन से सदन में नहीं आये। मैं स्वयं भी सदन से कुछ देर के लिये बाहर रहता हूं। क्या वाकई दो दिन से सदन में नहीं आये इसको मैं पता लगाऊंगा, मेरा ख्याल ह आप भी सदन में पूरे समय तक नही रहते होंग।

सदन को बैठकों की अन्तिम तिथि की जानकारी की मांग

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर सदन कब तक चलेगा यह कुछ निश्चित नहीं है, इससे बड़ी अनिश्चितता है कि हम अगला कार्यक्रम बना सकें तो मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमन्त्री जी निश्चित रूप से यह बता दें कि सदन कब तक चलेगा तो कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

बराबर आपको कार्यमंत्रणा समिति की रिपोर्ट पढ़कर सुनायी जाती है इसके बाद भी आपको अनिश्चितता हो तो इसके लिये क्या किया जाय।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

कार्यमंत्रणा का एक भी निर्णय स्थायी नहीं रहता।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति आपने बनाया ही इसीलिये है कि वह काम को परिवर्तित कर सके उसमें हेरफेर कर सके और समिति का जो फैसला है उससे सरकार को बाध्यता है। जब समिति के फैसले से सरकार की बाध्यता है, तो संसदीय कार्यमंत्री से कोई आश्वासन लेना मैं समझता हूं बहुत मुनासिब नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 में 4 सूचनायें प्राप्त हुई और चारों अस्वीकृत की गयीं . . .।

(व्यवधान)

इस प्रकार शोर मचाने पर कार्य-स्थगन नहीं लिया जायेगा । आप लोग आसन ग्रहण करें । जो सदस्य बिना आज्ञा के बोलेंगे उनका कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

एक सदस्य--

कृपया मेरी बात सुन लें . .।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप लोग विराजें ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सुन तो लें । मंत्री लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं . .।

श्री उपाध्यक्ष --

आप किस मद पर बोल रहे हैं ? अगर आप चाहते हैं कि अनुदानों पर बहस न चले तो कहिये तो थोड़ी देर के लिए सदन स्थगित कर दिया जाय । बैठिये आप लोग ।

(शोर)

एक सदस्य--

यह मामला बहुत गम्भीर है, कम से कम सुन तो लीजिये महाराज ।

श्री उपाध्यक्ष--

मामला गम्भीर है तो सूचना दे दें ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो लोग सुरा, सुन्दरी, पैसे में लिप्त हैं, हमारे गोपनीय तथ्यों को विदेशी तत्वों के हाथ में दे देते हैं, विदेशी लड़की के साथ बलात्कार करते हैं . . ।

(शोर)

आप भी शामिल हैं, हम भी हैं, सभी लोगों के बारे में सन्देह व्यक्त किया गया है . . ।

(शोर)

प्रधान मन्त्री को कहा, मुख्य मन्त्री को कहा . . ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजिए ।

(शोर)

माननीय गुप्त जी आप कृपा कर इस विषय पर मुझसे बात कर लें । मैं आपको सुनने के बाद इस पर विचार करूंगा। आप इस पर चर्चा ही चाहते हैं न. .।

(शोर)

एक सदस्य--

हम वक्तव्य चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर आप सब बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा । विराजिये ।

(शोर)

पहले आप मुझे कह लेने दीजिये । उसके बाद मैं आपकी भावनाओं के अनुसार जो कुछ भी कर सकूंगा, करूंगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपकी व्यवस्था सर आंखों पर रखता हूं । यह परम्परा थी । आप भी इसका निर्वहन करते थ कि जो सूचनायें हम दिया करते थे, आप सुन लिया करते थे, सदन की प्रापर्टी बन जाती थी । हम चाहते हैं कि तथ्य सामने आ जांये । यह मामला इतना गम्भीर है कि सम्पूर्ण प्रशासन पर लांछन लगाया गया है, मन्त्रिपरिषद् एम० एल० ए० सभी पर लांछन लगाया गया है । हमारे प्रशासन के प्रति, शासन व्यवस्था के प्रति जनता में अविश्वास की भावना पैदा हो रही है । लड़कियों की सप्लाई करते हैं । सारा प्रशासन पंगु हो गया है । इससे ज्यादा लज्जा और निन्दा की बात क्या होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, सुरा और सुन्दरी में सब लिप्त हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

बैठिये, राम आसरे जी ।

जो सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं उनका सारांश जैसा दिया रहता है, सुनाया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने मुझ बुला लिया था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने नियम 56 में सूचना दी थी । पहले मैंने कहा कि सब अस्वीकार की गयीं । इसके साथ ही तमाम लोग बोलने लगे । उस समय सिवाय इसके कि मैं इसको एक किनारे रख देता दूसरा रास्ता क्या था ? अगर आप चाहते थे तो आपके उठने का तब तक प्रश्न नहीं उठता था जब तक आपकी सूचना को पढ़ न दिया जाता, सारांश पढ़ दिया जाता, तब कुछ कहते तो बात थी । अगर आप इतने उत्तेजित हो जायेंगे तो पढ़ेगा कोई कैसे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

असल मामले को दबाया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर एक साथ आठ आदमी बोलेंगे तो कैसे होगा ? कहें तो और कार्यवाही बन्द करके एक-एक की बात सुनूं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया कि आज का प्रशासन वाइन, वोमेन एण्ड वेल्थ में सराबोर हो रहा है । यह इस तरह की बात हो रही है कि प्रशासन कलंकित हो रहा है । तो सदन के सामने इस अहम मसले पर चर्चा जरूर करा दें । जो गुप्ता जी ने दिया उस पर वक्तव्य दिला दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजिये, आप अब तक काम रोको प्रस्ताव लाते थे । काम रोको प्रस्ताव जब स्वीकार किया जाता है तब सरकार के असफल होने का सवाल सामने आ जाता है । बोलने का यह अभ्यास गलत है । जब सरकार के असफल होन का सवाल आता है तब काम रोको उठता है । आपने उनके कार्यों को बताया, इस नियम में वह स्वीकृत होने लायक नहीं था । इसलिए अस्वीकार किया गया । काम रोको के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता । आपको उसका सारांश सुना ही दिया जाता है । .. सारांश सुनाने के बाद फिर आप सूचना देते, तो आपकी भावनाओं की कद्र करता । मैं चाहता हूं कि प्रदेश में किसी के साथ अन्याय न हो । लेकिन अगर एक साथ सभी लोग बोलने लगेंगे वह मेरे ही साथ अन्याय करने लगेंगे तो सदन का काम कैसे चलेगा ? चूंकि आज का समय बहुत ले लिया गया है, इसलिए अब आगे की कार्यवाही चलेगी । मैं चाहता हूं कि श्री गुप्त जी मुझसे बाद में बात करलें । बात करने के बाद यह मसला फिर तय किया जा सकता है और उस पर कार्यवाही हो जायगी । इसके बारे म भीखालाल जी ने भी राय जाहिर की, रियासत हुसैन ने जाहिर किया और राम आसरे वर्मा ने भी जाहिर किया । तो हम बात कर लेंगे और बात करने के बाद रास्ता निकालेंगे । बड़ी कृपा होगी अगर आप लोग सहानुभूतिपूर्वक मेरी बात सुनें और मेरे अनुरोध को स्वीकार करें । आप मुझसे बात कर लीजियेगा और उसके बाद कोई रास्ता निकाला जायेगा ।

श्री पंचानन—

मान्यवर, हमने विशेषाधिकार की नोटिस कल दिया था । लेकिन आज तक नम्बर नहीं आया । व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं, इस वक्त व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता । नियम 56 में 4 सूचनायें आयी थीं जिनमें से एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने दी है जिसमें उन्होंने सीमेन्ट, चीनी, डीजल आदि के फर्जी परमिट बनाये जाने के गिरोह के पकड़े जाने के संबन्ध में कहा था । यह बात किसी खास चीज से ताल्लुक रखती थी, इसलिए मैंने इजाजत नहीं दिया । जैसा कि उन्होंने कहा है मैं उनसे बात करूंगा ।

श्री प्रदीप कुमार यादव ने सूचना दी थी कि दिनांक 24-9-80 को कानपुर नगर में कुकिंग गैस के नये कनेक्शन लेने हेतु लगी हुयी भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है दूसरी सूचना श्री हरिवंश सहाय और नन्द किशोर सिंह की है कि गोरखपुर मंडल में पशुओं में संक्रामक रोग के कारण मृत्यु हो रही है । चौथी सूचना श्री माता प्रसाद पान्डे और मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की है जो जनपद बस्ती में राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती की बाढ़ से घिरे सैकड़ों गांवों में नाव की व्यवस्था न होने के कारण बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा आदि की दिक्कत हो रही है । ये अस्वीकार की गयी हैं ।

एक सदस्य—

मान्यवर, वक्तव्य दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मेरे विवेक का प्रश्न है ।

अब निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही को संयतरूप से चलने दें और सिंचाई पर कल जो बहस चल रही थी, उसको चालू होने दें ।

श्री पंचानन—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । इजाजत दें । मैंने विशेषाधिकार के सवाल की नोटिस कल 9-00 बजे दिया था । कल उसका नम्बर नहीं आया । आज भी नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष—

पंचानन साहब, आप नय सदस्य हैं । विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस जब दी जाती है तो उसकी एक प्रक्रिया है । वह संबन्धित मंत्री के पास स्पष्टीकरण के लिए भेज दी जाती है । जानकारी आने के बाद ही सदन म जानकारी देंगे । आप कृपया प्रक्रिया नियमावली पढ़ल ।

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 68-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 69--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 102--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 103--सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)†

(12 बजकर 54 मिनट)

कुमारी अलमेलु अम्माल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो सिंचाई मन्त्री जी ने कल प्रस्ताव रखा ह, उसका मैं समर्थन कर रही हूं और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूं । मान्यवर, अगर सड़क न बने तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि बिना सिंचाई के होगा । स्याही, कलम, दावात और कागज के होने के बावजूद भी पानी के बिना लिखा नहीं जा सकता । उसी प्रकार प्यासी जमीन को पानी न देने पर प्रदेश का भाग्य लिपि नहीं लिखी जा सकती । इसलिए हमारे सिंचाई मत्री सिंचाई पर ज्यादा ध्यान दिए यह प्रसन्नता की बात है । पिछले 3 सालों में अगर जनता पार्टी की 3 वर्ष निकाले जायं तो सिंचाई की प्रगति हुई है जब हमें आशातीत दिखाई पड़ रही है जब आजादी मिली तब 15 सैकड़ा जमीन सरकारी साधनों से सींचा जाती थी । इस समय 45 सैकड़ा जमीन सरकारी साधनों से सींचा जा रही है 30 वर्षों में 3 गुना सिंचाई ज्यादा हो गयी है । यह एक संतोषजनक प्रगति है । लेकिन जब तक प्रदेश की सारी सिंचन, योग्य असिंचित भूमि को हम सींच नहीं देते हैं तब तक हमें आराम नहीं करना चाहिए । हमारा ध्येय यही है । लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इस विभाग में घाटा बढ़ता जा रहा है । इसका सबसे बड़ा कारण इंजीनियर्स का भ्रष्टाचार है । होना तो यह चाहिए कि जिस काम को सामान्य आदमी दस रुपये में करे उसको इंजीनियर प्राकृतिक नियमों की सहायता से 50 पैसे में करा दें । जैसे उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक कैनाल है । उसको जिस इंजीनियर ने बनाया था उसका नाम कुवर बलबीर सिंह, चीफ इंजीनियर की देखरेख में वह कैनाल बनी । प्रदेश में सबसे सस्ती वह नहर बनी है । उन्होंने एक तो भ्रष्टाचार नहीं होने दिया और प्रकृति का भी इस्तेमाल किया । आजकल के इंजीनियर्स में इन दोनों बातों का अभाव है । जो काम साधारण लोग एक रुपये में करते हैं आजकल का इंजीनियर उसको 3 रुपये में करते हैं इसलिए खर्च बढ़ जाता है । कल इसी सभा में एक माननीय सदस्य ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में हमेशा नहर में मुनाफा जरूर रहा । उन माननीय सदस्य ने यह नहीं सोचा कि बिना बांध बनाये अंग्रेजों ने नहरें बनायीं जैसे शारदा नहर, अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर जिसमें बांध का खर्च नहीं आया । नहर सस्ता बन गयी । लेकिन आज इतना भ्रष्टाचार है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मन्त्री जी को सख्त कदम उठाने चाहिए । मेरे पास समय कम है, मैं कुछ और बातें मन्त्री जी से कहना चाहती हूं । इंजीनियरों का एक वर्ग ही अलग है । कभी गरीब के ऊपर उनको कुछ सोच या विचार कभी नहीं हो सकता, वह वर्ग अलग है उनको गरीब से कोई मतलब भी नहीं है । वह वर्ग अलग है । अभी कुछ दिन पहले खलीलाबाद में एक जंगी रोड बनाया गया है । उस सड़क को बनाने में वहां गरीबों की जमीन ली गयी । उनको कंपेन्सेशन मिला । लेकिन उन्हीं गरीब लोगों की जमीन सिंचाई

---

†दिनांक 25 सितम्बर, 1980 की कार्यवाही से ।

विभाग सरजू प्राखंड कालोनी बनाने के लिए ले रहा है । मैंने मंत्री जी से कहा मंत्री जी ने दया के साथ यह मामला लिया, और उन्होंने इंजीनियरों को इसके लिए कहा, मैंने इंजीनियर को उसको दिया लेकिन आज भी वहां गरीबों को छोड़ा नहीं गया है, अभी भी इंजीनियरों के पंजे में गरीबों का मामला है । जमीन बहुत है, कालोनी बनानी है, नहर तो बनानी नहीं है । अगर नहर बनानी हो तो किसी अमुक रास्ते को बता सकते लेकिन कालोनी तो कहीं भी बन सकती है । कालोनी बड़े लोगों के लिए बन रही है, कुछ दूर भी बनायी जा सकती है । क्या जरूरत है कि उन्हीं गरीब लोगों की ही जमीन को लेगें । इस तरह से जिसके पास थोड़ा सा जमीन है वह उसे छीनकर उसको भूमिहीन बना देंगे । जबकि प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी कहती हैं कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे लेकिन इंजीनियरों का काम है कि जिनके पास थोड़ा सा जमीन है उनको भूमि-हीन बनायेंगे । इसलिए मंत्री जी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जितने डाक बंगले सिंचाई विभाग के बने हैं वह सब इंजीनियरों के निवास स्थान बने हैं, जबकि वह जनता और एम० एल० ए० के ठहरने के लिए बनाये गये हैं और जब कोई नागरिक व एम० एल० ए० ठहरने के लिए जाते हैं तो डाक बंगले उनको खाली नहीं मिलते हैं जिससे जनता और उनके प्रतिनिधियों को ठहरने म असुविधा होती है ।

इसके अलावा मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जितनी नहरें बननी थी उनके संबंध में मैंने मंत्री जी को लिखित दे दिया है जिस पर ध्यान दिया जाय ।

मान्यवर, यह आम बातें आपके सामने हमने रखा है जिसमें विचार करने की जरूरत है । मान्यवर, इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है जब तक वह समूल नाश मंत्री जी नहीं करेंगे तब तक यहां इस प्रदेश में सुधार नहीं होगा । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री हरिवंश सहाय––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं और इसलिए वे बराबर बरबाद हो रहे हैं । मैं चाहुंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि एक अलग से बाढ़ मन्त्रालय की इस प्रदेश में स्थापना की जाय जो बाढ़ की समस्याओं को पूरे वर्ष देखता रहे और बाढ़ की समस्याओं पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करे । मान्यवर, देवरिया जिले के अन्तर्गत घाघरा, राप्ती, बड़ी और छोटी गंडक, बांसी और खनवा आदि नदियों से देवरिया जिले के 2500 गांव बाढ़ से डूब गये हैं । बाढ़ के कारण सैकड़ों आदमी और मवेशी डूबने से मरे हैं तथा वहां फैली बीमारियों से मरे हैं । 50 हजार घर बाढ़ और वर्षा से गिर गये हैं और इस प्रकार लगभग 10 करोड़ रुपये की बाढ़ और वर्षा से वहां क्षति हुई है । बड़ी गंडक नदी और छितौनी बांध यह दो चीजें देवरिया जिले के लिए चर्चा का विषय रहती हैं । बड़ी गंडक नदी में जो छितौनी बांध है उसको कहा

[श्री हरीवंश सहाय—]

जाता है कि जिसने उस बांध को छुआ है वह लखपति से कम नहीं हुआ । यही कारण है कि बड़ी गंडक से देवरिया जिला बर्बाद होता रहा है । हुकूमत के पहले (1946 के पहले) अंग्रेजी तकनीशियनों ने लिखा था कि बड़ी गंडक के पेटे के अन्दर जो बड़-बड़े पत्थर हैं उनको हटा दिया जायेगा तो बड़ी गंडक का कटाव तेज हो जायेगा । मान्यवर, उसकी धारा को कम करने के लिए जब इंजीनियरों ने जो बात किया है उसमें बोल्डर लगाने की जरूरत है क्योंकि जो बोल्डर नदी के पेटे में थे उनको नहीं हटाया जाना चाहिए था लेकिन ठेकेदारों ने हटाकर नदी के पेटे को खाली कर दिया जिससे प्रति वर्ष बड़ी गंडक में बराबर बाढ़ आती है और नदी का कटाव तेजी से बढ़ता जा रहा है । इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कटाव न हो ।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान छोटी गंडक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वह काफी छिछली है । इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि छोटी गंडक नदी की नहरीकरण योजना में बदल दिया जाय, उसको पक्का नहर में बदल दिया जाय तो यह बाढ़ की समस्या जो हर साल हो रही है वह नहीं होगी ।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बल्देव सिंह आर्य पीठासीन हुए ।)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले नदी के दोनों किनारों पर रुपई से बड़का गांव तक बांध बनाये जायं, खनुवा नदी में बलवा अफगान के खैराट तक के स्थानों पर बांध बनाये जायं और रेगुलेटर लगा करके पानी की निकासी की जाय ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान खनुवा नदी की ओर ले जाना चाहता हूं--

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । सभी पार्टियों के व्हीप आपके पास पार्टी के सदस्यों के नाम भेज देते हैं और आप अपने अनुसार उनको बुलाते हैं । यह जो भीड़ लगती है इससे बाधा पैदा होती है । सिंचाई का महत्वपूर्ण बजट है । वहां लोगों को इकट्ठा न होने दें ।

श्री अधिष्ठाता--

यह डाइस पर आना तो उचित मालूम नहीं होता । विभिन्न पार्टियों के सचेतक सूची दे देते हैं उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों को अवसर मिल जाता है ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान खनुवा नदी की तरफ ले जाना चाहता हूं । खनुवा नदी बिहार के बार्डर से लगी हुई है और इसमें पचास नाले बिहार से आ करके मिलते हैं जिसके कारण इस नदी में बाढ़ आया करती है । बाढ़ के कारण भाटपार रानी, भटनी इलाके हर साल डूबे जा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि खनुवा ग्राम से लेकर खैराट तक दोनों किनारों पर बांध बनाये जायं । आपसे निवेदन है कि भाटपाररानी इलाके का पानी का स्तर ऊंचा होता जा रहा है । इसका लेबल नीचा नहीं किया जायगा तो जो वहां पर जमीन की उर्वरा शक्ति

है वह समाप्त हो जायगी । इस पानी का लेविल नीचा करने की व्यवस्था की जाय । माननीय मंत्री जी से एक बात यह कहना चाहता हूं कि सलेमपुर तहसील को गंडक एरिया से निकाल दिया गया है । मैं चाहूंगा कि इस तहसील को गंडक कमाण्ड एरिया में जोड़ लिया जाय जिससे वहां की हालत सुधरे ।

*श्री सुजान सिंह बुन्देला––

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिए आपका बड़ा आभारी हूं और हमारे माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा जो पटल पर बजट प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान उस प्यासी धरती की ओर ले जाना चाहता हूं जहां के किसान एक–एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं । वह धरती है बुन्देलखण्ड की । मान्यवर, हमारे यहां की जमीन उपजाऊ है, हमारे यहां के किसान मेहनती हैं लेकिन सिंचाई के साधनों की कमी के कारण उनकी जो उचित पैदावार करने की लालसा है वह कम होती जा रही है । हमारे किसानों की इच्छा है कि आपके द्वारा दिए गए अच्छे किस्म के बीजों को बोकर, रासायनिक खाद का उपयोग करके अपनी पैदावार बढ़ायें लेकिन सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण वह नये तरीके की खेती नहीं कर पा रहे हैं । हमारे कुछ सुझाव हैं । ललितपुर जिला सिंचाई में बहुत पिछड़ा हुआ है । माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों को ध्यान में रखेंगे और उन पर अमल करेंगे । हमारे यहां भौगोलिक स्थिति यह है कि जिले के दक्षिणी भाग में विन्ध्याचल पर्वत है । कई नदी–नाले उसके बीच में हैं । यदि वहां छोटे–छोटे बांध बनाये जायं जिनकी लागत 50 लाख से ऊपर नहीं है तो उन छोटे–छोटे बांधों से वहां सिंचाई की जा सकती है । मेरे जिले में एक पटना गांव है उससे क्युलारी नाला निकलता है । उसका सर्वे भी हो चुका है । उसका एस्टिमेट भी लगभग 50 लाख रुपये है । उस पर बांध बनाया जाय तो 3, 4 गांवों की आसानी से सिंचाई की जा सकती है । इसी प्रकार विन्ध्याचल में दो पहाड़ों के बीच में एक नाला है जो चरई नाला कहलाता है । इसका पानी सजनम नदी में आकर गिरता है । इसी तरह ग्राम डोंगरा कलां के ऊपर बांध दिया जाय तो सजना बांध को सिल्ट होने से बचाया जा सकता है और उससे उस क्षेत्र की सिंचाई की समस्या भी हल हो सकेगी । इसके अलावा ट्यूबवेल की समस्या है । हमारे साथ सौतेली मां–सा बर्ताव होता आ रहा है । हमारे क्षेत्र को बदनाम किया जाता है कि वह पथरीला है, पठारी है और वहां ट्यूबवेल नहीं बनाये जा सकते । लेकिन हमारे जिले से लगी मध्य प्रदेश की सीमा है और सीमा के पार टीकमगढ़ जिला है जहां पर मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा बनाये गये ट्यूबवेल खूब चल रहे हैं । लेकिन हमारे अधिकारी कहते हैं कि आपके जिले में ट्यूबवेल सफल नहीं हैं तो यह ऐसी विडम्बना है कि टीकमगढ़ जिले में ट्यूबवेल सफल हों, वहां खेत को पानी मिल रहा हो लेकिन हमारे यहां सफल नहीं है । मेरी प्रार्थना यह है कि हमारे जिले का पुनः सर्व कराया जाय । जिले में 6 ब्लाक है । एक–एक ब्लाक में 1–1 दर्जन ट्यूबवेल लगाए जायं । अगर ट्यूबवेल वहां नहीं बनाये गये तो हर खेत को आप पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुजान सिंह बुन्देला---]

नहीं दे सकेंगे । दूसरे हमारे यहां जमीन ऊबड़-खाबड़ है और बलुई है जिससे बांध नहीं बनाया जा सकता न पानी का वहां अपार भंडार है । लिफ्ट योजना के जरिये उस पानी को खेतों म पहुंचाया जा सकता है जिससे सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या हल हो जायगी । जो ब्लाक मध्य प्रदेश की सीमा पर हैं उनको लिफ्ट योजना के जरिये पानी दिया जा सकता है । जैसे पिपरिया घाट पर लिफ्ट इरीगेशन से खेतों को पानी दिया जा सकता है । दूसरे नारायनी नदी है तथा सोन नदी है जो विर्धा विकास खण्ड के अन्तर्गत आती है । उन पर लिफ्ट योजना चालू की जाय तो उस विकास खण्ड के आधे खेतों को सिंचित किया जा सकता है । लिफ्ट योजनाओं में कोई बहुत खर्चा नहीं आता । विशेष खर्चा उनमें नहीं पड़ता है । एक जगह है झांसी जिले में दोन गांव जहां बेतवा नदी बह कर आती है । वहां अगर लिफ्ट योजना चालू कर दी जाय, दो-चार गांव की वहां से भी सिंचाई हो सकती है ।

मान्यवर, हमारे यहां एक तालाब है । उस तालाब को चन्देला राजाओं ने पुराने समय में बनवाया था । आज लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी इस तरह का तालाब नहीं बन पायेगा । वह आज जीर्ण-क्षीर्ण हालत में है । वह वहां की एक गांव सभा की सम्पत्ति है । उसके पास इतना धन नहीं है कि उसको वे ठीक करा सकें और उससे सिंचाई करा सकें । मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वे उस तालाब को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें और उसको सिंचाई के लिये कामयाब बनायें । उससे काफी सिंचाई हो सकती है और किसानों का भला हो सकता है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, आपका सिंचाई विभाग किसानों पर जो तावान लगाता है वह बिल्कुल गलत होता है क्योंकि ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां उसको लगाना नहीं चाहिए ।''(व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री के लिये सिंचाई के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं और विरोध पक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, विभाग द्वारा जो सिंचाई के सम्बन्ध में पुस्तिका पेश की गई है उसके अनुसार हमारे प्रदेश में कुल खेती योग्य भूमि 21,355 हजार हेक्टेयर है और सन् 1947 में जब हमें आजादी मिली थी उस समय हमारे प्रदेश की 2,866 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित थी उसके बखिलाफ सिंचाई मंत्री ने जो अनुमानित सिंचाई होने का संख्या दी है उसके अनुसार 8,719 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होने का अनुमान है । जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 1/3 भाग है । इसलिये माननीय मंत्री जी को सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिये काफी प्रयास करने की आवश्यकता है । मान्यवर, यह एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इसके लिए यह बहुत कम है । हमारे जनपद शाहजहांपुर में चार सौ हजार एकड़ भूमि कृषि योग्य है और सन् 1947 में वह 62 हजार एकड़ भूमि सिंचित थी । आप 100 हजार एकड़ भूमि का सिंचन कर पाये हैं । मान्यवर, आपके 56 जिले हैं और उनमें सबसे कम प्रतिशत हमारे शाहजहांपुर को दिया गया है । इसलिये मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से कहना चाहूंगा कि आपने 74-75 में शाहजहांपुर को 1 ट्यूबवेल दिया, 75-76 में दो ट्यूबवेल दिये और 76-77 में 3 ट्यूबवेल दिये जब कि इसके बखिलाफ जनता पार्टी के शासन काल में हमारे जिले को 70 ट्यूबवेल दिये गये थे और आपने तीन साल के अन्दर कुल 6 ट्यूबवेल दिये । मान्यवर, पूरे जिले में 250 ट्यूबवेल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । इनका जो बंटवारा किया गया है वह गलत तरीके से हुआ है । एक तहसील के अन्दर 150 ट्यूबवेल हैं और 100 ट्यूबवेल बाकी पूरे जिले में हैं । तो जिस तरीके से बंटवारा एक जिले के अंदर गलत हुआ है उसी तरह से सारे प्रदेश के अंदर बंटवारा गलत हुआ है । इसलिए मेरा कहना है कि आप सारे प्रदेश का सर्वे करवायें और देखें कि कौन-कौन से जिले और कौन-कौन सी तहसीलें ऐसी हैं जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है अथवा बहुत कम है और वहां पर सिंचाई के साधन बढ़ाने की कृपा करें ।

हमारे जिले के अंदर कुछ ब्लाक जैसे जैतीपुर, मिर्जापुर आदि ब्लाक हैं जहां पर नहर एक भी नहीं है और वहां पर ट्यूबवेल भी 1970 से पहले एक भी नहीं था । 1976 में वहां एक अधिशासी अभियंता आये मैं उनको बधाई देता हूं उन स्थानों पर जहां पर कोई आवागमन के साधन नहीं थे वहां पर उन्होंने ट्यूबवेल बनाये ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सत्यपाल सिंह--

हमारे यहां जिलाधिकारी ने मार्च, 80 के अन्दर एक योजना पुनर्वित्त निगम से बात कर 3 करोड़ रु0 की बन कर आपके यहां भेजी थी जिससे शाहजहांपुर के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गयी थी । मैं जानना चाहता हूं कि उस योजना का क्या हुआ, कितनी प्रगति हुई ।

सिंचाई विभाग के अंदर सामान खरीदने के लिए एक सेल कायम करने के लिए पिछली सरकार ने आश्वासन दिया था जिसके द्वारा खरीद-फरोख्त होगी जैसे कि विद्युत विभाग में है, रेलवे विभाग में है तथा दूसरे विभागों में है । वैसे ही सिंचाई विभाग में भी अलग से सेल बनाये जाने की बात थी क्योंकि सामान को खरीदने में बड़ी गड़बड़ होती है । उस सेल को भी आप बनायें ।

*श्री शिवराज सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने की घोषणा की है । मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार दूर होगा इस विभाग से किसानों की भलाई होगी । मैं कुछ सुझाव इस बारे में अपनी तरफ से देना चाहता हूं । यह इतना बड़ा विभाग है कि इसके अंदर जो मुख्य अभियंता हैं । शायद उनके नाम से और कार्य-कलापों से जानकारी मंत्री जी को अभी नहीं हो पायी हो । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग में सेतु निगम बन गया है निर्माण निगम बन गया है, इसी तरह से यहां भी कोई कारपोरेशन बनाने की व्यवस्था करें जिससे जो प्रोजेक्ट बनने में देरी होती है वह न हो । यदि कोई प्रोजेक्ट तीन साल में बनना है तो उसको बनते-बनते 10-15 साल लग जाते हैं और उस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवराज सिंह---]

तीन करोड़ खर्च होना होता है तो वह होते-होते 25 करोड़ में जाकर बनता है। तो इससे एक ओर भ्रष्टाचार बढ़ता है तो दूसरी ओर इनफ्लेशन बढ़ता है। मेरा सुझाव है कि अगर निगम बनेगा तो उससे टाइम बाऊंड प्रोग्राम बनेगा और समय के अंदर प्रोजेक्ट पूरे होंग इससे विभाग को लाभ होगा।

दूसरा निवेदन यह है कि आपके यहां एक सौ, डेढ़ सौ के करीब केसेज विजिलेंस में 1979 में थे जो अब दो ढाई सौ हो गये होंगे। तो इन केसेज को 5-6 साल हो जाते हैं कोई निर्णय नहीं होता है। जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चलती रहती है उनको इस बीच पूरा लाभ मिलता रहता है तो इससे भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। मेरा निवेदन है कि जैसे पी0 ए0 सी0 की रिपोर्ट में आया है बीच-बीच में उनके बारे म रिपोर्ट आती रहे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इसमें होता क्या है, जो जांच करने के लिए जाते हैं वह उसी विभाग के साधनों का इस्तेमाल करते हैं और जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच हो रही होती है उसके साथ जीप में जाते हैं तो इससे कैसे सही और निष्पक्ष जांच होगी। इसलिए मेरा निवेदन ह कि उस विभाग के साधनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। इससे कार्य-कलाप में बाधा पड़ेगी और निष्पक्ष जांच नहीं हो पायेगी। इसके साथ-साथ मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा अलीगढ़ जनपद, सहारनपुर से लेकर इटावा क्षेत्र के बीच में सबसे ज्यादा 431 हजार हेक्टेयर में खेती रता है। वहां अनुपात रूप में कम टयूबवेल लगे हुए हैं। नहरों की व्यवस्था भी ज्यादा नहीं है। माठ ब्रांच के नवीनीकरण के लिए 90 हजार मीटर ईंट की सोलिंग का प्राविधान किया है। ईंटों की सोलिंग से कोई लाभ किसानों को नहीं होने वाला है। यह ईंटें टूट जाती हैं, रास्ते खराब हो जाते हैं। चाहे 90 हजार मीटर के स्थान पर 10 हजार मीटर मिले लेकिन डामर उस पर हो जाय तो ज्यादा फायदा होगा। मेरे क्षेत्र टप्पल में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। वहां पर जो माठ ब्रांच है उसकी पटरियों को पक्का करवा दिया तो किसानों को काफी फायदा होगा।

बीस गांव टप्पल क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। उनके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। वहा पर पानी की बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके इसके लिए कोई स्थायी प्राविधान किया जाय। इन शब्दों के साथ में बजट का पुनः समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं।

श्री चंचल सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री को बधाई देता हूं उनके बजट पर। वह नौजवान एवं प्रोग्रेसिव आदमी हैं। आशा है कि पहले मंत्रियों के बजाय वह ज्यादा अच्छी तरह से काम को समझेंगे। हमारा प्रदेश पिछड़ा है, हमारे यहां किसानों की आबादी 85 प्रतिशत है। लेकिन जहां आबादी में सबसे ज्यादा है, कृषि में सबसे पिछड़ा हुआ है। जो बजट आपको मिला है, इर्रीगेशन के लिए गवर्नमेंट ने कम बजट दिया। आप कोशिश करें इस खाद और पानी के मसले पर ज्यादा से ज्यादा बजट दें और उस पर ज्यादा से ज्यादा कार्य हो। आपकी नहरों में कहीं भी टेल पर पानी नहीं आता। पतरौल, अमीन, ओवरसियर और एस0 डी0 ओ0 तक सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं। कहीं नहरों की टेल पर पानी नहीं जाता। सबसे ज्यादा पैदावार हमारे ब्लाक में हमारी तहसील में होती है, यह एफ0 सी0 आई0 की रिपोर्ट है, गेहूं, धान और गन्ना की उपज के सम्बन्ध में। उसकी तरफ पानी के लिए विशेष ध्यान देना चाहिये।

आठ लाख रुपया जमरानी डैम टाडा जिला (नैनीताल) सिंचाई का योजना के लिए सैंक्शन हुआ था, पता नहीं वह रुपया कहां लगा दिया । कल्याणी नहर में पानी जाना था वह नहीं गया । जहां सबसे ज्यादा उपज होती ह वहां पानी नहीं जा रहा है । उसकी योजना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा ह । जैसे भाखड़ा नहर है, उससे जहां पर बिलासपुर डम है वहां पानी नहीं दिया जाता । मान्यवर, पानी हरीपुर गुड़रयूज डैम से आता है । रास्ते में दो डैम और पड़ते हैं मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि वह जो 3 डैम्स हैं, उनके लिए एक समिति जिसमें गैर सरकारी प्रति निधि भी शामिल हो, बनायी जाय ताकि वहां पर पानी का बंटवारा ठीक से हो सके । और जिस क्षेत्र में गेहूं और चावल उगाया जाता है, वहां पर पानी का बंटवारा ठीक ढंग से हो सके ।

(व्यवधान)

जहां पर नहरों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पर्याप्त संख्या में ट्यूबवेल्स लगाये जाने चाहिये । ट्यूबवेल को कम से कम 12 घंटे बिजली मिलनी चाहिए अतएवं ट्यूबवेल सुपरवाइजर तथा गूलों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि पानी न बिके अतएवं किसानों को सिंचाई मिल सके ।

इसी तरह से माइनर इरीगेशन में देखा गया है कि जो किसान बैंकों से रुपया लेकर पम्पिंगसेट खरीदते हैं, उनको वे 5-5 हजार रुपय में मिल रहे हैं । जब कि उसकी कीमत ढ़ाई हजार से ज्यादा नहीं है । ऐसे किसान लुटता ह इससे जो हमारी सिंचाई ह उस पर बहुत असर पड़ता है । इसलिए हमारे माननीय मन्त्री जी को माइनर इरीगेशन की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । मेरी यह भी प्रार्थना है कि जहां पर लिफ्टिंग इरीगेशन से या नहरों का पानी टेल ऐंडस पर खेतों में नहीं पहुंच पाता है वहां के लिए मेरा सुझाव है कि नहरों के किनारे ट्यूबवेल्स लगवा कर नहरों में पानी डाला जाय ताकि सिंचाई का ठीक ढ़ंग से प्रबन्ध हो सके । ताकि कमान्ड एरिया और सिंचित एरिया में किसानों पर नाजायज बोझ न पड़े ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा देश और प्रदेश किसानों का है । इसमें 80 प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं और उनका मुख्य धंधा खेती है । खेती की तरक्की के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है । एक तो सिंचाई का बढ़िया इंतजाम हो दूसरे अच्छे बीज के साथ-साथ अच्छी खाद भी किसानों को मिलना चाहिए, तभी हमारी अच्छी खेती हो सकती है । जहां तक अपने प्रदेश में सिंचाई का सवाल है यहां पर नहरों से, ट्यूबवेलों से और बरसात के पानी से होती है । लगभग 50 प्रतिशत सिंचाई नहरों, लिफ्ट इरीगेशन और पैम्प सैट्स से होती है और शेष बरसात के पानी से होती ह, अगर पानी बरस जाता है । जब बरसात हो जाती है और फसल अच्छी हो जाती है तो उसके लिए सरकार अपनी वाहवाही लूटती है और जब पैदावार नहीं होती ह तो यह सरकार भगवान के सहारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

छोड़ देत. है । अगर हमारी सरकार भगवान. के सहारे रही तो मेरा निवेदन है कि प्रदेश में खेती की उन्नति नहीं हो सकती है । हमारे प्रदेश में जो नलकूप लगे हुए हैं उनकी जो नालियां हैं वे निरन्तर खराब रहती हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप उनका सर्वे करायें । जो पानी उन नालियों में बहता है, वह खेतों तक नहीं पहुंच पाता है नतीजा यह होत. ह कि किसानों को सिचाई के लिए अधिक पैसा देना पड़ता है । आपको इस पूरे प्रदेश के पैमाने पर जांच करायें और जहां-जहां इस तरह की स्कीम्स हैं नालियां टूटा हुई हैं, उनकी परामत कराकर उनका सुधार करें वरना सिचाई की सही व्यवस्था संभव नहीं हो सकती है ।

दूसरी चीज लिफ्ट इरीगेशन के बारे में मुझे कहना है कि मेरे क्षेत्र में लिफ्ट इरीगेशन विभाग द्वारा रूदौल. पम्प नहर 1 दिसम्बर, 1977 को बनायी गयी उसमें पानी भी आने लगा लेकिन जो राजस्व विभाग के आंकड़े हैं वे यह हैं कि वर्ष 1977-78 में 1,894 रुपये और वर्ष 1978-79 में 2,093 रुपये वसूल हुए । इसी प्रकार से वहां पर एक नवगवांडीह पम्प नहर 10-2-76 को बनी । उसमें वर्ष 1976-77 में केवल 730 रुपया वसूल हुआ, 1977-78 में 1,369 रुपया और वर्ष 1978-79 में 1,559 रुपये आये । लिफ्ट इरीगेशन से कितनी सिचाई होती है यह इसी से समझ लेना चाहिये। यह सिद्ध करता है कि विभाग के अधिकारियों का खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए कितना प्रयास है । वे इस ओर कितना प्रयत्नशील हैं यह इससे जाहिर है ।

दूसरी बात यह कि किसानों को कभी समय से पानी नहीं मिलता । जो नलकूप बिजली से चलते हैं उनकी हालत यह है कि उनको बिजली समय से नहीं मिलती । किसान जाड़ों के दिनों में रातों को इन्तजार करता रह जाता है कि अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा, लेकिन बाद को निराशा ह. उसके हाथ लगती है और उसका सारा समय भी बरबाद जाता है ।

कमान्ड एरिया के जो वर्तमान नियम हैं उनके रहते न तो किसान अपना निजी नलकूप लगा पाता है और न सरकारी ही लग पाते हैं । इसलिए कमांड एरिया की छूट के संबंध में विचार करना चाहिये सरकार को ।

प्रशासन प्रदेश में नहरों का जाल बिछाना चाहता है, नहरें तो बनती जाती हैं पर उनमें पानी नहीं रहता । पानी का काफी कमी है या फिर यह कहा जाये कि आपके अधिकारियों की सिचाई के मामले में कोताही करना है । इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये कि जो नहरें बने उसमें पानी उपलब्ध हो सके ।

सिचाई विभाग के दो काम हैं--एक तो सिचाई की व्यवस्था करना तथा दूसरा बाढ़ नियंत्रण । बाढ़ नियंत्रण के मामले में आपका विभाग बिलकुल असफल रहा । जब बाढ़ आती है तो आपके अधिकारी बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनको उसी से बड़ा लाभ होता है । सारा का सारा माल गायब कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि बाढ़ में बह गया । बाढ़ की टेम्पोरेरी रोकथाम के लिए जो लाखों रुपया व्यय किया जाता है इसको रोका जाये और इसकी जगह पर कोई स्थायी हल निकाला जाये, एक विस्तृत योजना बनायी जाये और इसका मंत्रालय ही एक अलग से बनाया जाये । तभी बाढ़ पर काबू पाया जा सकता है अन्यथा नहीं ।

नदी के किनारे जो गांव बसे हुये हैं वहां के लोगों को प्रेरित करके वहां से हटाकर कहीं दूसरी सुरक्षित जगह पर बसाना चाहिये क्योंकि हर साल बाढ़ के कारण वहां के बसने वाले किसान तबाह और बरबाद हो जाते हैं। इसलिए सरकार को इन लोगों को रहने के लिए मकान आदि की व्यवस्था करना चाहिये।

भ्रष्टाचार के लिए यह विभाग बहुत ही मशहूर है और इसे सफेद हाथी कहा जाता है। इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हमें पहले अपने आचरण को, यहां बैठने वाले माननीय सदस्यों को पहले अपने आचरण को सम्भालना होगा, ठीक करना होगा, भ्रष्टाचार की गंगोत्री दिल्ली है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्रीमती कमला साहनो--

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी द्वारा सदन के पटल पर रखे हुये सिंचाई के बजट का मैं समर्थन करती हूं और साथ की साथ में कुछ सुझाव भी रखना चाहती हूं। मान्यवर, मैं ऐसे जिले से चुन कर आई हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि "बस्ती को बस्ती कहूं, तो काका कहूं उजाड़।" मान्यवर, अभी बस्ती बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत गरीब है। बहुत कंगाल है। उसके पिछड़ने का कुछ कारण है। हर साल वहां बाढ़ आती है। तमाम पहाड़ी नदियां हैं, नाले हैं जिनकी बाढ़ से हर साल फसल बरबाद होती है और उसके बाद जब रबी की फसल की बात आती है, तो सिंचाई के लिए वहां ट्यूबवेल नहीं है, जिससे जनता अपने खेतों की सिंचाई कर सके। इस तरह वहां दोनो फसल बरबाद हो जाती है और वहां के किसान जो महतो कहे जाते हैं जिनकी गांवों में बड़ी इज्जत होती है, वह रिक्शा चलाने शहर में चले आते हैं और यह कहने में दुःख होता है, भीख मांगने चले आते हैं। तो इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहती हूं। सोहरतगढ़ में मेरे स्वर्गीय पतिदेव श्री प्रभू दयाल विद्यार्थी का एक स्वप्न था। उन्होंने सोचा कि वहां से अपने देश की तरक्की के लिये, बहबूदी के लिए बांध बनवाने का प्रयास उन्होंने किया और उस प्रयास के फलस्वरूप अतिरिक्त मुख्य अभियंता, बाढ़ के श्री पी0 एल0 विजय द्वारा सर्वेक्षण कराया गया और यह आदेश दिया गया कि प्रोजेक्ट बना कर वहां पर बांध बनवाया जाय। इस बांध के सम्बन्ध में मेरा भी यही स्वप्ना है। इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री जी से बात किया और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया, सम्बन्धित अधिकारी से इस बांध को बनवाने के लिए कहा, लेकन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सम्बन्धित अधिकारी ने जो जवाब दिया, उससे मेरी आशाओं पर तुषाराघात हुआ। उन्होंने कहा कि यदि वह बांध बन गया, तो गोरखपुर बह जायगा। तो इस प्रकार से कहकर माननीय मंत्री जी को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपका गोरखपुर बह जायगा। मान्यवर, हमारे अहरी बांध को कमरही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती कमला साहनी---]

में मिला दिया जाय । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इस बांध को यथा शीघ्र बनाया जाय क्योंकि बस्ती में नौगढ़ का बांध मशहूर है । मान्यवर, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि वहां पर ट्यूबवेल बिलकुल नहीं है जिसके कारण सिंचाई बिलकुल नहीं हो पाती है । हमारे सोहरतगढ़ क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्यूबवेल देकर उस क्षेत्र की समस्या का समाधान किया जाय । एक बात और मुझे कहना है । वहां पर नहरें बहुत पहले बनी थीं, उन नहरों के बनने में जिन लोगों की जमीन ली गयी, उनमें से बहुत से किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया । आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जिन लोगों के मुआवजा नहीं दिया गया, उन्हें मुआवजा दे दिया जाय ताकि उनकी आंसू पुछ सकें । मान्यवर, वहां पर कुछ और नहरें बनाने की बात हो रही है । लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि नहर बनाने के लिये जो स्थान चुना गया है, उसके रास्ते में कुछ बड़े लोगों का खेत पड़ रहा है और बड़े लोग कुछ प्रयत्नशील हैं और शायद इस मामले में सफल भी हो रहे हैं । बड़े लोग चाहते हैं कि गरीब लोगों का खेत निकल जाय । जिनके पास 2-4 बीघे खेत हैं, यदि गरीब लोग मारे गये, तो इससे शासन बदनाम होगा । तो मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और गरीब जनता के उत्थान पर ध्यान दें ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, मैं उसको समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं । सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसका बजट लगभग 2 अरब के करीब है और इस बजट में विभाग की बहुत सी नेकनामी है । आजकल सब से ज्यादा इसी विभाग में खराबी है । पहले 8 प्रतिशत था और अब 18 प्रतिशत और हमारे विरोध पक्षवालों की सूचना 20 प्रतिशत की है, बल्कि 24 प्रतिशत कमीशन की है । तो इस तरह 48 करोड़ रु0 कमीशन में चला जायेगा । इसलिये इस पर जरा सख्ती से निगाह रखने की जरूरत है । दूसरी चीज है आपके यहां स्थानान्तरण, इसके बारे में मुझे मालुम हुआ है विश्वस्त सूत्रों द्वारा कि मुख्य अभियन्ता के रेट बधे हुये हैं । इसमें 5 हजार से लेकर 40 (चालीस) हजार रु0 तक के रेट हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की तरफ आता हूं । मैं प्रतापगढ़ के वीरापुर क्षेत्र से चुनकर आया हूं । हमारे यहां एक सई नदी है, जो उस क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटती है और उसके अगल-बगल नहरें जा रही हैं तथा कुछ ट्यूबवेल बनाये गये हैं । जिनमें 70 प्रतिशत ट्यूबवेल ऐसे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं और जिनमें से कुछ ऐसे हैं, जिनकी डिस्चार्ज डिलिवरी ठीक नहीं है, उनकी ड्रिल ठीक कराने के लायक है, जिससे ड्रिलिंग ठीक ढंग से हो सके । तीसरी बात मान्यवर, यह है कि हमारे जिले में 5 ट्यूबवेल दिये गये हैं । जिसमें से उस जिले में 15 ब्लाक हैं और 7 विधायकों के क्षेत्र हैं । इसके अतिरिक्त एसोसिएटेड ट्यूबवेल्स की ओर से 50 ट्यूबवेल हमारे जनपद में दिए गये हैं, एस0 एफ0 डी0 ए0 स्कीम के अन्तर्गत है । यह स्कीम 10 ब्लाकों में ह और हमारा क्षेत्र वीरापुर इन 10 ब्लाकों में नहीं आता है । इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 20 ट्यूबवेल हमारे क्षत्र में दिय जायें और चौथी बात यह है कि दिन प्रति दिन बाढ़ समस्या हमारे जनपद में बढ़ती जा रही है, जो न गांवों

को ऊंचा करने से हल होने वाला है, बल्कि इसकी साइन्टिफिक रिसर्च करनी पड़ेगी। हर साल जो इतना पानी बरसता है, जिससे नदियों का तला ऊंचा होता चला जा रहा है। अगर यह बाढ़ समस्या हल नहीं की गयी समय रहते तो 20 वर्षों में पूरा क्षेत्र जल प्लावित हो जायेगा। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में जो बहुत परेशानी का कारण आजकल बना है, वह है दमदम नाला, जो इलाहाबाद की तरफ जाता है जिसको इलाहाबाद वाले बांध लेते हैं।

(व्यवधान)

दूसरा एक नाला और है जो जौनपुर की तरफ जाता है, जो रामनगर के पास जौनपुर के तरफ पहुंचाता है उसको जौनपुर वाले बांध लेते हैं।

(शोर)

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसका आभारी हूं और बजट का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री अमर सिंह--

मान्यवर, मेरा क्षेत्र जनपद सहारनपुर का उत्तरी क्षेत्र है। जनपद सहारनपुर का उत्तरी क्षेत्र जमुना और गंगा तक है यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह ठीक है कि यह शिवालिक से नीचे-नीचे है किन्तु उसे तराई का क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। वह पत्थर और रेत से भरा हुआ क्षेत्र है। वहां पर ट्यूबवेल लगाना हर किसान के लिये आसान नहीं है। मैं सिंचाई विभाग की जो प्रसार पुस्तिका प्रस्तुत की गई है उसका हवाला देते हुये कहना चाहता हूं कि सहारनपुर जनपद का उत्तरी भाग पूर्वी नहर के शीर्ष के निकट दोनों ओर का क्षेत्र ऊंचा होने के कारण सिंचाई सुविधाओं से बंचित है इस क्षेत्र में भूगर्भ जल उपलब्ध नहीं है इस क्षेत्र में पेय जल का भी अभाव है। जब सरकार यह मानती है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देल खण्ड और पूर्वी क्षेत्रों के बहुत से जिलों को पिछड़े क्षेत्रों में शामिल किया है उनमें सहारनपुर का यह क्षेत्र लगभग 80 कि0 मी0 लम्बा और 30 कि0 मी0 चौड़ा है उसे भी उसी दृष्टि से शामिल किया जाय। यहां का वाटर लेवेल डेढ़ सौ, 200 फिट है। यहां कृषकों के लिये वह सम्भव नहीं है कि वह निजी संसाधन से ट्यूबवेल लगा सकें। जिस प्रकार से पेय जल योजना में जल निगम ने वहां पर विशेष किस्म की मशीनों का प्रबन्ध किया है उसी तरह का सिंचाई विभाग भी पत्थर काटने के लिये मशीन का प्रबन्ध करें जल निगम ने कई विभागों से विशेष ड्रिल मशीन का प्रबन्ध किया है। इसी तरह से इस क्षेत्र के लिये विशेष प्रकार की ड्रिल मशीनों का प्रबन्ध किया जाय। एक बात बहुत जरूरी है मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पृष्ठ 24 पर भूमि गत जल का अधिकाधिक उपयोग करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से इस वर्ष 12 जनपदों में 500 ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था की है। उन 12 जनपद में हमारा सहारनपुर भी है। जनपद सहारनपुर में जो योजना शुरू की गई है उसमें जमुना का खादर ले लिया गया है जहां 30-40 फिट पर पानी है और कृषक भी आसानी से सिंचाई की व्यवस्था वहां कर सकता है।

[श्री अमर सिंह--]

(1 बजकर 54 मिनट)

में नहीं समझता विभाग ने इस स्थान को क्यों लिया है । धाड़ जैसे क्षेत्र में जहां सिंचाई का अभाव है पेय जल का अभाव है उस क्षेत्र में क्यों नहीं इनको किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस क्षेत्र को निकाल कर सहारनपुर का उत्तरी भाग लेने की कृपा करें । विभाग ने अपनी पुस्तिका में सहारनपुर जनपद को भी बाढ़ ग्रस्त जिला माना है । मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में 16 बड़ी नदियां पहाड़ से निकलकर बहती हैं इन नदियों से हर बरसात में कटन वाली आबादी और कृषि योग्य भूमि को बचाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री अमर सिंह--

जो क्षेत्र की आबादी है, कृषि योग्य भूमि है, बेकार हो गया है ।

(व्यवधान)

*श्री राम कुंवर सिंह--

जो माननीय मंत्री द्वारा अनुदान प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । खेती के लिए चार चीजों की जरूरत होती है । जोताई, बुआई, बीज और पानी । लेकिन मेरा मत है कि अगर बीज का अभाव हो, जोताई कम हो, खाद का अनुपात कम हो, पानी सही मात्रा में अगर मिले तो पैदावार अधिक से अधिक हो सकती है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से मंत्री जी से कि इस पर विशेष बल देकर उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या को हल करने के लिए भरपूर प्रयास करें । देश की आजादी के बाद 27 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा हो पायी है तो मेरा खयाल है कि सौ प्रतिशत सिंचाई के लिए सैकड़ों बरस अभी लगेंगे । इसलिए इस पर बल देना चाहिए । अपने जिले की एक समस्या रखना चाहता हूं कि मेरा खयाल है उत्तर प्रदेश के गरीब जिलों में आजमगढ़ का भी स्थान है । मेरे जिले में साढ़े चौदह लाख एकड़ जमीन है, साढ़े 4 लाख में नदी तालाब और आबादी है, 10 लाख में खेती का काम होता है । यह दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी खेती के अलावा और कोई दूसरा साधन अभी तक नहीं हो पाया है । और सिंचाई भी केवल 27 प्रतिशत हो पायी है । इसलिए निवेदन है कि सिंचाई के अधिक से अधिक साधन जुटाने चाहिए । मैं उस क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं जहां से मैं चुन कर आता हूं । दुर्भाग्य है कि आजादी के 33 साल हो गये और केवल एक सरकारी ट्यूबवेल लगा है । तो मैं चाहता हूं कि अगर उस क्षेत्र के किसानों के भाग्य का फैसला करना चाहते हैं तो इसके लिए विशेष ध्यान दें । सड़क, बिजली, स्कूलों का अभाव है । मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है और वहां भी गहपतपुर । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां ट्यूबवेलों की व्यवस्था करायें । हमारे यहां किसान खेत बन्धक रख कर, गहना रख कर जो निजी ट्यूबवेल लगाये हैं, उनकी दरखास्तें दफ्तरों में पड़ी हैं, उनका निपटारा नहीं हो पाया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले में बाढ़ का महान प्रकोप है । जब बाढ़ आती है तो फसल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डूब जाता है । खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती है । जो नई योजना कैंप ट्यूब योजना, है वह हमारे जिले में लगाई जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त हो गया ।

(व्यवधान)

श्री गोरे लाल शाक्य--

अधिष्ठाता महोदय, मैं विपक्ष के लोगों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग की नंगी आलोचना करने का न पक्ष को और न विपक्ष को कोई आधार नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपस में कृपया बात न करें ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

सिंचाई विभाग पर कितना ध्यान दिया जाता है । दो अरब से ज्यादा का बजट केवल सिंचाई विभाग पर खर्च किया जा रहा है । इस तरह से आप स्वयं जानते हैं कि सिंचाई की तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है । हजारों इन्जीनियर इस विभाग में लगे हुए हैं । कोई कारण इस विभाग की नंगी आलोचना का नहीं है । पिछले साल जो अकाल पड़ा उसमें सिंचाई की व्यवस्था इस तरह से की गयी कि कोई भूखों नहीं मरा, सिंचाई के अभाव में कोई खेत सूखा नहीं । इस तरह से जाहिर है कि सिंचाई की कितनी सुदृढ़ व्यवस्था की गयी । अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ सुझाव दूंगा जिससे आप समझ जायेंगे कि मैं कितनी सही बात करता हूं ।

एक सदस्य--

मंत्री बनवा दीजिये ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

नहरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । सिंचाई क्षमता में वृद्धि की जा रही है । तमाम नई योजनायें लागू की जा रही हैं । कार्यशालाओं में वृद्धि की जा रही है । इससे सिंचाई विभाग की नंगी आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है लेकिन सुझाव देने का औचित्य अवश्य है । माननीय अधिष्ठाता महोदय एक-एक करके सुझाव दे रहा हूं । विपक्ष की बात जो सही है, स्वीकार करता हूं । स्व० श्री जय प्रकाश जी ने एक सुझाव दिया था कि योजनायें लागू की जाती हैं और उनका रिजल्ट निकलता है 20-25 साल बाद । योजनाओं का रिजल्ट तुरन्त आना चाहिये । उन्होंने सुझाव दिया था कि लिफ्ट कैनालों को प्रयोग में लाया जाये । इनका निर्माण किया जाये । लिफ्ट कैनाल की ओर ध्यान

[श्री गोरे ल ल शाक्य--]

नहीं दिया गया । तम म नदियों का पानी हमेशा बहता रहता है । उन्हीं नदियों से लिफ्ट कैनाल को बनाकर इसका उपयोग किया जाये । तालाबों की तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं गया । छोटे-छोट तालाबों का निर्माण हो जो 2-3 मौजों की सिचाई कर सकें । छोटे-छोटे बांध बनाए जायें जो केवल 10-20 लाख रुपया खर्च के हों । इन तीनों सुझावों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये जिससे कि सिंचाई की व्यवस्था हो सके । पठारी भूमि म ट्यूबवेल काम कर सकते हैं, उन्हें लगाया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

हमारे भरथना क्षेत्र में अन्हैया नदी है उसे गहरा किया जाना चाहिये । अभी भी बाढ़ में इस नदी ने कम से कम 10 मौतें कर दीं ।

(व्यवधान)

हमारे क्षेत्र में इटावा में पचनदा बांध योजना है इस योजना के लिए एक हजार करोड़ की व्यवस्था की जाये । और वह बांध जो अन्तर्राज्यीय बांध है शीघ्र बनवाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

(व्यवधान)

*श्री बाबू सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । यह बात जरूर थी कि कुछ दिन पहले हम भी उधर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सके । लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी है । मान्यवर, एक शेर है--

खुदा जाने किसानों की बर्बादी में है हाथ किसका,
मगर सब देखने वाले तुम्हारा नाम लेते हैं ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे यहां गर्की होती है । गर्की का पानी नालियों से निकाला जाता है । माननीय मंत्री जी कृपया तवज्जह दें । अधिकारी कहते हैं कि कानून से मजबूर हैं । जो पानी गर्की का नालियों से निकाला जाता है, किसान किसी तरह से उससे अपनी सिंचाई कर लेते ह । लेकिन आपके अधिकारी उनसे उसके लिये आबपाशी लेते हैं । जब अधिकारियों को दरख्वास्त दी जाती है कि गर्की का जो पानी बेकार जा रहा था, उस पानी से किसान लोग मेहनत करके सिंचाई कर लेते हैं, तो आपको आबपाशी नहीं लेना चाहिये । लेकिन अधिकारी कहते हैं कि हम मजबूर हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्योंकि कानून उसी तरह का है। इसलिये माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें संशोधन कर दें कि जो पानी बेकार जा रहा है, गर्की का, जिसको ड्रेनेज निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं, उसके लिये किसानों से आबपाशी न लें।

दूसरी बात है कि जहां पर आपका 200/150 बीघे का रकबा कमान्ड का है जिसके चारों तरफ सिंचाई होती है, वहां पर किसान ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। तो रकबा तो मौजूद है। हमारे महाराजगंज में ऐसी स्थिति मौजूद है। वहां का किसान ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। अधिकारी कहते हैं कि नये कुलाबे नहीं दे सकते। नहरों से ही सिंचाई हो सकती है। थोड़ा रकबा है। तो निवेदन है कि वहां के लिये व्यवस्था करें।

तीसरा सुझाव यह है कि हमारे यहां एक बड़ी स्कीम सन् 1962 से चल रही है ताकि गर्की के कारण खेतों को बर्बाद होने से रोका जा सके। लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुयी कि वहां ट्यूबवेल लगाकर उस पानी को नहर में डाल दिया जाय। गर्की के कारण लाखों बीघे जमीन बेकार पड़ी है। एक मील के दायरे में किसान रहते हैं। लेकिन उनके लिये कोई प्रबन्ध नहीं हो सका। अगर यही सूरत रही तो एल० जी० सी० और जमुना के बीच के जो गांव हैं, वे उजड़ जायेंगे। इसलिये निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी उसकी तरफ तवज्जह दें ताकि उचित व्यवस्था हो सके।

मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं कि एल० जी० सी० और गंगा के बीच जो बांध हैं, उनके किनारे आने-जाने का मार्ग है। आये दिन बंधे टूटते हैं। दूसरा जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिये वहां जनता के जो रास्ते हैं, उनको पक्का करा दें तो देहात के लोगों को आने जाने की सुविधा हो जायेगी। जो गांव का रास्ता बंधों से होकर है, उसके जरिये से जाने में लोगों को आसानी हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बाबू सिंह--

मान्यवर, एक बात कहकर समाप्त करता हूं कि जो त्रिपुरा स्कीम है, उसमें बारिस के कारण 50 गांव उजड़ रहे हैं। निवेदन है कि आप वहां नालियां जल्द से जल्द बना दें ताकि वहां के किसानों को राहत मिले। इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबाल हुसैन--]

में तथा माननीय नेता सदन ने अपने बजट भाषण में यह वादा किया था, और आपकी सरकार ने वादा किया था कि आप क्षत्रीय असमानता को दूर करेंग। मान्यवर, मैं गोंडा जनपद से चुनकर आया हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में गोंडा जनपद का द्वितीय स्थान है जहां पर 529·9 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। पहले स्थान पर बस्ती जिला आता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गोंडा जनपद जो दूसरे स्थान पर आता है वहां सरकारी साधनों से सिंचाई का क्षेत्रफल 53·27 हजार एकड़ है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जनपद गोंडा सिंचाई के मामले में इस प्रदेश में सबसे पिछड़ा जनपद है। मान्यवर, यह जो बजट रखा गया है इसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा है। इसमें खासतौर से इलाहाबाद, वाराणसी जनपद, जहां पर 90 प्रतिशत भूमि पर सरकारी साधनों से सिंचाई की व्यवस्था है वहां के लिये व्यवस्था है लेकिन जो क्षेत्र पिछड़े हैं वहां पर आपने नलकूपों की व्यवस्था नहीं की है। इलाहाबाद के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां 470 हजार हेक्टेयर में से 437 हजार हेक्टेयर सिंचित किया जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्रीय असमानता को आप दूर करें और पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायें ताकि देश का उत्पादन बढ़ाया जा सके। मैं सुझाव के रूप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सिंचाई से सम्बन्धित, दूसरा बाढ़ नियंत्रण और तीसरे जल निष्कासन व्यवस्था आप कराते हैं। आपने बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में अपने बजट में कुछ प्रस्ताव किये हैं। लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल इस प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित होता है। वर्ष 1979-80 में केवल 0·90 लाख हेक्टेयर में बाढ़ नियंत्रण का काम करा पाये हैं। इसके बाद आप इसको घटाकर 0·7 लाख हेक्टेयर में बाढ़ नियंत्रण का प्रबन्ध कर पाये हैं। आपकी इस पुस्तिका से साफ जाहिर है कि 1971-72 में 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आज बाढ़ से पूरे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसको सभी लोग जानते हैं। यहां पर नियम 301 और नियम 51 के अन्तर्गत इन्हीं बाढ़ नियंत्रण और प्रभावित लोगों के बारे में राहत पहुंचाने की सूचना दी जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राप्ती नदी से जो बाढ़ आती है। उसके संरक्षण का लक्ष्य 1978-79 में 30 प्रतिशत रखा था। 1979-80 में 50 प्रतिशत का लक्ष्य रखा था। उस लक्ष्य के अनुपात में जो आपने उपलब्धि की है वह शून्य है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाढ़ से जहां पर यह तबाही आती है और आप बाढ़ नियंत्रण का लक्ष्य 30 और 50 प्रतिशत रखते हैं लेकिन उपलब्धि शून्य होती है तो आप इस शून्य को समाप्त करें और प्रदेश को बाढ़ से निजात दिलायें और प्रभावकारी कदम उठाकर बाढ़ नियंत्रण करें। मान्यवर, आये दिन यह बात होती है कि जहां पर नयी नहर निकलती है, जैसे गोंडा में सरजू से नहर निकल रही है और किसानों की जमीन ली जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त । (व्यवधान) श्री जैराज गौतम ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अकबाल हुसैन--

(व्यवधान के मध्य बोलते रहे) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमि अधिग्रहण की गयी है और उसका जो मुआवजा देना चाहते हैं वह आप उनको जल्दी दिलवायें (व्यवधान) मान्यवर, चकबन्दी को काम अपने विभाग द्वारा करायें जिससे आपके पैसे की बचत होगी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री जैराज गौतम--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर इस माननीय सदन में दो शब्द कहने का मौका दिया है । सिंचाई मन्त्री जी ने जो बजट सदन में रखा है मैं उसका जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं उतने ही जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं ।

श्रीमन्, यह सही है कि प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है; गांव में किसान और मजदूर भूमि को चीर करके गल्ला पैदा करता है और गल्ले के लिये सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण साधन है । जितनी सिंचाई की व्यवस्था देहातों में आप करेंगे उतना ही पैदावार अच्छी होगी और जब पैदावार अच्छी होगी तो उतने ही अच्छे तरीके से हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे । मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विभाग में कुछ ऐसी कमियां हैं जिनमें प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये आपके बड़े-बड़े अधिकारी खा जाते हैं और यह रुपया पता नहीं लगता है कि कहां खा लिया गया । इसलिये इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और विशेष रूप से मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे सुझावों पर प्राथमिकता देकर देखें ।

मान्यवर, सबसे पहला सुझाव यह है कि आपके शारदा सहायक के हेड पर जो सिल्ट इक्सक्लूडर बना है वह दोषपूर्ण है । उसमें जितनी बालू जानी चाहिये उससे अधिक मात्रा में बालू जाती है जिसके सफाई के नाम पर आपके बड़े-बड़े अधिकारी लाखों रुपये खा जाते हैं और आपको पता नहीं होता है। चूंकि यह टेक्निकल प्वाइन्ट है इसलिये सिल्ट इक्सक्लूडर में सुधार किया जाय ।

मान्यवर, शारदा सहायक नहर के माध्यम से जो नाले और नदियां निकलती हैं उसके लिए एक निश्चित फारमूला बना है । वह यह है कि क्यू=सी0 एम0 3/4, क्यू=पानी की मात्रा और एम=एरिया इन स्कवायर माइल लिया जाता है,

[श्री जैराज गौतम]

सी कान्स्टेन्ट होता है जिसकी 15 वैल्यू होती है । तो मान्यवर, वैल्यू कम होने से पानी जितना नदियों और नालों में आना चाहिये उससे तीन-चार गुना पानी आता है जिससे भूमि पानी से डूब जाती है और लाखों रुपये की फसल नष्ट हो जाती है । इसलिए मान्यवर, मंत्री जी से अनुरोध है कि जो इन्होंने कान्स्टेन्ट वल्यू कम रखी है उसको बढ़ाने की कृपा करें ताकि जल के फैलाव को हम रोक सकें ।

मान्यवर, तीसरा सुझाव अक्सर देखा गया है कि आपके अधिकारी अधिक सिंचाई की एरिया लिखकर भेज देते हैं कि इतनी हमने सिंचाई किया और जब बाढ़ और सूखा की स्थिति आती है तो एरिया को कम कर देते हैं जिससे एक तरफ तो आपको राजस्व की हानि होती है और दूसरी तरफ फर्जी मुआवजे के नाम पर लाखों रुपये यह अधिकारी लोग खा जाते हैं । लाखों रुपया इनके जेब में जाते हैं जिससे किसान वंचित रह जाते हैं । मेरा कहना है कि पेट्रोल, डीजल मंहगा होने के बावजूद आपके अधिकारी विभाग के काम में कम अपने निजी काम में अधिक लगे रहते हैं चाहे इनकी बीबी दस मरतबे मार्केटिंग करती हों चाहे इनके बच्चों को सुबह-शाम स्कूल पहुंचाना हो । मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में ट्रान्सपोर्ट डिपो हैं वहां पर इनकी गाड़ियों को सायंकाल रोका जाय और जब जरूरत पड़े मंगा ली जायं । इससे जो आपका पेट्रोल और तेल का खर्चा आता है उसमें बचत होगी ।

अपने जिले के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं सुल्तानपुर जिले से आता हूं ....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

श्री जैराज गौतम--

दो मिनट और दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री जिया राम शुक्ल...।

श्री जैराज गौतम--

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जिया राम शुक्ल 'विकल', साकेती--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया सिंचाई के बजट पर बोलने के लिए ।

कल से इस बजट पर जो व्यंग चल रहे हैं उनसे तो लगता है कि यह सिंचाई बजट है कि सिंचाई बजट । बहरहाल हमारे माननीय सदस्य चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के अपने-अपने सुझाव अपने ढंग से रखते हैं हमें सुनना चाहिये, स्वीकार करना चाहिये ।

मान्यवर, यह सर्वमान्य सत्य है कि चाहे इस संसार के सभी आविष्कार नष्ट हो जायं मगर सिंचाई का व्यवस्था रहेगी तो मानव जिन्दा रहेगा । शारदा

सहायक परियोजना भी एक व्यवस्था है जिससे शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह व्यवस्था चलती रहेगी तो सिंचाई की व्यवस्था चलती रहेगी। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए मैं माननीय मंत्री जी और विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था निकाली जिससे किसी शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं इस विषय में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस नहर से जहां लाभ है वहां स्थानीय रूप से कहीं-कहीं कुछ हानियां भी हो जाती हैं। मेरे क्षेत्र कटेहरी फैजाबाद, में एक झील है दखन झील। इस झील में बीस किलोमीटर में पानी होगा। इसके तीन तरफ शारदा कैनाल घूमती है। इस समय झील से गांव डूबे हुये हैं। शारदा कैनाल के अन्दर एक साइफन बना है। वह इतनी निचाई पर है कि वहां तक पानी नहीं पहुंचता, पानी आगे नहीं बढ़ता। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस साइफन से इस पार और उस पार नाला खुदवाकर लोनी नदी से मिलाया जाय जिससे इस झील को बाढ़ का स्थायी हल निकाला जा सके। 15 गांव डूबे हुये हैं। नदी तो उतर रही है लेकिन झील का पानी बरकरार रहेगा। खरीफ की फसल तो नष्ट हो गई, रबी की फसल भी नहीं बोई जा सकेगी यदि इसी प्रकार पानी भरा रहेगा। इसी के साथ-साथ इस नहर के चार माइनर्स निकाल करके इस झील में डाल दिये गये थे, ड्रेनिंग के लिए। चार माइनरों का पानी झील में आने से झील का लेबल ऊपर आ गया। मेरा विभाग से निवेदन है कि उन माइनरों को पालों में डाला जाय। इसी प्रकार मेरा क्षेत्र का दक्खिन तीन नालों के बीच में है, मड़वा विसही, मझही, वहां नहर नहीं जा सकता .. मैं निवेदन करूंगा कि विसही और मझही के बीच में नहर निकाली जाय जिससे आजमगढ़ दुर्वासा तक सिंचाई हो सकती है। उसी क्षेत्र में जहां नदियों का दबाव है उसमें कोई सड़क नहीं है, पुल नहीं है ट्यूबवेल की वहां अधिक से अधिक सुविधा दी जाय, दोआबा क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र को सिंचाई हो सके। इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं उनका समर्थन करता हूं और रियासत हुसैन साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसकी निन्दा करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस थोड़े से समय में बहुत विस्तार से ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं कर सकता इसलिए संक्षेप में विशेष महत्व की बातों की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा। पूर्वी जमुना नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा गाजियाबाद के पश्चिमी भाग की सिंचाई करती है। यह बहुत पुरानी नहर है जो शेरशाह सूरी के समय में बनी थी। पिछले बजटों में इस नहर के आधुनीकरण की चर्चा की गई है लेकिन उस पर कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है जिससे उस क्षेत्र की बहुत हानि हो रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस परियोजना का कार्य कब तक समाप्त हो जायगा इसका वह उत्तर देने की कृपा करेंगे।

अभी दो वर्ष पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर में एक लिफ्ट कैनाल योजना कृष्णा नदी दोआबा के नाम से बनाई गई थी। वह योजना पिछले बजट में स्वीकृत की गई थी और शुरू भी हो गयी थी लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि उस परियोजना को अब समाप्त किया जा रहा है। साढ़े 5 करोड़ की वह योजना है और 70 गांव उससे प्रभावित हैं। अगर सरकार उसको वापस लेती है तो

[श्री नरेन्द्र सिंह—]

अनेक लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा । यहां जल स्तर 80 फुट नीचे चला गया है जब कि पहले 28 फुट नीचे था । मंत्री महोदय निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में सूचना देंगे कि इस परियोजना के सम्बन्ध में सरकार ने कोई परिवर्तन तो नहीं किया है ।

इसके अलावा एक तावान की प्रथा है जो किसानों पर लगाया जाता है । नार्दन इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज ऐक्ट, 1973 में बना था और यह ऐक्ट ब्रिटिश शासन के एक अवशेष के रूप में यह चला आ रहा है । कोई एक आदमी नहर काटने वाला होता है लेकिन पूरे के पूरे गांव पर एक-एक लाख रुपया तक तावान लगा दिया जाता है ।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखालाल पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, यह कानून बहुत पुराना हो गया है । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस कानून में निश्चित रूप से परिवर्तन करें । जो आदमी नहर काटता है उसी को सजा मिलनी चाहिए उसी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए सारे गांव को उस कानून के अन्दर जो सजा दी जाती है, वैसे नहीं होना चाहिए । अतः इस कानून को बदलने का मंत्री जी पूरा प्रयास करें ।

दूसरी बात यह है कि जो कमांड एरिया नहर तथा ट्यूब वेल कुलाबों का है । उसका री-फिक्सेशन होना चाहिए । मान्यवर, आज का किसान ऐसी वेराइटी खेतों में बोता है जिसके लिये बहुत पानी की आवश्यकता होती है । इसलिए आज रि-फिक्सेशन आफ दि कमांन्ड एरिया होना चाहिए । उससे किसान को और पूरे प्रदेश को बहुत लाभ होगा ।

आबपाशी के बारे में भी टैक्स के सम्बन्ध में किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है । मान्यवर, अगर किसान खेत में केवल एक आबपाशी करता ह तो उसको पूरा टैक्स देना पड़ता है । इस बारे में एक लकड़वाला समिति भी बैठी थी और उसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी । उसकी सिफारिश थी कि जितना हम किसी खेत के लिये पानी लेंगे उसी के अनुसार उसका पैसा भी लिया जायेगा । आज हम अगर समाजवाद की बात करते हैं तो उसी के अनुसार हमें इस तरह के क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए । जितने पानी का उपयोग किया जाय उतना ही हम से टैक्स भी लिया जाय । इस तरह का कानून होना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त मैं निर्माण कार्यों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । मान्यवर, सिंचाई विभाग के लोग या तो डिपार्टमेंट के माध्यम से कार्य कराते हैं अथवा ठेकेदारों के माध्यम से करते हैं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्यों ने विस्तार से कहा है । इसलिये यदि मंत्री जी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करा दें तो बहुत सीमा तक भ्रष्टाचार दूर हो जायेगा । इसलिये मैं विशेष रूप से जोर देना चाहूंगा क्योंकि यदि एक करोड़ रुपया विभाग में खर्च होता है तो निश्चित रूप से 50 लाख रूपया विभाग के अधिकारियों, ठेकेदारों, सहायक अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ता और यहां तक कि एस० सी० तक खा लेते हैं । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय निर्भय नारायण सिंह, आप केवल 3 मिनट का ही समय लें क्योंकि 3 बजे इसको समाप्त होना है ।

*श्री निर्भय नारायण सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्तावक पर महोदय से मैं यह उम्मीद करता हूं कि इसकी गम्भीरता को देखते हुये वे अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे । सर्व प्रथम मैं अपने सिंचाई विभाग के सचिव, मुख्य अभियन्ता इत्यादि अधिकारियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितना धन पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से मिलना चाहिए था वह हमें नहीं मिल पाया है । हमें इसके लिये प्लानिंग कमीशन ने उतना धन नहीं दिया है जितना कि अन्य विभागों का दिया है । जब कि सिंचाई विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है । अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भी हमको कम मिला है । हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो आये दिन बाढ़ और जल प्लावन से डूबे रहते हैं उसको देखते हुये हमें जो एलाटमेंट किया गया है वह कम है । अतः मैं सिंचाई मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा कि जब अभी भी इस दिशा में सोचें और प्रदेश के लिये यथोचित पैसा हासिल करें मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे नैपाल से आने वाली जो नदियां हैं वह सबसे ज्यादा विभीषिका बाढ़ के लिए हैं । इसलिए नैपाल में ही बांध बना कर उनको रोकें । जब तक वह योजनायें नहीं बनेगी बाढ़ आती रहेगी । वहां पर जो दो योजनायें हैं उनको बनाया जाय उनसे बाढ़ भी रुकेगी और बिजली भी मिलेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती प्रस्ताव की चर्चा में भाग लिया और विशेष रूप से मैं सत्ता पक्ष के लोगों का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने माननीय मंत्री जी की बड़ी खिचाई की लेकिन मंत्री जी भी रबड़ से कम नहीं हैं कि फिर सिकुड़ कर अपनी जगह पर आ जायेंगे और उन पर कोई असर होने वाला नहीं है । मैं मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो एक्सटेंसन हो रहा है और जो साधन हैं आपके पास उसमें कैनाल और ट्यूब वेल का कंपेरिजन किया जाय तो आप देखेंगे कि 1972-73 में आपकी 33.7 परसेंट कैनाल से इरिगेशान थी और ट्यूब वेल से 35.8 परसेंट जो बढ़ कर 1976-77 में कैनाल की 34.4 हुई और ट्यूब वेल की 43.2 हुई 1977-78 में कैनाल से 34.9 और ट्यूब वैल से 45.00 हुई । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रदेश में इरिगेशन का टोटल होता है उसका 45 परसेंट ट्यूब वेल से होता है और 34.9 परसेंट कैनाल से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन---]

होता है हालांकि सारा खर्चा आपका सिविल कैनाल की तरफ है । बहुत दिनों से डिमांड थी कि ट्यूब वेल का अलग से डायरेक्टरेट बने ताकि मेकनिकल स्टाफ की तरफ जो ध्यान नहीं दिया जाता है वह ठीक हो सके । आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिये । ट्यूब वेल के साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त देहात के अंदर जो आपका स्टाफ है वह प्राइवेट ट्यूबवेल वालों से मिला होता है । प्राइवेट कनैक्सन जो है वह आपके काम में बहुत बाधक हैं । आपके ट्यूब वेल के सौ दो सौ गज पर वह लगे हैं आपके स्टाफ से मिल कर वह सरकारी ट्यूब वेलों से कार्य में बाधा डालते हैं और वहां पर चोरी चकारी होती है उसको आप कैसे रोकेंगे यह सोचने की बात है इस पर आप विचार करें ।

मैंने अपने भाषण में चार-पांच चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाया था उसमें आप दो-तीन चीजें और जोड़ लें और अपने भाषण में उनका जवाब दें अभी गौतम जी ने कहा था मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं शारदा सहायक योजना में एक सिल्ट इजैक्टर 1 करोड़ 35 लाख का लिया हुआ है लेकिन उसके बावजूद कुर्सी से आगे 112 कि0 मी0 पर 8 से 10 फुट सिल्ट जमा हुआ था जो कि मैंने खुद देखा था और मैंने कहा था कि आप मेरे साथ चल कर देख सकते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि एक करोड़ 35 लाख का सिल्ट इजैक्टर लगाने के बाद भी इतना सिल्ट कहां से आ गया । ताज्जुब इस बात का है कि 119 कि0 मी0 तक काम कम्प्लीट हो गया और उसमें जुलाई 75 में पानी भी छोड़ दिया गया । आप अपना रिकार्ड निकलवाकर देख लें उसमें खुदाई के लिए 2.98 करोड़ रुपया दुबारा खर्च किया गया । तो एक दफे जिसमें पानी छोड़ दिया गया उसमें अगले साल फिर 3 करोड़ रु0 खुदाई में क्यों खर्च किया गया और वह सिल्ट कहां से आ गया जब कि उसको साफ करने के लिए एक करोड़ 35 लाख का इजैक्टर लगा हुआ है । तो इसके लिए इन्क्वायरी कराने की क्या जरूरत है, परिणाम है, वह भी जब जवाब दें तो हमारे सामने रखें ।

श्री अधिष्ठाता:---

अब आप दो मिनट में खत्म कर दें ।

श्री रियासत हुसैन---

एक विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा का सवाल है । 1979 में जो आश्वासन समिति का नवां प्रतिवेदन है जो सदन में प्रस्तुत किया गया है । कादराबाद नाले, मोदीनगर को चौड़ा करने के लिए 10 23 एकड़ जमीन अक्वायर की गयी थी । दस लाख की प्रापर्टी पर मोदी ने अपने कब्जे में कर ली । इसमें जो तीन विशेष सिफारिशें हैं उनको पढ़ कर सुना चाहता हूं । (1) समिति को बार-बार गलत सूचना देने से सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय । चार पांच सिफारिशें की गयी हैं उनके बारे में बताएं क्या कार्यवाही की गयी । (2) उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाय जिनकी सांठ-गाठ से उक्त भूमि पर मोदी परिवार का अनधिकृत कब्जा करना सम्भव हुआ । आज एग्जिक्यूटिव इंजीनियर बढ़ते-बढ़ते एडिशनल चीफ इंजीनियर हो गये । आपने क्या कार्यवाही की । उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कानूनी कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न कराने की सक्रिय रूप से कार्यवाही की जाय । या तो आप ठेकेदारों

से काम लेना लेकिन अगर आप ठेकेदारों से काम लेना चाहते हैं जो ऐग्रीमेंट हो वह अंग्रेजी में होनी चाहिए जिसको सब समझ सकें। बाद में लिटिगेशन में जाना पड़ता है और आपको रुपया देना पड़ता है ठेकेदारों को रनिंग पेमेन्ट होना चाहिए ताकि जो कमीशन देने के लिए वह मजबूर होता है उससे वह बच जाय। प्राजेक्ट्स को नवम्बर से ले कर मार्च तक कम्पलीट कर दीजिये ताकि मार्च के बाद वर्किंग का टाइम मिल सके। आपका सारा रुपया 31 मार्च को बहाया जाता है। नवम्बर से दिसम्बर जनवरी तक सारा काम हो जाना चाहिए। यह बातें कह कर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

एक सदस्य--

पहले एक बात मेरी सुन लीजिये। हमें अपने क्षेत्र की समस्यायों को कहना था। हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है। आपने समय नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपने संसदीय कार्य मंत्री से यह बात कहिए। कृपा करके आप बैठ जायं।

*सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, कल से आज तक हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने बहुत से बहुमूल्य विचार यहां रखे। मान्यवर, एक बात सही है कि आज किसान के लिए जितने पानी की आवश्यकता है और जो गरीबी मिटाने का बहुत बड़ा काम है यह बहुत ही आवश्यक अंग है जाहिर है कि माननीय सदस्य इससे चिन्तित हैं कैसे उन खेतों को पानी पहुंचेगा, प्रदेश के किसान जो आज पानी के लिए लालायित हैं उनके खेती में कैसे पानी पहुंचेगा। मैं विस्तार में रखूंगा। सबसे पहले जो रियासत साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में थोड़ी बात करना चाहता हूं।

मान्यवर, माननीय रियासत साहब इसी सदन में सवाल भी कर चुके हैं और उनको उसका उत्तर भी मिल चुका है। माननीय रियासत साहब ने कहा कि हमारे प्रदेश में जो प्रौजेक्सट्स हैं, उनका पोटैन्शियल जो क्रिएट किया गया है, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ या बहुत ही कम हुआ है। ऐसी परम्परा है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वहां पर उसके बनने के बाद पानी पहुंचता है तो हमारे किसान इतने अभ्यस्त नहीं होते हैं कि वे तुरन्त पानी ले लें। आरम्भ में वे नहीं सोच पाते कि क्या उनका क्रौप पैटर्न होगा, किस प्रकार की फसलें बोयेंगे, किस प्रकार से उन्हें पानी लेना होगा, उनकी जमीन कैसी है। इस सब बातों को देखने के बाद जब किसान अभ्यस्त हो जाता है तो वह पानी की एक-एक बूंद लेता है और फिर और अधिक पानी की मांग करता है। यह भी हो सकता है कि हमारी जो बहुत सी नहरें हैं, उनसे टैल पर पानी न पहुंच पाता हो। हमारी नालियों के टूटे-फूटे होने का भी एक कारण बन सकता है। ट्यूबवेल्स की भी नालियां टूटी-फूटी हो सकती हैं लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि उसके लिए कोशिश की जायेगी, मरम्मत आदि कराकर, कि वे ठीक ढंग से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

काम करें और एक बूंद भी पानी बेकार न जाये। इस प्रकार से हमारा युटिलाइजेशन का काम हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त हमारी जो योजनायें बनी हैं, जैसे सरयू कैनाल योजना बन रही है और जब पानी की इतनी आवश्यकता है तो जब हम प्रोजेक्ट बनायें, यह भी देखेंगे कि जब हमारा बैराज बने उसके साथ-साथ हमारी नहरें और माइनर्स भी बन जायं ताकि खेतों में पानी के पहुंचन में विलम्ब न हो सके। हम इस बात का अपनी सभी योजनाओं में प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसमें काफी दिक्कत होती है जमीन के अभाव में। हमारी सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि जहां पर हमें जमीन नहीं मिल रही है, लोग कोर्ट में चले जाते हैं जिससे नहरों व माइनर्स के निर्माण में रुकावटें पैदा हो जाती हैं, वहां पर हम जल्द से जल्द कैसे काम कर सकें। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि चकबन्दी कराकर भूमि मिल सके लेकिन उसे हम बराबर नहीं करा सकते हैं। नियम है कि 10 साल से पहले चकबन्दी नहीं करा सकते हैं। तो नियमों में हमें कुछ एमेंडमट करना पड़ेगा। चकबन्दी के बाद जो जमीन निकलेगी उसे लेने के लिए किस प्रकार से हमें मुआविजा देना होगा। तो इस पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करके हमें कोई न कोई हल निकालना होगा। हमें किसानों को जो मार्केट रेट पर मुआविजा देते हैं, उसे लेने पर किसान ऐतराज करता है क्योंकि जो वे रजिस्ट्री कराते हैं, उसे वे कम पैसे में कराते हैं, इसलिए वहां पर तरह-तरह की बातें खड़ी हो जाती हैं, तरह-तरह की शंकायें पैदा हो जाती है। तो मार्केट पर उन्हें जमीन का मुआविजा देकर हम जमीन प्राप्त कर सकें और सिंचाई के लिए नहरें और माइनर्स बना सकें। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और योजना भी बना रहे हैं।

माननीय रियासत साहब ने यह भी कहा कि गिरदापुरी में जंगलात के 5000 पेड़ नीलाम कर दिए गये और बाद में उनकी बाढ़ में बहना बता दिया गया। इस मामले की जांच विभाग द्वारा श्री जगदीश चन्द्र सोलंकी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मंडल, बहराइच से कराई गयी थी लेकिन बाद में इनकी जांच करने हेतु तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी द्वारा श्री आई० ए० खान, अधीक्षण अभियन्ता को आदेश दिये गये और संभवतः उनके द्वारा जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गयी है। उसकी रिपोर्ट आयी है और उस पर कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

एक बात यह कही गयी कोयले के घोटाले के बारे में कि 15 लाख का घोटाला है। मैं यह बता दूं कि सम्बन्धित अधिकारियों को निलम्बित करके आरोप पत्र देकर जांच करायी गयी। सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। पोवक नहर के कि० मी० 112 पर स्लाइस बनाने में 200 मै० टन लोहा अधिक प्रयोग करने की शिकायत की गयी थी। इस मामले में भी सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार हो गये हैं जिनका परीक्षण जांच अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन--

इसमें 6 को सस्पेंड किया गया है यह बताया गया था पहले । (व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह--

दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी । एक यह बात कही गयी थी कि विभाग में 50 लाख रुपये के ठेकेदारों के दावे न्यायालयों में चल रहे हैं । मई, 1978 तक की प्राप्त सूचना के अनुसार शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत लगभग 7.26 लाख रुपये के ठेकेदारों के दावों से सम्बन्धित मुकदमें न्यायालयों में चल रहे थे । मान्यवर, जहां करोड़ों रुपयों का काम होता हो वहां यह झगड़े हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर चिन्ता की जाय, फिर भी यह प्रयास किया जायगा कि झगड़े की नौबत न आये ।

जौनपुर में फतेहपुर पम्प कैनाल के बारे में कहा गया था । उसके बारे में भी मैं बता दूं । नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1970-71 में प्रारम्भ हुआ था तथा मार्च, 1978 तक 20.926 लाख रुपया खर्च हुआ । इसकी कुल अनुमानित लागत 12 लाख थी । 5.40 कि0 मी0 की दूरी तक फीडर चैनल तथा दो अल्पिकायें 1973 तक पूरी हो गयी तथा 17-11-72 को 10 क्यूसेक्स से नहर चला दी गयी । मार्च, 1978 में वह नहर राम गंगा चैनल निर्माण खंड, फतेहपुर को स्थानान्तरित कर दी गयी । वर्ष 1977-78 में 290 हेक्टेयर की सिंचाई हुई । तत्पश्चात् इसके एल0 सेक्शन आदि फिर बनाये गये तथा कुछ स्लोप उल्टा पाया गया । दिसम्बर, 1978 में इसका एल0 सेक्शन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है । इसके लिये कुछ अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ रही है । इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

जौनपुर के विधायक श्री प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि जनपद जौनपुर में शारदा सहायक परियोजना की टेल की नहरों, जैसे किरावत रजबहे में पानी प्राप्त नहीं हुआ। किरावत रजवाहे के विस्तार तथा रिमॉडलिंग का कार्य प्रगति पर है तथा उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है । पिछले वर्ष इस नहर से रबी की फसल में पानी उपलब्ध कराया गया । अगले वर्षों में अवशेष कार्य पूर्ण करने के पश्चात् वांछित मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जायेगा ।

माननीय ऊदल जी ने बाबतपुर रजवाहे में मार्च, 1980 तक पानी नहीं मिला यह शिकायत की थी । इस नहर के पुनरोद्धार का कार्य प्रगति पर है तथा जून, 1982 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । श्री रामकुमार विधायक आजमगढ़ ने दोहरीघाट लिंक चैनल को 2 वर्षों में पूरा करा देने की बात कही थी । इस नहर का कार्य भूमि अध्याप्ति की कठिनाई के कारण अवरुद्ध है । इस समस्या को हल करने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

(2 बजकर 54 मिनट)

श्री लालप्रताप सिंह ने कहा था कि कुछ दिन पूर्व नहर टूट जाने से फसल की क्षति हुई जिसका मुआवजा दिया जाय । इस मामले की विस्तृत जांच कराने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि गौन्डरी नाले पर बन्धा व रेगुलेटर बनाया जाय । इस मामले में विचार किया जायेगा ।

श्री भोला पांडेय ने कहा कि शारदा सहायक परियोजना 1982 के बजाय 1986 तक बनाई जा रही है । यह ठीक नहीं है कि शारदा सहायक परियोजना को समाप्त करन का कार्यक्रम वर्ष 1986 तक है, बल्कि अभी तक बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार शारदा सहायक परियोजना के समस्त कार्य जून, 1982 तक समाप्त किये जाने की सम्भावना है यदि भूमि मिल जाय । ये राम गंगा परियोजना के बारे में यह कहा गया कि इस पर 3.38 की मशीने हाल ही में क्रय की गयीं जबकि कार्य समाप्त हो चुका था और अब वे बेकार पड़ी हैं । विभाग में ढाई करोड़ रुपये की आयातित मशीनें तथा 65 लाख रुपये के स्पेयर पार्ट्स भी खरीदे गये हैं जो बेकार पड़े हैं । मान्यवर, राम गंगा परियोजना की अधिकतर मशीनें समानान्तर निचली गंगा नहर परियोजना पर कार्य कर रही हैं तथा तब से अब तक उस श्रणी की कोई मशीन अब तक नहीं मंगाई गयी है । एक वर्ष पूर्व यू0 के० द्वारा सहायतार्थ भारत सरकार को कुछ मशीनें मिली थीं जिनका भारत सरकार को मूल्य नहीं देना पड़ा । उन मशीनों में से 10 मशीनों को मध्य गंगा परियोजना के लिए लिया गया है । यह मशीनें समानांतर निचली गंगा नहर परियोजना का कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने की पश्चात मध्य गंगा परियोजना पर चली जायेंगी । राम गंगा परियोजना की मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और अपना जीवन लगभग समाप्त कर चुकी है । ड्रेनेज मण्डल मथुरा में हुलवाना डाइवर्सन ड्रेन का कार्य नहीं होना चाहिए ऐसा माननीय सदस्य, मथुरा ने बताया । क्योंकि हरियाणा ने उझियानी ड्रेन अपने पानी के निकास के लिए बना ली है । उत्तर प्रदेश की जल निकासी गौबरधन ड्रेन को बड़ा करके पूरी की जा सकती है । मान्यवर, हुलवाना डाइवर्सन ड्रेन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के हित के लिये ही बनाई जा रही है क्योंकि गोबरधन ड्रेन में अन्य प्रदेशों का मिला-जुला पानी भी चलता है । हुलवाना ड्रेन के स्तर गोबरधन ड्रेन से 6 फीट नीचा है और उत्तर प्रदेश का भला नई डाइवर्सन ड्रेन द्वारा ही हो सकता है । श्री नेमपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा ने बताया कि मध्य गंगा नहर प्रणाली में नहरों का समरेखन अकारण बदला जाता है । मान्यवर, मध्य गंगा नहर प्रणाली में विशेष रूप से इस बात की ओर ध्यान दिया जाता है कि मुख्य अभियंता द्वारा अन्तिम रूप से जब भी किसी नहर का समरेखन तय किया जाय तो एल-सेक्शन और प्लान पर उनके हस्ताक्षर करा लिये जाये । यदि स्वीकृत समरेखन में फिर भी कोई परिवर्तन आवश्यक होता है तो मुख्य अभियन्ता स्वयं मौके पर जाकर निर्णय लेते हैं और आवश्यकता हुई तो समरेखन बदल भी देते हैं । राम गंगा परियोजना लागत में अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं, यह प्रश्न किया गया था मान्यवर, जब यह परियोजना का प्राक्कलन बना था और जब-जब मंहगाई बढ़ती गयी, त्यों-त्यों लागत भी बढ़ती गयी । जब रानी बांध परियोजना के निर्माण के कार्यों पर सीमेंट का दुरुपयोग कहा गया । मान्यवर, जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्यों पर सीमेंट की प्राप्ति एवं खपत का समुचित रिकार्ड तथा सीमेंट के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा रहा है । जमरानी बांध का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उसका सर्वेक्षण चल रहा है यह प्रयास किया जा रहा है कि उसका सर्वेक्षण कार्य जल्द ही पूरा हो जाय ताकि कार्य आरम्भ हो जाय । हरदोई के विधायक ने हरदोई जनपद के ड्रेनों के बारे में प्रश्न किया था । मान्यवर, सिंचाई निर्माण खण्ड, उन्नाव के अन्तर्गत मुख्यतः ड्रेनों के बनाने का काम है । ड्रेनों का अधिक भाग उन्नाव जनपद में होने के कारण इसका मुख्यालय उन्नाव रखा गया

है । श्री बिष्ट, विधायक राना खेत ने प्रश्न किया कि पर्वतीय क्षेत्र में उल्टी गंगा बहाई जा रही है । हेड नीचे और टेल ऊपर बनाये जा रहे हैं । नवगांव नहर, बन्दराम नहरों का त्रुटिपूर्ण निर्माण किया गया है । मान्यवर, जहां–जहां पर्वतीय क्षेत्रों में नहरों पर त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य हुये हैं उनको ठीक कराया जा रहा है और त्रुटिपूर्ण कार्य कराने के उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, माननीय विधायक रानाखेत ने यह भी प्रश्न किया कि झगड़ा द्वारा बनायी गयी योजनायें ठीक से कार्य नहीं कर रहा हैं, इन्हें ठीक कराया जाय । मान्यवर, यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है माननीय विधायक रानी खेत ने यह भी प्रश्न उठाया कि पर्वतीय क्षेत्र में कच्चे तालाब और गूल बनाये जायें । मान्यवर, गूलें छोजन वाले भागों में पक्की बनाई जाती है जिसके बगैर पानी के छीज को नियंत्रित करना सम्भव नहीं है । छोट तालाब कच्चे नहीं बनाये जा सकते, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की भूमि में पानी का छाजन बहुत होता है । मान्यवर, जिन–जिन क्षेत्रों में कोई भी त्रुटिपूर्ण कार्य हुआ है, उसे ठीक कराया जा रहा है । त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायगी । मान्यवर, काफी लोगों का सुझाव आया है । लेकिन समय कम होने के कारण, मैं प्रयास करूंगा कि उन पर कार्यवाही की जाय ।

श्री कुबेर भंडारी––

ऐसा है कि आप भी वहीं से आये हैं जहां से गंडक नहर आई है । गंडक नहर में पुल बने हैं आने जाने के लिए और 2–3 साल के अन्दर ढह गये हैं । क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध, जांच करा कर कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

मान्यवर, पीठ को सम्बोधित करें ।

श्री अधिष्ठाता––

जो कुछ पूछना हो, संक्षेप में पूछ लें ।

श्री कुबेर भंडारी––

मान्यवर, जो फसल बरबाद हुई है, नहर के आने से, क्या किसानों को उसका मुआवजा देंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह––

मान्यवर, यह मैं पहले कह चुका हूं कि यह सुझाव जो आये हैं, या कुलाबे जहां पर ठीक से नहीं बने हैं या जहां पर मांग आई है, पहले जो हमारे कुलाबे बने हुए थे पुराने नहरों पर, अब यह है उन नहरों का हाल कि जहां पर विस्तार हो रहा है, जहां पानी कम मिलता है, किसी न किसी प्रकार से कोशिश की जा रही है कि वहां पर पानी बढ़ाया जाय ।

श्री कुबेर भंडारी––

पानी बढ़ाने की बात नहीं है मान्यवर, मैंने मुआवजे की बात पूछी है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

अब जो नई नहरें निकाली जायेंगी, उन पर पूरा ध्यान रखा जायेगा कि कहां पुल बनना चाहिए और कहां किस बात की आवश्यकता है और किस तरह से साईफन बनना चाहिए । इन सारी बातों का ध्यान रखकर ही काम कराने की कोशिश की जायेगी । और जो पहले गड़बड़ियां हो गयी है, आज दो-तीन साल पहले की, उन सब पर जांच करावेंगे । जैसा कि माननीय सदस्य देवरिया ने अभी शिकायतें की हैं । तो जिन अधिकारियों को दोषी पाया जायेगा, अवश्य उनको दंडित किया जायेगा, उनको छोड़ा नहीं जायेगा । जरूरत आज इस बात की है कि कोई बात हाऊस में कह दें तो उस समस्या का समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा दो-तीन सालों के अन्दर जो अनुशासनहीनता पैदा की गयी है, अपनी कार्य अक्षमता के कारण, उसी को आज दूर करना है । मैं चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी गयी है, वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, ईमानदारी से या नहीं इसको भी देखा जायेगा । वैसे मैं कहता हूं कि मैं कोई डिक्टेटर तो नहीं हूं । जैसे कि हमारे माननीय सदस्य अपने तहत काम कराना चाहते हैं ठीक है, करेप्शन है । लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो ईमानदार हैं और पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं और कुछ भ्रष्ट भी हैं । इसकी ओर हम प्रयास कर रहे हैं कि इसे कैसे दूर किया जाना चाहिए । वैसे अगर कोई चाहे कि हमारे ऊपर गलत दबाव डालकर, ब्लैकमेल करके या अन्य किसी तरीके से काम ले ले, तो कदापि सम्भव न होगा । वह ऐसा नहीं कर सकते है । क्योंकि हम पूरी तरह से सतर्क हैं । और जो व्यक्ति अच्छा है, काम भी अच्छे ढंग से करता है । तो उसके काम को सराहना करनी चाहिए । विभाग के हरेक व्यक्ति को भ्रष्ट कह देने से तो काम और भी बिगड़ता है । इसलिए जो ईमानदार हैं और अच्छा काम करने वाले हैं, पर बुरा असर पड़ेगा । इसलिए हमको दोनों बातों को लेकर चलना है और अच्छा काम करने वालों की प्रशंशा भी करनी होगी । नहीं तो प्रशासन चुस्त नहीं रह सकेगा । साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि किसको कहां गलती हो रही है और कहां गलती नहीं हो रही । तो इसके लिए हमें नियमों का सहारा लेना पड़ेगा । मान्यवर, इन सब बातों पर हम सोच रहे है । (व्यवधान) मान्यवर, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले से व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा और यह नहीं देखना होगा कि इसके पीछे कौन सी बड़ी शक्ति है । तो मैं समझता हूं कि इस ओर भी हम बहुत शीघ्र कदम उठायेंगे फिर हमारे सामने चाहे जितनी बड़ी शक्ति भी आयेगी, उसका हिम्मत से सामना किया जायेगा (व्यवधान) (कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण आप लोग बैठ जायें । (व्यवधान)

एक सदस्य--

चाहे टेहरी योजना हो या कोई बांध योजना । (व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर...।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य अगर कोई स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो यदि मन्त्री बैठ जाते हैं तो कर सकते हैं, अगर मन्त्री नहीं सुनते हैं या नहीं बैठते हैं तो नहीं कर सकते ।

श्री वीर बहादुर सिंह––

मान्यवर, समय बहुत कम है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य––

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री वीर बहादुर सिंह––

मान्यवर, अभी जो जांच विभाग द्वारा कराई जा रही है 236 अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई जा रही है जांच के फलस्वरूप प्रशासनाधिकरण को 35 केस भेज जा चुके हैं और जांच के आधार पर 10 अधिकारियों से खिलाफ जांच अभियान चलाया जा रहा है, 34 अधिकारियों को निलम्बित किया जा चुका है और डेढ़ दो सौ के करीब विभागीय जांच चल रही है । जिसमें से 92 की जांच रिपोर्ट शासन को आ चुका है, उस पर कार्यवाही हो रही है । इसके लिये शासन चिन्तित है जो भ्रष्टाचार की बात आये उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय और जो यह शिकायत आती है कि जांच जल्दी नहीं होती जांच के ऊपर जो कार्यवाही होती है उसमें विलम्ब होता है इस पर प्रयास किया रहा है विलम्ब न हो और जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आ सके ।

श्री अधिष्ठाता––

मन्त्री जी, आप कितना समय और लेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

10 मिनट । मान्यवर, बाढ़ के लिये इस बात का प्रयास कर रहे हैं जैसा माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त किया कि ₹30 करोड़ रुपया इस परियोजना में रखा है सवा 22 करोड़ इस साल खर्च होगा और कैसे खर्च होगा । हम ऐसी योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि समय के पहले सब खर्च हो जायेगा उसके लिये योजना बना रहे हैं कोशिश यह की जा रही है जो काम है वह जून के पहले बाढ़ के समय हो जाय । मान्यवर, इस साल सबसे पहली समस्या यह आई है कि इस वर्ष अधिक बरसात होने के कारण आज हमारे 48 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं । कुछ ऐसे भी है जब से बरसात शुरू हुई जुलाई से वह एरिया आज तक पानी में डूबा है और तमाम परेशानी पदा हुई । इस बरसात में भी हमारे बांध नहीं टूटे लेकिन इससे भी परेशानी हो सकती है मिट्टी के बांध कभी टूट सकते हैं । बिहार का बांध टूटा हमारे अमवाखास जो देवरिया मे पड़ता है वह बांध टूटा और बिहार

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

गवर्नमेंट से बार-बार अनुरोध किया गया उसकी मरम्मत के लिये। मान्यवर, अब प्रयास किया जा रहा ह दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों साथ-साथ इस बांध को बनायेगें और जो समस्यायें हैं उसको मास्टर प्लान बना कर बाढ़ की समस्या से जल्दी से जल्दी निपटने का प्रयास किया जायेगा। मान्यवर वाटर लागिंग का जहां तक सवाल है फूड फोर वर्क में जो सड़कें बनाई गई उसमें पुलिया नहीं बनाई गई जिसके कारण वहां वाटर लागिंग हुआ। अब प्रयास किया जायेगा कि इस तरह की जो भी योजना बने इस तरह की बने की उससे ऐसी समस्या न पैदा हो। गरीबी को मिटाने के लिये हम सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की इतनी कोशिश करगे ताकि कृषि को सिंचाई अधिक से अधिक हो सके। इसके लिये प्रयास करेंगे बड़ी-बड़ी नदियों से नहर निकाल करके सिंचाई की सुविधा दे जहां नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती ह जहां नहरों का पानी नहीं पहुंच सकता है वहां ट्यूबवेल लगा कर सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। हमारे जो बड़े डैम पहाड़ पर बने हैं नपाल से जो हमारे करनाल का, पंचेश्वर का है, कैसे ठीक करा सकें। वार्ता हो रही है उससे बाद जो भी निर्णय होगा, जल्दी काम करायगे। लैण्ड एक्वीजीशन के लिए मैंने कहा, चकबन्दी का प्रयास करायेंगे कि कैसे चकबन्दी हो। कैसे एडवांस प्लानिंग की जाये क्योंकि सीमेन्ट लोहा, जिसकी कमी हो जाती है, प्रगति रुक जाती है, इसका भी प्रयास किया जायेगा कि जो अगले साल खर्च होने वाला है उसका अभी से पूर्ति की जाये। जो विधायक हैं उनका हम डिवीजन में मीटिंग बुलायेंये, जो स्थानीय समस्यायें हैं जो अधिकारी फील्ड में हैं, उनके सामने बात करेंगे कि कहां त्रुटि है, उनको देख कर प्रयोजना बनायेंगे, आपके सुझावों पर कार्यवाही की जायेगी। अभी श्री निर्भय नरायन सिंह, सदस्य, बलिया ने कहा कि प्लान टाइम से नहीं बनता, इसके लिए डिजाइन और जो हमारा विभाग है, में सुधार करेंगे ताकि जो त्रुटियां होती हैं, न होने पायें। इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हमें यह भी कहा जाता है कि ठेकेदारों को तमाम पैसा दिया जाता है, काम नहीं होता, इसके लिए हम 10 डिवीजन विभाग में करने जा रहे हैं। मैं इसका श्रीगणेश करने जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि धीरे-धीरे पूरा कर सकूं। बहुत सा पैसा वेस्ट चला जाता ह और क्वालिटी कन्ट्रोल की जितनी शिकायतें आती हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करूंगा। इस साल 10 डिवीजन में काम शुरू करने जा रहे हैं। नलकूप के बारे में भी बता दूं। यहां भी एक नयी बात करने जा रहे हैं। शोध द्वारा अपने खेतों में पानी ले जाना है, इसके लिए एक सौ मीटर प्रति नलकूप पक्की नाली बनायी जायेगी।

(व्यवधान)

बहुत से इन्वेस्टीगेशन में, प्लानिंग में नहीं जाना चाहते. पर्वतीय क्षेत्र में नहीं जाना चाहते, उन्हें हम सुविधा देंगे जिससे वे ना न कर सकें। मान्यवर, इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से विभाग को चुस्त बनाने का कार्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी-कभी ऐसे लोगों की वजह से जिनमें क्षमता नहीं होती और विभाग की लापरवाही से दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। कोशिश की जायेगी कि लापरवाही न हो। चरित्र पंजिका लिखी जाती है। जिस प्रकार का कार्य होगा वैसे ही लिखी जायेगी। प्रोजक्ट का काम है, यह ऐसा काम नहीं है कि 10 बजे से 4 बजे तक काम करेंगे, ऐसे इन्जीनियर हैं जो सुबह जाते हैं और उन्हें 12 बजे रात तक काम करना पड़ता है। बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं ऐसी जगहों पर वहां खड़ा होना पड़ता है। वहां ऐसे लोगों को भेजना

होगा जो लगन से कार्य कर सकें। इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। कुछ लोगों के साथ ताकत होती है, सिफारिशें आती हैं, सिफारिश कम आयें, ऐसा कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छे को अच्छे स्थान पर और खराब को खराब स्थान पर भेजे जाने का प्रयास किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि जो लापरवाही से कार्य करते हैं उन्हें इन्ट्री दी जाये। भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब यह बातें हो जायेंगी तो बहुत से भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे। मेरा सकल्प है, इरादा है कि विभाग में अच्छा काम हो, विभाग चुस्ती से काम करे। साथ ही यह भी हो कि जनता से जो वादा किया गया, गरीबी मिटाने के लिए, उनको पानी पहुंचाने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर तरह के प्रयास किये जायें।

श्री बदन सिंह--

एक स्पष्टीकरण चाहिये, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता--

स्पष्टीकरण का समय नहीं है।

श्री बदन सिंह--

बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है।

श्री अधिष्ठाता--

बैठ जाइये। समय बर्बाद न करें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,26,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,15,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 102-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 102--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,03,07,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 103-सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 103--सिंचाई विभाग (बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,51,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980

(3 बजकर 23 मिनट)

*शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

माननीय, आपके सामने यह विधेयक प्रस्तुत है और मुझे पूरा यकीन है कि यह जो क्रान्तिकारी कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठा रहे हैं, उसको इस पक्ष और उस पक्ष के लोग, विशेषकर माननीय विधायक हमारे राजेन्द्र कुमार गुप्त, इसका दिल से स्वागत करेंगे।

माननीय, माध्यमिक शिक्षा एक बहुत विस्तृत क्षेत्र हो गया है जिसमें लाखों/लाखों विद्यार्थी एवं अध्यापक कार्य में संलग्न हैं। इसकी बहुत आवश्यकता महसूस हुई कि हम उसमें एक विधेयक के द्वारा इन्टरमीडिएट एजूकेशन कोड में ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे भ्रष्टाचार दूर हो और शिक्षा प्रणाली सुचारु रूप से विकास कर सके।

मान्यवर, मैंने यह माना कि प्रबन्ध समितियों ने बहुत सुन्दर काम किया है और त्याग और तपस्या, निस्वार्थ भावना का उन्होंने परिचय दिया है। बड़ी-बड़ी शिक्षा सस्थाओं को उन्होंने अपने त्याग और तपस्या से कायम किया है। लेकिन मान्यवर, जब कोई संस्था ऐसे लोगों के हाथों में, स्वार्थी लोगों के हाथों में आ जाती है तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, ऐसा प्रबंध करना होता है कि वह संस्था बरबाद न हो। मान्यवर, हमने देखा है कि कभी-कभी विद्यालयों में पैरेलल प्रबंध समितियां कायम हो जाती है। उस समय बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि किस प्रबंध समिति को मान्यता दें और किस प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय का कार्य संचालन हो। ऐसी परिस्थिति में होता यह है कि कभी तो डी० आई० ओ० एस० उसमें से किसी को मान्यता दे देते हैं, कभी आर० आई० जी० एस० किसी को मान्यता दे देते हैं। या रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज भी उसके अंदर मनमाने तरीके से मान्यता देने का अधिकार समझते हैं। कभी उप निदेशक किसी को मान्यता दे देते है। लेकिन मान्यवर एजूकेशन कोड में इसका कोई भी प्राविधान नहीं है। अब हम इस विधेयक के द्वारा यह प्राविधान कर रहे हैं कि अगर किसी संस्था में 2 पैरेलल प्रबंध समितियां बन जायं तो इस ऐक्ट में प्राविधान किया है कि ऐसी स्थिति में जो उप शिक्षा निदेशक हैं वह तात्कालिक रूप से उसमें जिसको वह ठीक समझें उस प्रबंध समिति को वह मान्यता दें। और यह तब तक कार्य करेगी जब तक कि अदालत में उसका फैसला न हो जाय। मान्यवर, यह इसलिये किया गया है कि तुरन्त कोई न कोई व्यवस्था हो और स्कूल की शिक्षा में व्यवधान न हो। मान्यवर, दूसरा इसमें प्राविधान किया गया है प्रशासन योजना का। प्रशासन योजना में इस प्रकार का प्राविधान हो कि जिससे स्कूल की संस्था ठीक से चल सके और ठीक से प्रबन्धक समिति का गठन हो सके। इसलिये मान्यवर, हमने यह देखा और इस विधेयक के पृष्ठ 6 पर हमने इस बात पर प्रकाश डाला है। प्रत्येक प्रशासन योजना में प्रबंध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी। नियमकालिक निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी। मान्यवर, 2, 4, 5 साल गुजर जाते थे प्रबन्ध समिति अपने एलेक्शन नहीं कराती हैं और असंवैधानिक तरीके से कार्य करती हैं, इससे असन्तोष होता है और कार्य प्रणाली की व्यवस्था बिगड़ती है। मान्यवर, एक खास बात यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबंध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ, धर्म

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों। ऐसा देखने में आता है कि बहुत सी संस्था जिसकी स्थिति ठीक हो गयी है, सरकारी पैसा भी मिलता है, लाखों का उसमें फर्नीचर और बिल्डिंग और मैटीरियल है तो उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती ह और कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक ही परिवार के लोग प्रबंध समिति में होते हैं। मैं उनसे संबंधित रही हूं, मैं जानती हूं कि एक ही परिवार के लोगों की हुकूमत या एक ही जाति के लोग प्रबंध समिति में आ जाते हैं, इन शिक्षा संस्थाओं में। तो हमको इसके खिलाफ कदम उठाना पड़ा ताकि हमारी शिक्षा संस्थायें जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारी सोसायटी और समाज में है। उसमें इस प्रकार की प्रबन्ध समितियां न हों जो कि एक जाति या एक परिवार की पोषक हों, तो इसका भी इसमें प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, यह एक क्रांतिकारी कदम है और इसमें आपको पूरी तरह से बताना चाहती हूं कि हमने कितने क्रांतिकारी डिसीजन इसमें लिये हैं। प्रबन्ध समितियां कभी-कभी उनकी स्वार्थ भावना के कारण या मिस मैनेजमेन्ट के कारण संस्था को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो हमने इसका प्राविधान किया है कि किस कारण हम, क्या कंडीशन्स हों, ताकि हम एक नियंत्रक को रख सकें। माध्यमिक शिक्षा में 4 प्वाइन्ट्स हैं कि किन कंडीशन में हम एक नियंत्रक को एपाइन्ट करें, जैसे कि मान्यता प्राप्त संस्था के कार्यकलापों में कुप्रबन्ध। इसमें कुप्रबन्ध के मतलब पूरी तरह लिखे हैं। लेकिन कुप्रबन्ध का मतलब यह है कि कोई अध्यापक का यदि ठीक से चयन नहीं होता है या रूल्स के अनुसार एपाइन्टमेंट न हो या सम्पत्ति को हड़प कर लें या नुकसान करें या दुरुपयोग करें, या ट्रान्सफर करें, यह सब इसमें लिखा है। मान्यवर, आप देखें कि टिनेन्सी का ट्रान्सफर का बड़ा खतरा है। टिनेन्सी स्कूल के नाम हैं लेकिन कुछ सालों बाद टेनेन्सी मैनेजमेन्ट या पेरेन्टबाडी के नाम कर दी जा रही हैं और टिनेन्सी बदलने से स्कूल के ऊपर छत तक नहीं है या कहीं प्रापर्टी बिकने जा रही ह। तो हम इनके खिलाफ क्या ऐक्शन लेंगे। इस सम्बन्ध में पुराने रूल्स के अनुसार नियंत्रक एपाइन्ट करने में और प्रबन्ध समिति को हटाने में एक, दो, तीन साल लग सकते हैं, लम्बा प्रोसेस है। लेकिन इसमें अब प्राविधान किया गया है कि फर्ज करें किसी स्कूल में प्रबन्ध अच्छा नहीं है, विवाद ह, या प्रापर्टी का मिसमैनेजमेन्ट या टिनेन्सी बदल दी गयी है, तो ऐसे केसेज में हम 15-20 दिन का नोटिस देकर नियंत्रक एपाइन्ट कर सकते हैं और कोई सीरियस मामला है तो उसी समय नोटिस के साथ ही हम नियंत्रक एपाइन्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी अवधि 6 महीने की होगी और जांच बाद में भी चलती रहेगी। तो यह स्कूलों की सुरक्षा के लिये ऐसा प्राविधान किया है।

मान्यवर, एक बात और मैं यह कहना चाहती हूं कि टीचर्स के बारे में ऐसा हुआ था कि 1 जुलाई, 1974 के बाद टीचर्स की छटनी हुई थी, बी0टी0सी0 में क्योंकि कुछ प्राईवेट स्कूल टूट गये थे तो उनके टीचर्स बिना सर्विस के ही थे। तो उनको हमने प्राविधान किया है कि 1 जुलाई, 1974 या उसके पश्चात् की छटनीशुदा अध्यापकों को हम फिर से सर्विस में जगह देंगे, इसमें इसका प्राविधान किया है। यह सुविधा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छंटनी शुदा कर्मचारियों के अलावा प्रशिक्षक कर्मचारियों पर भी लागू होती है।

इसलिये मान्यवर, यह जो विधेयक पेश किया है अध्यापकों के, विद्यालयों के सुचारु रूप से संचालन हेतु पेश किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि विपक्ष

के माननीय सदस्य अवश्य इसका स्वागत करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक को एक स्वर से पास करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आप की अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी के भाषण को मैंने बहुत गौर से सुना । जिस समय पिजन होल से इस विधेयक की प्रति मिली थी, जब मैंने यूं उठा कर इसे देखा, तो मैंने सोचा था कि पहली बार यह विधेयक आ रहा है मुझे इस का सदन में स्वागत करना पड़ेगा क्योंकि मैं समझता था, बिना पढ़े केवल हेडिंग देख कर कि बहुत पुरानी मांग शिक्षकों की, शिक्षा क्षेत्र में रुचि लेने वालों की, चली आ रही है और आज सत्तारुढ़ दल में बैठे यह मांग कर रहे हैं, शायद इसमें माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीयकरण की बात कही गयी होगी और मैं इसका स्वागत करूंगा लेकिन बाद में जब मैंने पन्ना उल्टा और परिस्थितियां देखी तो मैं बड़ा निराश हुआ कि राष्ट्रीयकरण की बात तो दूर चली गई इसमें प्रबन्ध समिति का जिक्र है जिसके बारे में मेरी तो धारणा यह है कि वह चीज पीछे चली गई है, उसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है जिस को शासन ठीक नहीं कर पायेगा । लेकिन अगर उसको जिन्दा रखना है, आप उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो ईमानदारी के साथ जो जनतंत्र की व्यवस्था है उसके अनुसार उसका आदर करना चाहिए । फिर जो प्राविधान किया गया है वह सिद्धान्त रूप में बिल्कुल प्रतिकूल है । मैं शिक्षा की राष्ट्रीयकरण की बात इसलिए कर रहा हूं कि यह बात सही है, मैं शिक्षा मन्त्री जी की इस बात से शत प्रतिशत सहमत हूं कि इतने झगड़े चल रहे हैं, सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, वित्तीय उत्तरदायित्व शासन का है उसके बाद भी समितियां लड़ रही हैं, जिससे शिक्षा का स्तर गिरा है, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है, अनेक उसके अन्दर बिगाड़ आये हैं । इसलिए जरूरत इस बात की थी कि माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीयकरण की सरकार को घोषणा करनी चाहिए थी । यह उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, मध्य प्रदेश, हिमांचल प्रदेश और दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउन्सिल ने भी अपने विद्यालयों का अधिग्रहण कर लिया है । वहां व्यवस्था कर दी गई है । यह बात सही है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय में श्री सहाय कमेटी बैठाई गई जांच के लिए कि इसका स्वरूप क्या होना चाहिए । हमारे पचानन जी को याद होगा दो मत उस में आ गये थे । एक मत यह था कि इसका निगमीकरण किया जाय और एक मत था राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । मैं राष्ट्रीयकरण की बात का पक्षधर इसलिए हूं कि निगमीकरण बिहार में किया गया वह फेल हो गया और उसके बाद सरकार ने बिहार में राष्ट्रीयकरण कर लिया । इसलिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी अब ज्यादा समय तक इस राष्ट्रीयकरण की मांग को न मानना शिक्षा जगत के साथ बड़ा अन्याय होगा । इसलिए राष्ट्रीयकरण की मांग को स्वीकार कर लेनी चाहिए थी । यदि राष्ट्रीयकरण की मांग स्वीकार कर ली जाती तो शायद धारा 16 जो बदले हुये रूप में रखा गया है उसकी जरूरत नहीं पड़ती । लेकिन क्योंकि अब यह चीज रख दी गई है इसलिए हमको उसके मेरिट के बारे में विचार करना पड़ेगा । यही सही है कि झगड़ा है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

झगड़े से निपटने के लिए आप ने एक रास्ता ऐसा बना लिया है कि जो न्यायालय की सीमा का अतिक्रमण करता है । डिप्टी डाइरेक्टर को आपने अधिकार दे दिये हैं । अभी आप ने खुद उल्लेख किया प्राविधान का । जिला विद्यालय निरीक्षक, आर० आई० जी० एस० उनको अधिकार दिया गया है । लेकिन मुझे इस बात का खतरा है, जो शासन की नीति है, जिस दृष्टिकोण से वह देखती है, सत्तारुढ़ दल का जो दलीय हित है उसकी झलक इसमें दिखाई देगी और दबाव के बल पर जो हमारे डाइरेक्टर हैं इनको काम नहीं करने दिया जायगा और दबाव के बल पर हमारे जो मनचाहे लोग हैं उनको प्रभावित करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी जो समितियां हैं उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए और दलीय हित को ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कार्य किया जायगा । इतनी ज्यादा इसमें गड़बड़ हो गई है, इतनी ज्यादा गड़बड़ को तय करने के लिए कोई पैमाना होना चाहिए उसकी कोई जाँच करे । इन सबका प्राविधान जो खत्म किया गया है यह खतरे की बात है । एक बात छंटनीशुदा अध्यापकों की कही गयी है । वह अच्छी बात नहीं है । छंटनी की गयी थी उनको ले लिया जाय । अगर यह विधेयक प्रवर समिति को जाता तो वहां इस बात पर अवश्य विचार किया जाता । शिक्षा मन्त्री के ध्यान में यह बात आई या नहीं आई मैं नहीं कह सकता । पिछली सरकार ने समाज के दबे हुए, कमजोर वर्ग जैसे हरिजन वगैरह हैं उनको आरक्षण देने की बात कही थी नियुक्तियों तथा प्रोन्नतियों में । क्या यह सही नहीं है कि अधिकांश मैनेजमेंट ऐसे हैं जिनमें आरक्षण में प्रोन्नति का सवाल आया तो वह नियुक्ति आज तक हुई ही नहीं । इसलिये नियुक्तियां खाली पड़ी है उनका स्वार्थ समाज के कमजोर वर्ग को आगे बढ़ने से रोकने का है । आप सर्वे करायें तो न जाने कितने विद्यालय ऐसे मिलेंगे जिनमें आरक्षण के दायरे में आने वाले अध्यापकों की प्रोन्नति नहीं हुई । सीतापुर में निरीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि वह सहमत है कि इस प्रोन्नति में पिछड़े वर्ग का अध्यापक आना चाहिये लेकिन वहां का मैनेजमेंट सिफारिश नहीं करता तो वह क्या करें ? धारा 16 के अन्तर्गत यह व्यवस्था होनी चाहिये थी कि आरक्षण के अन्तर्गत अगर मैनेजमेंट सिफारिश नहीं करता तो उसका कार्यान्वयन कैसे कराया जायगा । जहां तक छटनी की बात है उसकी परिभाषा आपने दी है जो अपनी जगह सही है इस परिभाषा के अन्तर्गत जिन टीचर्स ने स्ट्राइक की थी उस समय उनका एडहाक एप्वाइंटमेंट हुआ था । वे भी छटनी के कोड में आ जायेंगे । इस पर आपको विचार करना चाहिये (व्यवधान) लिहाजा मेरा यहां यह निवेदन है कि जो छटनी में भरती करनी है या जो तदर्थ नियुक्तियों के बारे में विचार करना है उस पर सोच-समझ कर विचार करें ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जब आप साधिकार नियंत्रक नियुक्त करते हैं तो फिर उस संस्था को कोई ग्रान्ट नहीं मिलती दो वर्ष के लिये इसका नतीजा यह होगा कि उस संस्था का विकास अवरुद्ध हो जायगा । सिद्धान्त यह बनाया कि प्रबन्धक ठीक से व्यवस्था नहीं कर रहा था इसलिये आपने उसको हटा दिया और सरकारी अधिकारी बिठा दिया लेकिन ग्रान्ट्स पर रोक लगाना उचित बात नहीं होगी । इसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये थी । मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो इसमें विसंगति मालूम होती है । आपने प्रशासनिक योजना पढ़ कर सुनाई । जिसमें प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासनिक योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ, धर्म या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों । इसका

ड्राफ्ट ठीक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 3 को आप देखें तो 3(1) के अन्तर्गत आप देखेंगे कि जो माइनरिटीज के द्वारा इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। अब अगर अल्प संख्यक वर्ग को कोई संस्था बना दी गई है तो उसमें यह विसंगति मालूम होती है। इस पर आपको विचार करना आवश्यक है। मान्यवर, मैं धारा 14 के बारे में कह रहा था। इसमें लिखा है कि उपधारा 3 से लेकर 13 तक कोई भी धारा अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी। इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी पार्टी इस पक्ष का है कि जो अल्प संख्यक हैं चाहे वे कोई भी पेशेवाले हों या किसी भी मजहब को मानने वाले हों उनको अपने अनुसार चलने की सुविधा होना चाहिये। लेकिन मान्यवर, शिकायतें आती रहती हैं। हमको जनता मिलती रहती है, अध्यापक मिलते रहते हैं और शासन को भी इस बात की जानकारी होगा कि वहां के छात्रों में प्रवेश में भेदभाव माना जाता है। जैसे लखनऊ में एक शियाज ऐंग्लो इन्टर कालेज है। सरकार को जानकारी है कि वहां पर कितने दिनों तक साधिकार नियन्त्रक रहा, आज क्यों आपने उसको माइनोरिटी डेक्लियर कर दिया है चाहे कोई भी गल्तियां होती रहे। लखनऊ के सब अध्यापक उनके साथ सत्याग्रह कर रहे थे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। मान्यवर, हम भी इस पक्ष के हैं कि किसी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर हस्तक्षेप किया जाय। मैं माननीय ग्राइस साहब से भी कहना चाहूंगा कि एक मिस्टर पी0 के0 शर्मा साइन्स टीचर सेनफ्रांसिस कालेज में थे। वे वहां पर 5 साल तक पढ़ाते रहे। उनको अलग कर दिया। उन्होंने अपना रिप्रेजेन्टेशन किया। कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको कोई अधिकार नहीं है। वे कहां जायं। बताइये, इस बेचारे गरीब अध्यापक को कौन सुरक्षा करेगा। मान्यवर, हमारे सीतापुर में भी इसी तरह का एक मिशन स्कूल है। उसका स्तर भी अच्छा है। उसके फादर से भी मेरी बात होती रहती है। लेकिन वहां के अध्यापकों को वेतन कम मिलता, यह देखने की बात है। मैंने इस सदन में अध्यापकों को वेतन के बारे में सवाल भी उठाया था। विद्यार्थियों से बड़े पैमाने पर फीस ली जाती है। 60 रुपया वेतन ये मिशन स्कूल वाले अध्यापकों को देते हैं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट को पत्र लिखा है।

In accordance with the provisions of the section 28(4) of the U. P. state Universities act, I have been directed to request you to admit students to various courses solely on the basis ofmerit without any discrimination on grounds or religion, caste and creed etc.

इस तरह से लिखा है कि आप किसी विद्यार्थी के प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं करेंगे लेकिन किसी विद्यालय ने नहीं किया। इसके लिये कौन सी व्यवस्था की जायेगी। अभी हमारे पंचानन राय जी इशारा कर रहे थे, हमें समस्याओं का समाधान भी ढूंढना होगा और उसके लिये प्राविधान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस सम्बन्ध में जजमेंट हुये हैं। प्रबन्धाधिकरण में प्रबन्ध नहीं हुआ करता। एक्सप्लायटेशन के मामले में अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो वह शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं माना जायेगा। मान्यवर, केरल में 1978 के ए0 आई0 आर0 में इसका उदाहरण है। ए0 आई0 आर0 जुलाई, 1980 में दिया हुआ है और विस्तार के साथ चर्चा की गई है कि अल्पसंख्यकों को इसमें पूर्ण संरक्षण दिया जायेगा। मान्यवर, मुझे इस्लामिया कालेज के टीचर्स मिले थे, संडीले के अध्यापक मिले थे। हम चाहते हैं कि इसमें किसी को

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

विकृत न हो। इसलिये इसमें गौर से विचार करने की जरूरत है। मैं किसी जजबात में नहीं जाना चाहता लेकिन यदि यह बात सिद्ध होती है कि उन संस्थाओं के द्वारा शोषण हो रहा है, शासन के नियमों की अवहेलना की जा रही है, छात्रों के प्रवेश में अनियमितता बर्ती जा रही है, नियुक्तियों और सेवा शर्तों में अनियमितता बर्ती जा रही है तो जरूर-जरूर हस्तक्षेप किया जाना चाहिये मेरी यह ईमानदारी के साथ मांग है। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाय और उनमें साधिकार नियन्त्रक नियुक्त करना हो उसमें संविधान की भावना का आदर किया जाय, उसमें उसी जाति या धर्म और पंथ के लोगों की नियुक्ति कर दें। अगर आप को किसी माइनोरिटी विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण को टेकओवर करना है तो उसमें उसी समुदाय के सज्जन को जैसे यहां ब्यायज एंगलो का मामला है जिसके बारे में मैं बहुत विस्तार में बता चुका हूं उसके लिये किसी बंगाली स्पीकिंग आदमी को साधिकार नियंत्रक नियुक्त कीजिये। मैं जब पहले विधायक था उस समय मैंने सरकार से पूछा था जो 16(जी0) नगर पालिका और डिपार्टमेंटल स्कूलों पर लागू नहीं होता था उसको क्यों नहीं लागू किया जाता है। मने उसके लिये सरकार से मांग की थी उस धारा को उन पर लागू किया गया। तो इसी प्रकार यहां पर मेरी मांग है कि सरकार इस बात पर विचार करे और संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों में कोई हस्तक्षेप न करते हुये जो माइनोरिटी इंस्ट्टियूशन हैं उनके लिये उनकी अपनी ही कमेटी बना दें जिसके पास ले जाकर कोई अपनी डिफिकल्टी रख सके। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये, सब को सरविसेज की गारन्टी मिलनी चाहिये। अगर यह बात नहीं रहेगी तो शासन के कोई माने नहीं रहेंगे।

अध्यापकों की यह पुरानी मांग रही है कि कमेटियों से जो नियुक्तियां होती हैं उसके कोई माने नहीं होते हैं इसलिये जैसे यूनिवर्सिटी के लिए आयोग की बात रखी है उसी तरह से इनके लिये शिक्षक वर्ग की नियुक्ति के लिये करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और मैं समझता हूं कि इन मुद्दों पर इधर और उधर के बैठने वाले सदस्य दलीय भावना से ऊपर उठ कर विचार करेंगे और इसे प्रवर समिति में भेजने की बात स्वीकार करेंगे। मैं अपने किसी सुझाव पर हठ नहीं रखता हूं। अगर मुझे उसमें जाने का सौभाग्य मिला तो मैं भी सुझाव वहां पर रखूंगा वर्ना जो लोग जायं वह इन मुद्दों पर विचार करेंगे। मैंने केवल 15 दिन की बात कही है। दीदी मुझे मिठाई खिलायेंगी

(व्यवधान)

जहां पर सुन्दर रूप से यह बात आयेगी माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा की आधार शिला है उसको हम अच्छे रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्र बली ब्रह्मचारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं और सभी सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि मुझे इस इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक जो आ रहा है उस पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 40 वर्षों से मैं शिक्षा जगत में जो थोड़ा बहुत जितनी मेरी बुद्धि रही है उसके अनुसार काम करता चला आ रहा हूं। कई नियम, उप नियम और विधेयक आये बहुत शिक्षा मन्त्री आये, बहुत कुछ काम इसमें हुआ, वह सब मैं देखता चला आ रहा हूं। मैं इस विधेयक

का कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते समर्थन तो करूंगा लेकिन हृदय से इसका विरोध कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि बहुत सी त्रुटियां हैं। अगर आज शिक्षा के काम को कुल सरकार के हाथ में दे दिया जाय और सरकारी मशीनरी उसमें काम करने लग जाय तो पूरा देश अस्त-व्यस्त हो जायगा। दुनियां का इतिहास देखें कभी यह नहीं मिलता कि शिक्षा संस्थाओं का संचालन कोई सरकारी मशीनरी करे। सरकार को जो काम दिए गए हैं सरकार उसमें व्यस्त रहती है। उसी में परेशान है। जो काम एक दिन में होना है, वह खुद 25 दिन में नहीं कर पर रहे हैं। शिक्षा संस्थाओं का काम जनता द्वारा हुआ है। जहां तक मुझे स्मरण है सरकार के कुल मिला कर चार-पांच डिग्री कालेज हैं, कुछ इनेगिने इन्टरमीडिएट कालेज हैं।

(व्यवधान)

आप चुप हो जाइये। मैं बोल रहा हूं। श्रीमन्, जो जनता के परिश्रम से यह विद्यालय तमाम चले हैं और प्रबन्धक समितियां उनको चला रही हैं, गुण दोष सब में होते हैं, न कोई सर्वगुण सम्पन्न है न कोई बिल्कुल दोष युक्त है। बड़ा दुख है जब देखा जाय सुना जाय, जब कोई मंत्री आ जाता है, अपनी जगह पर तो पुरानी बात को भूल जाता है। अगर सरकार हमसे अच्छा प्रबन्ध करके दिखा दे तो भी हम उसके लिए तैयार हैं और उनको सभी शिक्षा संस्थाएं दे देंगे। लेकिन संयोग की बात ऐसी है कि अगर एक आध जगह भी उन्होंने साधिकार नियन्त्रक स्थापित किया है वह नकदम हो गया है। यह जो साधिकार नियन्त्रक जल्दी-जल्दी आप बनाते जा रहे हैं इसको नहीं होना चाहिए। जो शिक्षा संस्थाएं प्रबन्ध समितियों द्वारा संचालित हैं उनका काम भी अच्छे ढंग से चल रहा है ऐसी दशा में आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था करते हैं सरकारी तौर पर आपकी व्यवस्था बिगड़ती है, ऐसी दशा में मैं यह चाहता हूं, कि साधिकार नियंत्रक का मैं कभी भी समर्थन नही कर सकता।

(व्यवधान)

जो कुछ मुझे कहना है उसको आप सुनें। जब हमारा भाषण समाप्त हो जाय तब आप लोग अपनी बात करें।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात कहें।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

आप इस चीज को ध्यान में रखें और अपनी व्यवस्था ठीक करें। प्रबन्ध समितियों ने शिक्षा का बहुत बड़ा प्रसार किया जो सरकार कर नहीं सकती। ऐसी दशा में कहीं त्रुटि हो तो बताएं नहीं हैं, तो इस प्रकार का प्रस्ताव आप मत लाइये, और जिस प्रकार का काम चल रहा है करने दीजिए।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, इस इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980 में बड़े मोटे अक्षरों से लिखा हुआ है जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया था और मैं खुश हुआ था कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में इस संशोधन विधेयक के द्वारा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा लेकिन ठीक इसी के नीचे महीन अक्षरों में "इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये" लिखा हुआ है। तो इसे देखकर मुझे चिन्ता हुई कि यह तो वही पुरानी गली-सड़ी गड़ी हुई गाड़ी है जिसके

[श्री बदन सिंह--]

पहिए टूट रहे हैं और पटरी टूट रही है। तो यह गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसके द्वारा हमारा जो पुराना अधिनियम 1921 का है उसमें यहां पर संशोधन लाया गया है।

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रबन्ध समितियों में बहुत से झगड़े पैदा हो जाते हैं जिनके द्वारा शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाती है और न उनमें झगड़ों के कारण कोई काम ही चल पाता है। प्रस्तुत संशोधन विधेयक में एक व्यवस्था उनके द्वारा यह की गई है कि उन झगड़ों को सुलझाने का काम अब उप-निदेशक शिक्षा को दे दिया कि वे इस प्रकार के झगड़ों का हल निकालेंगे और उनको दूर कर देंगे। इस सम्बन्ध में यहां पर यह कहना चाहता हूं, जैसे ही सांप नाथ वैसे ही नाग नाथ। पहले वहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक हुआ करता था जो इस मामले में इतने गलत काम करता था कि जहां पर मैनेजिंग कमेटियों के झगड़े होते थे वहां पर जो मैनेजिंग कमेटी वास्तव में उस विद्यालय के मैनेजमेंट के लिए अधिकृत होती थी रिश्वत लेकर और गलत काम करके दूसरी मैनेजमेंट कमेटी को अधिकार दे दिया करते थे। इसका ताजा उदाहरण मैं आगरे जिले के विद्यालय निरीक्षक का देता हूं। वहां पर श्री दूधाधारी इन्टर कालेज नगल विष्णु, दूसरा चाहरवाली इन्टर कालेज, अकोला और तीसरा श्री गुलकन्दी राम सिंह इन्टर कालेज, नोंनी हैं। मान्यवर, जिन कमेटियों का वहां पर कायदे से चयन हुआ था उसमें 158 सदस्य थे और 138 सदस्य उपस्थित थे और उसका चुनाव भी कायदे से हुआ था। तो उस समिति को मान्यता नहीं दी और जो ईदगाह स्टैन्ड पर कमेटी बनाई गई थी, उसको मान्यता दे दी गई इसलिए कि पैसा तो लिया ही जिला विद्यालय निरीक्षक पर राजनीतिक दबाव भी पड़ गया। तो इस प्रकार के दबाव और रोल से हमारा उप-निदेशक, शिक्षा भी अछूता नहीं रहेगा, उनके ऊपर अवश्य ही राजनैतिक दबाव पड़ेगा और इस प्रकार से प्रबन्ध समितियों की समस्या हल नहीं होगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक के स्थान पर आप उप-निदेशक, शिक्षा को बैठा दगे। इसका एक मात्र हल यह हो सकता है, जैसा कि हमारे शासन पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी स्वीकार किया है कि साधिकार नियंत्रक के पक्ष में वे नहीं हैं और इसका हल यही है कि इस शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और इसके लिए इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाना बहुत आवश्यक है जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

श्री पंचानन--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और अपनी सरकार को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि वह इस माननीय सदन के अन्दर एक ऐसा विधेयक लायी है जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक नयी दिशा दी गयी है। मैं इस विधेयक का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि इसके द्वारा शिक्षा संस्थाओं में एक जनतांत्रिक आधार पर व्यवस्था कायम करने की बात कही गयी है। बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में विद्यालयों के प्रबन्धक यह समझे रहते हैं कि जब तक वे जिन्दा रहेंगे वे ही उसके प्रबन्धक बने रहेंगे। हमारी सरकार ने उसमें जनतांत्रिक आधार लाने का प्रयास किया है, अब उनका एकाधिकार खत्म किया गया है। अभी तक तमाम मुकदमें न्यायालयों में चला करते थे और अभी तक इस बात का कोई प्राविधान नहीं था कि किस स्कूल की समिति को मान्यता कौन देगा। मनमानी अराजकता चली आ रही थी। पहली बार इस विधेयक में उसके लिए व्यवस्था की गई है कि एक अधिकारी उसको मान्यता देगा। इससे 3-4 झगड़े, जो न्यायालयों में चलते थे वे समाप्त हो जायेंगे।

विद्यालयों में सरपलस अध्यापक निकाल दिये जाते थे। पहली बार इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि उनको अब जो सरपलस होंगे, किसी दूसरी जगह, जहां स्थान रिक्त होंगे, रखा जायेगा, उनको निकाला नहीं जायेगा। जब जनता पार्टी का शासन था तब 20 हजार अध्यापकों की छटनी कर दी गयी थी। छटनी न करने का जो इस विधेयक में प्राविधान किया गया है उसके लिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

माननीय गुप्ता जी ने कहा कि आरक्षण की जगह नहीं भरी जा रही हैं। अभी तक यह इसलिए होता रहा क्योंकि प्रबन्धक निरंकुश थे। अब ऐसा नहीं होगा। जो भी शासकीय आदेशों की अवहेलना करेगा उसकी जगह कन्ट्रोलर बिठा दिया जायेगा जो शासकीय आदेशों का पालन करेगा।

शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई और डा0 साहब की अध्यक्षता में बनी समिति का हवाला दिया गया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे साथी उस रिपोर्ट की चर्चा करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार, जिसने 3 महीने में ही यह क्रान्तिकारी कदम उठाया है, वह उस ओर आगे बढ़ रही है, वह शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। इस सरकार को और माननीया शिक्षा मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं।

श्री मित्रसेन---

मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के द्वारा जो संशोधन किए गए हैं उनसे मर्ज और बढ़ गया है, इससे परेशानियां हल होने वाली नहीं हैं। इसमें नियन्त्रक को लाकर नियन्त्रण करने की बात कही गई है। जब सारा वित्तीय भार, एप्वाइन्टमेंट, सारी व्यवस्था सरकार पर निर्भर है, तो फिर इसके राष्ट्रीयकरण करने में क्या कठिनाई और दिक्कत है ? और इसमें दो अमली हुकूमत रखने का क्या जरूरत है ? एक तरफ सरकार का नियंत्रण है, दूसरी तरफ प्रबन्धीकरण का अधिकार है। आप इस प्रबन्धीकरण को भी देना चाहती हैं, और साथ ही साधिकार नियंत्रक नियुक्त करना चाहता हैं, किन्हीं परिस्थितियों में, जो स्कूलों में बच्चों और मास्टरों के जरिये से गुटबाजी पैदा होती है, तो बनी ही रहेगी। तो फिर प्रबन्धीकरण को यह अधिकार रहेगा कि वह अदालतों में भी जा सकेंगे। तो मान्यवर, मैं तो चाहता था कि शिक्षा मन्त्री जी इसका राष्ट्रीयकरण कर दें। हमारे पंचानन राय जो कह रहे थे कि यह एक प्रगतिशील कदम उठा रही हैं। लेकिन प्रगतिशील कदम ऐसा उठायें जिसके कि कुछ लाभ हो। दूसरे प्रदेशों में शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है, चाहे केरल हो, बंगाल हो, या देश के अन्य प्रदेशों में जैसी शिक्षा व्यवस्था हो, उसका अनुसरण करें कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे अनुशासित किया जा सकता है, कैसे सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है। वहां की शिक्षा व्यवस्था का अनुसरण करके हमारी सरकार को भी उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को लागू करना चाहिए। माननीय मन्त्री जी, प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात मान लें। 15 दिन के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं होने जा रही है कि कोई कठिनाई पैदा हो जायगी जो विशेषज्ञ जो अच्छे जानकार हैं और बहुत से हमारे माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनका इस विषय का कटु अनुभव है, इसे प्रवर समिति में भेजने से एक अच्छे विचार विशेषज्ञों के आ जायेंगे और फिर विशेषज्ञों के विचार लेने के बाद इस प्रस्ताव को पास करातीं। यह प्रस्ताव तो सरकार पास ही करा सकती है तो हमारा निवेदन यह था कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि उस पर

[श्री मित्रसेन--]

विचार हो जाता । इसलिए मैं प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामोदर शर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह जो संशोधन है, इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । मान्यवर, इस विधेयक की पहली पंक्ति है या पहला खण्ड है, जिसमें उप शिक्षा निदेशक को यह अधिकार दिया गया है कि वह जिस कमेटी को या प्रबन्ध समिति को उचित समझें, उसे मान्यता दे सकते है । उचित है । मान्यवर, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में मैंने पहले भी शिक्षा वाले बजट भाषण में कहा और आज फिर दोहरा रहा हूं कि किसी भी देश की शिक्षा ही एक ऐसा सामाजिक दर्पण है जिसके उठने-बैठने और हाव-भाव से पता चलता है । मैं इस राय का पहले भी था और आज भी हूं कि प्राइवेट मैनजमेन्ट खत्म किये जाएं क्योंकि जितनी गड़बड़ियां आज शिक्षा में है, सब की यही संस्थाए जिम्मेदार हैं । इसलिए मैं इस क्रांतिकारी विधेयक का समर्थन करता हूं । जो संस्थाएं जाति-बिरादरी के नाम पर चलती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता । लेकिन वह संस्थाएं जाति विशेष के नाम पर आज भी चल रही हैं । तो इन जाति-विशेष संस्थाओं में उसी जाति विशेष के अध्यापक भी रखे जाते हैं, उनमें उन्हीं का बाहुल्य होता है । उसी को कम करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है । मान्यवर, विधेयक के अंदर दूसरी बात यह भी कही गयी कि नियंत्रण के सम्बन्ध में । मैं इस बारे में पूर्ण रूप से बता देना चाहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र मेरठ के प्राइवेट कालेजों को देखता हूं तो उसमें से कोई कालेज ऐसा नजर नहीं आया, जिसमें झगड़े न हों और हर कालेज में एक-एक, दो-दो प्रबन्ध समितियां बनी हुयी हैं जो केवल एक दूसरे से अच्छे होने का ही दावा करती रहती हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता और जो जिला विद्यालय निरीक्षक है, वह अपने अध्यापकों के मसलों को तय नहीं करा पा रहे हैं, छटनी शुदा अध्यापकों के मसले भी अभी तक तय नहीं करा पाये हैं । तय क्या कराते हैं । प्रबन्ध समितियों के मसले । और यह लोग समझते हैं कि यह कालेज हमारी अपनी सम्पत्ति है, घर है । इसलिए मान्यवर इस संशोधन विधेयक का मैं जोरदार अभिवादन करता हूं और जो इतने सारे विद्यालय जात-बिरादरी के नाम पर चल रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं । और दूसरी बात जो छटनी शुदा अध्यापक की है । अब से 10 वर्ष पूर्व जिस विद्यालय का मैनेजर जब चाहता था तब अध्यापकों को 3 महीने के अंदर अपने घर पर बुला कर कह देता था कि तुम्हारी नौकरी समाप्त हो गयी । दूसरी बात इन्टरव्यू के सिलसिले में कही गयी जो चयन समितियां होती थीं, उन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता था, पढ़े-लिखे लोगों के इन्टरव्यू लेने के लिए, जो अंगूठा टेक हुआ करते थे और वे पढ़े लिखे लोग उन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों से पूछते थे कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं । तो मान्यवर, जो छटनी शुदा अध्यापक सन् 74 से 78 तक के हैं उनको फिर से रखे जाने पर विचार किया जा रहा है । ठीक है प्रदेश के लगभग 60 हजार अध्यापक चैन की सांस लेगा और यह महसूस करेगा कि आज से तीन साल पहले जिस उत्तर प्रदेश सरकार ने 80 हजार अध्यापकों पर लाठी-डन्डे चलाकर जेल के अंदर ठूंस दिया था, अब चैन महसूस करेगा । और जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने छात्रों की कालेजों में प्रवेश सुविधा और हरिजन सुरक्षा की

बात कही । तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां एक बी० एड० कालेज है, जिसके बारे में कोई आज तक नहीं बता सकता कि वहां कोई गलत तरीके या सिफारिश के जरिए से प्रवेश हुए हों और इतना ही नहीं (व्यवधान) इसलिए मान्यवर, मैं इस क्रांतिकारी विधेयक का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

श्री दामोदर शर्मा, आप अपना स्थान ग्रहण करें । आपका समय खत्म हो गया और माननीय सदस्यगण आप लोग भी बैठें ।

(व्यवधान)

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, जो प्रदेश के अन्दर हरिजनों के आरक्षण की बात कही गई है ।

श्री अधिष्ठाता --

मैंने प्रवीन कुमार शर्मा जी को बुला लिया है ।

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, मैं हरिजनों के बारे में कह रहा हूं...

श्री अधिष्ठाता--

अब जो आप बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन विधेयक पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ शिक्षा मन्त्री जी को भी बधाई देत हूं कि उन्होंने एक क्रान्तिकारी कदम हमारे प्रदेश के शिक्षा जगत के अन्दर ला कर दिखलाया । हमारा जो संशोधन सरकार की ओर से पेश किया गया है इसमें मुख्य-मुख्य बातों को माननीय शिक्षा मन्त्री ने अपने भाषण में बताया । उन्होंने बताया कि इसमें मुख्य सुधार यह किया गया है कि जहां पर जिन विद्यालयों में अनेकों प्रबन्ध समितियां बन गई हैं शिक्षा अधिनियम के अनुसार एक ही प्रबन्ध समिति होती है और स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन एक होता है । मान्यवर, आप देखें आज 2-2, 4-4 और 6-6 हो जाती हैं और विद्यालय में शिक्षा कार्य बिल्कुल रुक जाता है उस कुप्रबन्ध को रोकने के लिये इसमें डिप्टी डायरेक्टर को यह अधिकार दिया गया है वह बतायेगा कि कौन सी कमेटी वहां पर कार्य करे । जिससे शिक्षा का कार्य चल सके तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई गलत बात है मैं चाहूंगा कि विरोधी दल में जो साथी बैठे हुये हैं वह देख लें इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है । दूसरी बात जो कही गई वह यह है कि मैनेजिंग कमेटी की मोनोपोली । मैनेजिंग कमेटियों की मोनोपोली नाम की जो चीज है वह इस विधेयक के द्वारा खत्म किया गया है । किसी जाति के हिसाब से या परिवार के हिसाब से एक छत्र राज्य जो था उसको समाप्त किया जा रहा है । तो इसमें विरोधी पक्ष के साथियों को

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा-.]

कष्ट नहीं होना चाहिये । तीसरी बात साधिकार नियंत्रक की कही गई जो डिफेक्ट आफ एजूकेशन है, रिमूबल आफ डिफेक्ट है उसके अनुसार साधिकार की नियुक्ति है । जो कमेटियां गबन करती है नियमों कोनहीं मानते हैं नियमों का पालन करवाने के लिये, गबन को रोकने के लिये इसमें इसका साधिकार नियंत्रक का प्राविधान किया गया है तो मान्यवर इससे क्या कष्ट विरोधी भाइयों को है । चौथी चीज उन्होंने किसी टीचर्स को जो जुलाई 74 या इसके बाद के हैं निकाला नहीं जायेगा उनको जगह मिल रही है तो कोई बुराई नहीं । (4 जब कर 23 मिनट) ।

मैं समझता हूं जो टीचर्स दण्डित किये गए हैं उनको जगह दे दी जय मैं गुप्ता जी की उस राय से सहमत नहीं हूं कि सन् 77 में जो जेल गये थे उनके स्थान पर जो तदर्थ नियुक्ति हुई थी उनको जगह दे दी जाय । मानलीजिये कि मैंने कोई गलती करदी और माननीय अधिष्ठाता महोदय न मुझे मार्शल के द्वारा बाहर निकलवा दिया और तुरन्त मेरे जगह को भरने के लिये कोई नियुक्ति करदी गई तो मान्यवर, यह कहां तक उचित होगा ? मान्यवर एक ओर तो हमको जेल में बन्द किया गया डन्डों से मारापीटा गया और उसके अलावा हमारी एवजी में जगह भी भरली गई यही एक क्रान्तिकारी कदम उठाया था आपने अगर वह क्रान्तिकारी कदम था । मान्यवर, 16 जी0 की बात कही गई । मान्यवर 16 जी0 हमारी सरकार की देन है शिक्षा जगत में जो सुधार हुआ है शिक्षा ऐक्ट के अन्त वह कांग्रेसी सरकार की देन है । मान्यवर आपके जमाने में इतना जरूर हुआ कि तीन सालों में प्रगति नहीं हुई सिवा इसके की डन्डेवाजी और गोली ज्यादा रही । इतनी बात जरूर है, इसमें आप देख रहे हैं, सुधार हो रहा है । सरकार और किसान के बीच के जो दलाल थे वह हमारी सरकार ने हटा दिया, आढ़ती और उपभोक्ता और कृषक के बीच में थे, हटा दिया तो राइट आफ सस्पेन्शन दिया है चाहे 60 दिन का हो, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो स्वोर्ड आफ डिमाक्लीज लटकी है उसको आप हटा दें । अन्त में मैं समर्थन करता हूं ।

श्री अमर सिंह--

मान्यवर, राज्य सरकार को यह पूर्णतया जिम्मेदारी है और थी कि वहां के लोगों को शिक्षित करे । सन् 47 में जब देश आजाद हुआ इस प्रान्त में 150 के लगभग शिक्षण संस्थायें थी जिनमें सरकार की लगभग 40 थीं । आज जब हम देखते हैं इस प्रान्त में 7 हजार के लगभग शिक्षण संस्थान हाई स्कूल से डिग्री कालेज तक हैं । इसमें सरकारी कितने हैं, गिने चुने और वह भी जैसे-तैसे । उसमें 10-20 की बढ़ोत्तरी हो सकती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जनता का सहयोग न होता तो क्या यह संस्थायें इस तादाद में पहुंच सकती थीं ? मैं समझता हूं हर्गिज नहीं । आपको प्रबन्ध कारिणी को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने भागदौड़ कर सरकार का हाथ बटाया और प्रान्त के नवयुवकों को, बच्चों को शिक्षित किया । ए ही तरफ का पहलू नहीं देखना चाहिए । मैं समझता हूं कि आज जो आहिस्ता-आहिस्ता संशोधन किये जा रहे है, इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है । डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के जमाने से अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, इससे खराबियां ही पैदा हुई हैं । वहां पर दो अमला हुकूमत है । एक मैनेजमेन्ट है दूसरा जिले में इन्सपेक्टर । मैनेजमेन्ट अगर किसी अध्यापक को कोई सजा देना चाहता है तो वह बिना इन्सपेक्टर की स्वीकृति के दे नहीं सकता और अगर इन्सपेक्टर किसी के बारे में लिखना चाहे, कार्यवाही करनी चाहे तो बगैर मैनेजमेन्ट के नहीं कर सकता । इससे शिक्षक आजाद है । पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, आज कल हालत खराब होती जा रही है । मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध तो करता ही हूं पर मैं स्वागत करता अगर उस विधेयक को यदि मंत्री जो एजूकेशन ऐक्ट को बदल

कर पूर्णतया शिक्षा के काम को अपने हाथ में ले लेते । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त प्रबन्धीकरण को सरकार की तरफ से क्या दिया जा रहा है ? 15 और 20 प्रतिशत फीस में से जो मिलता ह वह वहां के मैनेजमेन्ट को मिलता हूं जिससे वहां शिक्षा का काम चलाने के लिए नाकाफी है । उसमें दुगना रुपया मैनेजमेन्ट को खर्च करना पड़ता ह साज-सज्जा के लिए, फर्नीचर, बिल्डिंग के लिए, बहुत जिम्मेदार है प्रबन्धकारिणी पर और उसको अधिकार क्या दिया है ? म इसलिए इस संशोधन विधेयक का पूरे तौर से विरोध करता हूं । मैं स्वागत करता अगर सरकार पूरे तौर से इसे अपने हाथ में ले लेती और इसका राष्ट्रीयकरण कर देती ।

श्री ए० सी० ग्राइस--

माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे मौका दिया । मैं इसका स्वागत करता हूं और सेलेक्ट कमेटी का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसका जवाब में गुप्ता जी और जौन-जौन कहते हैं राष्ट्रीयकरण हो, देना चाहता हूं । श्रीमन्, रह क्या गया राष्ट्रीकरण करने में सरकार पूरी तनख्वाह देती है, जितना इनकम होती है वह गवर्नमेन्ट ले लेती है । 15 प्रतिशत 20 प्रतिशत बचता है मैनेजमेन्ट के पास । उसमें सब है, बिल्डिंग का मेन्टीनेंस है, रिपेयर है, फर्नीचर है । सब चीजों को देखना पड़ता है । वह लोग अपनी तरफ से चन्दा उठाकर यह सब (इस समय 4 बजकर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) न करें तो बिल्डिंग सत्यानास हो जाये । गवर्नमेन्ट कालेजेज से भी खराब हो जाये । कहते हैं राष्ट्रीकरण करने की बात । सरकारी स्कूलों में क्या हालत है ? प्राइवेट स्कूलों से क्या अच्छा है । जैसा आपने कहा इनडिसिप्लिन है । टीचर्स इतने इनडिसिप्लिन्ड हो गये हैं कि कोई टीचर टीच तो करना नहीं चाहता । आज क्या है, टीचर्स की तनख्वाह बढ़ा देते हैं और सरकार दे रही है । कौन टीचर जिम्मेदारी से कार्य करता है । 99 प्रतिशत घर में क्लास करते हैं । 3-4 हजार रुपये कमाते हैं अपनी तनख्वाह के ऊपर । स्कूलों से डिसिप्लिन लेकर डी० आई० ओ० एस० के हाथ में डाल दिया । न वह कुछ डिसिप्लिन क्रियेट कर पाता है और न सरकार । सेसफ्रान्से के 63 स्कूल हैं । 150 सालों से चल रहे हैं । एक को निकाला गया था केवल । एक महीने की तनख्वाह देकर एक को निकाला गया । आपने पूंछा क्यों ? आप चाहते हैं कि जो इनडिसिप्लिन दूसरे स्कूलों में हो रही है वह हमारे स्कूलों में भी हो जाये । नहीं कह रहे हैं । हम स्कूल से निकाल देंगे अदर वाइज दूसरे स्कूल की तरह वह भी हो जायेगा । हर जगह यही हो रहा है राष्ट्रीयकरण में रह क्या गया है सिर्फ मैनेजमेन्ट रह गया है टीचर्स को आप अप्वाइन्टमेन्ट नहीं कर सकते हैं । टीचर्स की जगह खाली होगी अप्लीकेशन दीजिये । डी० आई० ओ० एस० लिस्ट बनायेगा । सेलेक्ट कमेटी होती है वहां जायेगा । वह भी सब देखने के लिए है । सेलेक्ट कमेटी के बाद डी० आई० ओ० एस० के पास जायेगा । फिर डायरेक्टर अप्रूव करेगा । क्या रह गया है उनके हाथ में । देखने के लिए उनके पास सेलेक्ट कमेटी है । टीचर्स उनके हाथ में नहीं है । उनके हाथ में केवल मैनेजमेन्ट करना है । मैं चाहता हूं सरकार ले ले । सरकार के हाथ में पूरी तरह से हो जाये । आप कहते हैं राष्ट्रीयकरण । राष्ट्रीयकरण करके देखिये । पूरा सत्यानास हो जायेगा । आप भूल जाये । राष्ट्रीयकरण का नाम मत उठायें । काफी राष्ट्रीयकरण हो चुका । अब समय आ गया है मदद करें । इन्सटीट्यूशन्स में डिसिप्लिन हो । डिसिप्लिन जैसी दूसरी जगह है वैसी होगी । मंत्री जी भी सुनें डिसिप्लिन लाने के लिए । टीचर्स कैन डिसमिस इफ दे बेयर नाट परफार्मर सेटिस्फैक्ट्री टीचर्स को दो या तीन प्राइवेट ट्यूशन करने हों । प्राइवेट ट्यूशन करे तो पकड़ा जाये, निकाल दिय जाये । यह हिम्मत नहीं है । क्या है ? मैनेजमेन्ट

[श्री ए० सी० ग्राइस---]

में झगड़ा हो जाये तो हम ले लेंगे।मैनेजमेन्ट किसे ले लें ? झगड़ा कैसे निकाला जाय क्योंकि हमारे हाथ से डिसिप्लिन तो निकाल लिया । डिसिप्लिन कुछ रहा नहीं । हम प्रार्थना करते हैं, फार गाड लेक, थोड़ी डिसिप्लिन हो जाय । यह कर दें । थोड़ा समझ जाये और डिसिप्लिन लाने का प्रयास करें ।

श्री त्रिवेनी---

माननीय, शिक्षा पर बोलने वाले इधर भी बहुत से लोग हैं ।

श्री राज कुमार राय---

माननीय, आपने शिक्षा के विधेयक के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये हम आपके आभारी हैं । माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, वह निश्चय ही एक क्रान्तिकारी कदम है और स्वागत करने योग्य है । माननीय, एक नीति की घोषणा करके हम आये हैं । आपने जनता के सामने और अध्यापकों के सामने कुछ घोषणायें की थी ? हम अगर विधेयक रखने जा रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । आश्चर्य तो तब होता है जब जनता पार्टी और लोकदल के लोग, जो इस समय विरोध में बठे हैं, वे इस विधेयक का विरोध करते हैं । माननीय, एक बार इसी सदन में इन लोगों द्वारा इसको रखा गया था और फिर यह विधान परिषद् में गया, प्रवर समिति को सौंपा गया और फिर जब इस विधेयक को आने को हुआ तो आप लोग, विरोध पक्ष के भाई, जो यहां सदन पहले थे नहीं, इस का विरोध कर रहे हैं जबकि हम तो केवल जो बाकी काम पड़ा था, उसी को कर रहे हैं । उसी बाकी काम को पूरा करने का यह कदम है । इसलिए खुले दिल से, अच्छे भाव से इसको मान लिया जाना चाहिये और इस विधेयक को पास कर दिया जाना चाहिये ।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है, इसके पक्ष और विपक्ष में सारी बातें कह दी गयी हैं । एक तरफ ऐसा तर्क है कि जो प्रबन्धाधिकरण वे पक्ष में हैं । एक तरफ ऐसे तर्क हैं कि जो प्रबन्धाधिकरण के विपक्ष में हैं और जो एक दम उसको बेईमान हो, सारे अध्यापकों पर अन्याय करने पर तुला हुआ हो, ऐसे तर्क प्रबन्धाधिकरण के खिलाफ देते हैं । तो दोनों तरफ से बहुत कहा जा चुका है । हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं कि जिसमें अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने प्रबन्धाधिकरण, शिक्षकों और शिक्षार्थियों से विसंगति किया है और अपने संगठन के बल पर जैसा चाहा उन्होंने प्रबन्धाधिकरण और यहां तक सरकार को भी झुकाया है और ऐसे भी उदाहरण हैं कि जिसमें प्रबन्धकों ने भी अध्यापकों को सताया है । इसलिये हर चीज का निराकरण गुण और दोष पर होना चाहिए, मेरिट और डिमेरिट पर होना है । किसी एक तरफ से कहने का मामला नहीं । मैं भी संयोग से एक प्रबन्धक हूं, इसलिए यह बात कहनी पड़ रही है ।

माननीय, जो ऐसा विधेयक हो, जिसमें इस बात का प्राविधान किया गया हो कि जो छटनीसुदा अध्यापक हैं और काम करने वाले लोग हैं, उन्हें उनकी छटनी बरकरार न रहेगी, उनको कहीं न कहीं समावेश कर दिया जायगा, ऐसे विधेयक का विरोध कुछ समझ में नहीं आता । कुछ उचित नहीं लगता। मैं समझता हूं कि विरोध पक्ष के भाई खुले दिल से इसका स्वागत करेंगे कि अगर कहीं दो किस की प्रबन्ध समितियां हो जायं, तो कौन आदेश देगा, क्या आदेश देगा और ऐसे समय में क्या परिणाम होगा, इस सबके बारे में निराकरण किया

गया है। अगर सम्पत्ति और अध्यापकों की नियुक्ति, पद-अवनतियों का झगड़ा है, तो ऐसी हालत में प्राविधान को स्पष्ट और साफ कर दिया तो मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी और सरकार बधाई के पात्र हैं। आखिर शिक्षा जगत में अस्पष्टता बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। इसलिए यह क्रान्ति की ओर एक कदम है। हमें इसका बहुत सही दिल से स्वागत करना चाहिए और हमारे माननीय विपक्ष दल के भाई लोग आगे कुछ और भी चीज रखेंगे तो उसको हम मानेंगे। लेकिन कम से कम इस क्रान्तिकारी कदम को स्वागत करें और इस विधयक को पास करें।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। वैसे हमारे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने को रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन मान्यवर, यह जो विधयक आया है वह सही है और इस विधेयक के जरिये सन् 1974 से लेकर आज तक जिन अध्यापकों की छटनी हुयी है उनको नौकरी मिलेगी। मान्यवर, आज हालत यह है कि मैनेजमेन्ट में जिसके दादा मैनेजर हो गये उसका लड़का भी मैनेजर है और एक प्रकार से वह विद्यालय खानदानी विद्यालय हो गये हैं। इस विधेयक से इतना जरूर होगा कि निदेशक को पावर होगा कि वह उस मैनेजमेन्ट को तोड़ देगा। हमारे देवरिया जिले में, मान्यवर, आप जानते हैं कि एक उदित नारायण इन्टर कालेज जो पडरौना में है, वहां आज 8 साल से 2 प्रिंसिपल, 2 मैनेजमेन्ट और दो कार्यालय चल रहे हैं। इतना बड़ा पुराना स्कूल आज मैनेजमेन्ट के झगड़े में बरबाद हो गया है। पहले वहां 35 सौ लड़के थे लेकिन आज घट कर 13 सौ लड़के रह गये हैं। मान्यवर, इसी तरह से एस0 एस0 बी0 एल0 इन्टर कालेज एक आदमी के छत्र छाय में चल रहा है वहां पर भी यही स्थिति है। सारे जिलों के मैनेजमेन्ट में इस तरह की वरार पैदा हो गयी है वह अध्यापकों को और प्रधानाचार्य को नौकर समझ रहे हैं। आज स्थिति यह पहुंच गयी है कि वह जब चाहते हैं अध्यापक को नोटिस दे देते हैं और उसके बाद रिस्तौल और राइफल के बल पर इस्तीफा लिखा लेते हैं और अपने नाते रिश्तेदारों को वहां नियुक्त कर लेते हैं। तो इसमें जब तक पूरा सुधार नहीं होगा तब तक यही व्यवस्था रहेगी और लोगों के साथ अन्याय होगा। हम लोग समझते थे कि नयी सरकार शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेगी। जब आप तन्खवाह दे रहे हैं, सब चीजें आप कर रहें हैं तो उसका राष्ट्रीयकरण करने में क्या दिक्कत है। आपकी सरकार जो बिहार में है उसने किया है केरल की सरकार ने पहले ही कर दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिये कि वह इन संस्थाओं को ले लें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्कूलों की हालत आज क्या है, मैं समझता हूं कि हरिजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का एक भी प्रधानाचार्य और अध्यापक नहीं है। आखिर कारण क्या है एम0 ए0, एल0 टी0, एम0 ए0, बी0 एड0 किये हुये लड़के घूम रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि जहां पर मैनेजमेन्ट का चुनाव होता है वहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचना दे दें कि फलां तारीख को चुनाव करेंगे। और जिला विद्यालय निरीक्षक एक सूचना दें कि फलां तारीख को मेम्बरों का चुनाव होगा जो चाहे मेम्बर बन जाय। मान्यवर, होता यह है कि घर बैठे कार्यवाही करके पूरा मैनेजमेन्ट बना लेते हैं। अगर किसी ने विरोध किया हो उसको निकाल देते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आज अध्यापकों के चुनाव के मामले में और प्रधानाचार्य के चुनाव के मामले में भी संशोधन होना चाहिये। सभी मैनेजर जिला विद्यालय निरीक्षक को लिख कर दें और जिला विद्यालय निरीक्षक उस सूचना को प्रचिलित अखबारों में

[श्री नन्द किशोर सिंह—]

छपायें कि इन जगहों के लिये लोग आयें और जो क्वालीफाइड लोग हों उनमें से लोगों को नियुक्ति कर लें। होता यह है कि मैनेजर लखनऊ, बनारस, दिल्ली के अखबारों में छपा देते हैं जिनको उस इलाके में लोग पढ़ते नहीं हैं और मैनेजर लोग अपने आदमियों को फार्म भरवा देते हैं और रख लेते हैं। गोरखपुर में बरहा सोनबरसा कालेज में 5 जुलाई, 1980 का चुनाव हुआ मात्र इसी विद्यालय के एल0 टी0 ग्रेड के कई अध्यापकों ने दरख्वास्त दिया था सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों को रखने के लिये स्थान रिक्त था। प्रधानाचार्य द्वारा अपने रिश्तेदारों को रख लिया गया है। हमारे फिरंगी प्रसाद विशारद जो वहां के एम0 एल0 ए0 रहे हैं, वहां का प्रधानाचार्य उनसे कहता है कि आपको जान से मार डाला जायेगा और आपके लड़के को फेल कर दिया जायेगा और आपको बरबाद कर दिया जायगा क्यों आपने शिकायत करवाया है तो मान्यवर, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने मन्त्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत विधेयक पर बोलने के लिये मुझे जो अपने समय दिया उसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है यदि हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य हृदय पर हाथ रख कर और ईश्वर को साक्षी करके यदि सोंचे तो उनको भी लगेगा कि इस कांग्रेस सरकार की यह प्रथम उपलब्ध है जिसके द्वारा शिक्षकों और शिक्षार्थियों को शिक्षा मन्त्री द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने उनको राहत मिलेगी। मान्यवर, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि जो भी शिक्षा संस्थायें प्राइवेट चलाई जा रही हैं उनका जो मैनेजमेन्ट रहा है, उनके प्रबन्धकों द्वारा इस तरह के शिक्षकों पर अन्याय होता था, उनको आज दूर करने के लिये यह पहली कड़ी है जो शिक्षा मन्त्री जी ने सदन में रखा है। मान्यवर, एक-एक विद्यालय में 8-10 प्रबन्ध समितियां कार्य करती थी और कोई कहता था कि मैं इसका संचालक हूं और दूसरा कहता कि मैं। तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिये कांग्रेस सरकार ने यह कदम उठाया है। और मान्यवर, जो श्री राजेन्द्र कुमार ने इसका सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात कहा है। मैं तो समझता हूं कि वह इस आदरणीय सदन के एक आदरणीय सदस्य हैं लेकिन मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि वह इस तरह की बातों में कैसे फंस जाते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो विधेयक रखा जावेगा उसका वह प्रवर समिति में रखने की बात जरूर कहेंगे। मैं नहीं समझ पाता हूं कि जब वह यहां एक समाज सेवा का व्रत लेकर आये हैं तो जो समाज सेवा के लिये विधेयक रखा गया है उसका समर्थन क्यों नहीं करते हैं। माननीय मन्त्री जी ने समाज सेवा के लिये यह विधेयक यहां रखा है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी कराह रहा है, प्रबन्ध समिति के लोगों ने अपने स्कूलों को अपने पिता का जागीर समझ रखा था, इसलिये इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए मंत्री जी ने यह विधेयक रखा है जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं और ऐसा विधेयक इस आदरणीय सदन में रखकर उन्होंने शिक्षा में व्याप्त सारे कलंकों को धो दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके संरक्षण में इस तरह के विधेयक आ रहे हैं जिससे जन जीवन को राहत मिलेगी। इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे विश्वास है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है उसको वह वापस लेकर सर्वसम्मति से पास कर शिक्षकों और शिक्षार्थियों को एक नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ेंगे।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं साथ ही शिक्षा मंत्री द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ जो प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुये उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जो 3 वर्षों में विसंगतियां दूर करने का प्रयास मन में रखते हुये माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, नहीं कर पाये थे उसका एक कदम जब मंत्री जी ने उठाया। वह कदम जब सार्थक होने जा रहा है तो इनके मन में कुछ शंकायें व्याप्त हो गयीं और उस आधार पर प्रवर समिति को इसको सुपुद करने का श्री गुप्त ने अपना प्रस्ताव रखा।

माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ 2–3 बातें हैं जिन पर उनको एतराज हो सकता है लेकिन जिन पर एतराज होना चाहिये था उस पर उनको एतराज नहीं है, एतराज इस पर है कि जिस बात का अवसर नहीं है। उन्होंने पहले कहा कि अल्पसंख्यक स्वरूप के विधेयक को परिधि से छोड़ दिया गया जिस पर उनको दर्द है। लेकिन जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध का सवाल उठा था तो यह जनता पार्टी में मौजूद थे उन्होंने स्वयं हामी भरी थी उस समय दर्द नहीं रह गया था। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि इसमें एक उपधारा जोड़ी गई है जिसमें अतिरिक्त शिक्षा निदेशक को अधिकार दे दिया गया है कि निदेशक का जो अधिकार था उसके तहत वह भी कार्य कर सकें। अधिकार क्या है परिभाषित है। समितियों में विवाद होता है, परस्पर लड़ाई होती है, वह दोनों की बात सुने और सुनने के बाद जिसे अच्छा समझे वह उस समिति को मान ले, अपनी सहमति प्रकट कर प्रबन्ध उसे दें। इसमें न्यायालय के अतिक्रमण की बात नहीं है। आप देखें। न्यायालय की तो अपनी सीमा है। वहां से जो निर्णय होगा वह शासन को मान्य होगा और उस समिति को मान्यता मिलेगी।

साथ ही साथ इसमें एक चीज और बनाई गई है प्रशासन योजना। अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे। पूरी शिक्षा व्यवस्था को दो चीजें पिस रहीं हैं एक मैनेजमेंट और दूसरा अध्यापक। जब दोनों वर्ग आपस में लड़ते हैं तो कुठाराघात किस पर होता है। वह है अभिभावक, विद्यार्थी। विद्यार्थी की हित की रक्षा, अभिभावक के स्वार्थ की रक्षा, उनकी गाढ़ी कमाई की रक्षा, किस तरह से की जाय। शासन ने इस ओर ध्यान दिया। इस पर नियम साफ नहीं थे। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कन्ट्रोलर नियुक्त करने के बारे में आपत्ति उठाई। अभी तक जो नियम बने हुये हैं कि कन्ट्रोलर कब नियुक्त हो सकता है वह स्पष्ट नहीं है। इस संशोधन में प्राविधान किया गया है कि किन परिस्थितियों में कन्ट्रोलर नियुक्त किया जायगा। अब कानून और व्यवस्था का झगड़ा कम रह जायगा। इसलिये इसका समर्थन करना चाहिये था।

इसमें एक बात और कही गयी है कि प्रशासनिक योजना का स्वरूप क्या हो। इसमें पहली बार परिभाषित करके संशोधन किया गया है कि स्वरूप जनतांत्रिक अवश्य होगा। इसका समर्थन करना चाहिये था।

माननीय, अन्त में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जहां तक किसी अल्पसंख्यक संस्था को छोड़ने का सवाल है उसमें मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि अल्पसंख्यक संस्था का भी प्राविधान इसमें किसी रूप में रखा जाता तो उचित होता क्योंकि उनमें अव्यवस्था है लेकिन अगर नहीं है तो शासन से यह अपेक्षा है कि

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

आने वाले दिनों में उस ओर कदम उठायेगा प्रमुख रूप से आशा है राष्ट्रीयकरण की दिशा में शासन अपने कदम बढ़ायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बाजपेयी जो का भाषण मैं सुन रहा था । उन्होंने कहा कि कोई आप में समझ नहीं रही । आप समझें उसका तर्क दिया जा सकता है लेकिन उनको समझ बुद्धि कहां से दे पायेंगे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

समझ बुद्धि तो केवल राजेन्द्र जी के पास है शायद धरती में और किसी को नहीं मिली है ...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं तो बड़ा आभारी हूं कि जितने भी सदस्यों ने चाहे इधर के हों या उधर के हों सबने मेरे प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव की अपनी भावनाओं से स्वागत किया । माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने भी अंत में अल्प संख्यकों के बारे में कोई बात कही । इसलिए हम प्रवर समिति के सुपुर्द इसे करना चाहते हैं ताकि जो चीज बन कर आयेगी उसका रूप और निखरेगा, जो कोई चीज अगर रह गई हो उससे मुक्ति हो जायेगी और सभी गुणों से सम्पन्न विधेयक आयेगा, इसलिए प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव होता है । माननीय त्रिपाठी जी ने भी इसी भावना के अन्तर्गत मेरे प्रस्ताव का स्वागत किया है । ग्राइस जो चले गये । उन्होंने कई बातें उठाई थीं जिनका उत्तर उन्होंने नहीं दिया । न्याय वह है कि हजार दोषी छूट जायं लेकन एक निर्दोष को न फांसा जाय । एक व्यक्ति को उन्होंने निकाला अनुशासन हीनता में । अब अनुशासनहीनता है या नहीं है यह कौन तय करेगा ? हम और आप तय करेंगे ? हम और आपमें से तीसरा व्यक्ति तय करेगा और वह है जुडिशियल न्यायाधिकरण या डिप्टी डाइरेक्टर । इसलिए यह व्यवस्था रखी है कि किसी अध्यापक को निलम्बित भी नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्वानुमति न मिल जाय । उसके बाद जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, नैनी की बात कही था उसका भी उत्तर यही है कि मेरी भावना को वह सही समझते हैं । इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि मैंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है कुछ इसलिए रखा है कि कोई कमी रह गई हो तो जिस भावना से विधेयक यह लाया गया है उस भावना को वहां सुन्दर निखार दे दिया जाय । मैंने कल भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि कब तक इस बात की रट कर अपने पापों को छिपाते रहेंगे कि जनता सरकार ने यह किया था । जनता सरकार की समय की आप कार्यवाही निकाल कर देख लें उसमें भी मेरा वही स्वर था जो आज है । मैं उस समय भी इसी बात का पक्षधर था कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । जनता पार्टी थोड़े ही समय रही लेकिन उसने सोचना शुरू कर दिया था । फिर संविद सरकार जब बनी थी उस समय शिक्षा मंत्री राम प्रकाश थे उनका यह कदम इसी ओर था कि उन्होंने बजट में राष्ट्रीयकरण के नाम से मद रखी थी । यह मेरी भावना का सवाल है । आज आपकी जिम्मेदारी है और आज आप से ही पूछा जायेगा ।

एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं । छटनी की बात कही गयी । बात अच्छी है । सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि वर्तमान प्रबन्धक समयतीत

लगता है। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि अपने बल के आधार पर न जाने कितने अध्यापकों से इस्तीफा लिया गया। क्या यह सही नहीं है कि अनुशासन-हीनता की कार्यवाही एक पक्षीय की गयी ? यह साफ हो जाय कि अपने डंडे और लाठी के बल पर अध्यापक से इस्तीफा तो नहीं लिया गया, एक पक्षीय न्याय दे कर उसे विद्यालय से निष्कासित तो नहीं किया गया ? यह बात साफ हो जाना चाहिये था ता कि अध्यापक को न्याय मिल जाता। इसलिए प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजने का मैं प्रस्ताव कर रहा हूं। इन छोटी-छोटी बातों पर विचार करना आवश्यक है। 74 से लागू करने की बात है लिहाजा पूर्वकालिक प्रभाव से परिस्थिति को देखने की आवश्यकता है। जो तर्क उधर से रखे गये हैं उससे यह आवश्यक है कि इस विधेयक को युक्तिसंगत बनाने के लिए, प्रभावी निखार लाने के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है कि इसे 15 दिन के लिए प्रवर समिति को भेज दिया जाय और सर्वसम्मति से उस समय एक स्वर से अध्यापकों के हित में तथा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के हित में इसे पारित करें।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जो उनके साथी विधान परिषद में हैं उनसे क्या उनका नाता टूट गया है ? क्या बात है ? कोई बात जरूर है। वहां आपके ही साथी इसको पारित कर चुके हैं-दो-दो बार पारित कर चुके हैं और यहां आप उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। मान्यवर, ये हृदय पर हाथ रख कर कहें कि आखिर क्या चाहते हैं ? व्यावहारिक जीवन में "हां" का मतलब "हां" होता है और "ना" का मतलब 'ना' होता है। लेकिन कविता में 'ना' का मतलब 'हां' होता है और 'हां' का मतलब 'ना' होता है। इसलिए मैं इनके 'ना' का स्वागत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आप क्या कविता सुना रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जो विचार इसपर प्रकट किये हैं उनको धन्यवाद देती हूं। इस विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगी कि इस पर निःस्वार्थ भाव से निर्णय लें। मैं विरोधी पक्ष के साथियों से विशेषकर अनुरोध करूंगी कि आप जो प्रवर समिति का नुस्खा पेश करते हैं, बार-बार पेश करते हैं, कड़वी दवा के रूप में, उसको आप कृपा करके वापस लें और इसको खुशी-खुशी पास कर दें। मान्यवर, पिछले 3 सालों में जो जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, जगह-जगह पर, गली-गली में और घर-घर में जो जातिवाद प्रचलित हुआ वह कम से कम मैंने स्कूल और कालेजों से तो खत्म कर दिया और उसे बिलकुल जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। हम जातिवाद को जिन्दा नहीं रहने देंगे। प्रबन्धक कमेटियों द्वारा जाति के नाम पर किसी स्कूल का शोषण नहीं होना चाहिये। इस छूत की बीमारी को दूर रखना चाहिये। कहीं यह बीमारी मेरे बच्चों पर न आ पड़े इसीलिए मैं यह विधेयक लाई हूं।

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कुछ सुझाव दिये हैं, बड़े अच्छे सुझाव हैं। उन्होंने माइनरिटीज के बारे में कहा। अध्यापकों की सुरक्षा होनी चाहिये। जब हम इस विधेयक के द्वारा और अपने शिक्षा कोड के द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—]

सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में अपने अध्यापकों को पूर्ण सुरक्षा देंगे तो मैं समझती हू कि इसकी खुशबू उन स्कूलों तक भी फैलेगी और इसका लाभ माइनारिटीज के अध्यापकों को भी मिलेगा। माइनारिटीज इन्स्टीट्यूशन्स को अपनी मोरल जिम्मेदारी समझनी चाहिये, उनका फर्ज जो अध्यापकों के प्रति हो। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा का संचालन करते हैं जो इन्टेलेक्चुअल्स हैं उनके ऊपर हमारा भरोसा है। हमारे माननीय विधायक ग्राइस साहब इस समय नहीं हैं मैं उनके द्वारा माइनारिटीज इन्स्टीट्यूशन्स के संचालकों से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने अध्यापकों का सुरक्षा, खुशी और सुख सुविधा का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। माननीय, मुझे पूरा विश्वास है कि यह विधेयक शिक्षकों को बल देने के लिए उनके हित में और उनको जो इनफिरियोरिटी कंप्लेक्स है उसको खत्म करने के लिए मैनेजमेन्ट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए संस्था में प्रगति और सुधार के लिए यह लाया गया है। मैंने अपनी स्पीच में यह नहीं कहा कि जितने भी मैनेजमेंट हैं सब साफ हो जायेंगे और नियंत्रक की नियुक्ति हो जायेगी लेकिन जहां कहीं भी दोषपूर्ण मैनेजमेंट हैं उनका भी हमने इंतजाम कर दिया है। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथी विपक्ष के नेता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और उस दिन तो मैंने लखनऊ की बर्फी पेश की थी और आज लखनऊ का पान गिलौरी चांदी की तस्तरी में पेश कर रही हूं उसको आप पसंद कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो एक माह के भीतर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 5 तक

संयुक्त प्रान्त अधिनियम (संख्या 2 सन् 1921) का संशोधन

2—इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 2 में, खण्ड (ककक) में, अन्त में, शब्द "और धारा 3 के प्रयोजनों के सिवाये इसके अन्तर्गत अपर शिक्षा निदेशक भी है" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 16-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16-क में, उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(7) जब कभी किसी संस्था के प्रबन्ध के संबंध में कोई विवाद हो, तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा ऐसी जांच करने पर जिसे उचित समझा जाय, उसके कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय, गठित ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के

प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है जब तक कि सक्षम अधिकारिकतायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दे :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, प्रतिद्वन्दी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

स्पष्टीकरण--इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संस्था के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक संस्था का निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण को उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजन और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा" ।

4--मूल अधिनियम की धारा 16-ख में उपधारा (3) में, शब्द धारा 16-ख "धारा 16-घ की उपधारा (3) के खंड (क) या (ख)" के स्थान का संशोधन पर शब्द "धारा 16-घ की उपधारा (3)" रख दिये जायेंगे ।

5--मूल अधिनियम की धारा 16-ग में, उपधारा (1) में, शब्द धारा 16-ग "प्रशासन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के सिद्धान्तों को शासित का संशोधन करने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" रख दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 और खंड 5 इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 6 से 9, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

धारा 16-गग; 16-गगग तथा 16-घघ का बढ़ाया जाना तथा धारा 16-घ का प्रतिस्थापन

6--मूल अधिनियम की धारा 16-घ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"16--गग--किसी ऐसी संस्था, जिसे इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना तृतीय अनुसूची में निर्धारित सिद्धान्तों से असंगत न होगी ।

16--गगग (1) जहां किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय धारा 16-क या धारा 16-ख या धारा 16-ग के अधीन अनुमोदित हो या अनुमोदन समझी गयी हो, और ऐसी प्रशासन योजना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, वहां निदेशक प्रशासन योजना में कोई परिवर्तन

या उपान्तर का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसे प्रारम्भ के छः मास की अवधि के भीतर भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना म संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिए अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा ।

(3) निदेशक उपधारा (2) के अनुसार दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन सुझाये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुये या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो अनुमोदित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तर का प्रस्ताव करता है, वहां वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा ।

16-घ (1) निदेशक किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय-समय पर निरीक्षण करा सकता है ।

(2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता है ।

(3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक का यह समाधान हो जाय कि---

(एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है, या

(दो) समिति ऐसी अर्हता के जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है या उसने इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारिवर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा है, या

(तीन) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के सम्बन्ध में किसी विवाद से, सम्बद्ध संस्था के निर्बाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है, या

(चार) समिति संस्था के लिए ऐसा पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, प्रयोगशाला उपस्कर या अन्य सुविधाओं की, जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक है, व्यवस्था करने में लगातार विफल रही है, या

(पांच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी पर्याप्त उत्तर प्रदेश सम्पत्ति को अन्य कार्य में लगाया है, उसका दुरुपयोग या दुर्विनियोग अधिनियम किया है या किसी सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें संख्या 3 सन् (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 के उप- 1975
बन्धों का उल्लंघन करके अन्तरित किया है, या

(छः) प्रशासन योजना का प्रारूप धारा 16-ख के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबन्ध प्रशासन-योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या

(सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व अनुमोदित की गई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, और संस्था की प्रबन्ध समिति धारा 16-गगग के अधीन नोटिस दिये जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तर करने में असफल रही है;

तो वह मामले को ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने के लिए बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर यह कारण बताये कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय।

(4) जहां किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा निदेशक समय-समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहे, या जहां प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहां वह उस संस्था के लिये प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) दो वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था और उसकी सम्पत्तियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिये ऐसा करना सर्वोचीन है, तो वह समय-समय पर, उक्त आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसे वह विनिर्दिष्ट करे, इस प्रकार बढ़ा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है किन्तु जिसमें उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट अवधि सम्मिलित न होगी, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में

न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस समय तक कर्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि प्रबंध समिति का विधि पूर्ण गठन हो गया है ।

(5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पांच) में उल्लिखित कारण विद्यमान हैं और संस्था के हित में तुरन्त कार्य ही करना आवश्यक है तो वह उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बतायें कि क्यों न ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय ।

(6) जहां सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहती है या जहां प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) के खंड (तीन) या खंड (पांच) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान है वहां वह आदेश द्वारा औ उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तद्परान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किये जाने के दिनांक को या इससे पूर्व उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील के दिनांक को अन्तिम रूप से निस्तारित न की जा चुकी हो उक्त दिनांक से अस्थागित समझी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गयी नोटिस उन्मोचित हो जाय तो इस उपधारा की कोई बात निदेशक को उपधारा (3) के खंड (तीन) और (पांच) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायगी ।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंग, प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन उस दिनांक से जब वह प्रभावी हो छः मास से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण---एक---सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (4) या उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना करने में उतनी अवधि को अपवर्जित किया जायगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके निलम्बित किया गया हो ।

स्पष्टीकरण---दो---उपधारा (4) या उपधारा (8) की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश को प्रतिसंहृत करने से प्रवारित नहीं करेगी ।

(9) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य-क्रम में माह प्रति माह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार या भारत सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) की शक्ति है ।

(10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखत (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा :

परन्तु यह है कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा ।

(11) निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकता है जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों का कार्यान्वित करेगा ।

(12) उपधारा (3) के अधीन किये गये निदेश के अनुसरण में बोर्ड द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायगा ।

(13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होगी, न कि उनका अल्पीकरण करेगी ।

(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी ।

16-घ-घ--(1) जहां धारा 16-घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, वहां--

(क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध, समिति को अपर्वाजित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निबंन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार आरोपित करे, ऐसी समस्त शक्तियां और प्राधिकार होंगे, जैसे समिति को प्राप्त होते यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होती;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में संस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप देगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 16-घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश के दिनांक को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिये उत्तरदायी होगा, और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उनकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियंत्रण दिये जाने के लिये कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 16-घ में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के सम्बन्ध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसके भूमि, भवन (छात्रावास सहित), निर्माण-कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, स्टोर, आटो-मोबाइल और अन्य गाड़ियां, यदि कोई हो, सम्मिलित हैं और संस्था से सम्बन्धित अन्य वस्तुयें, हस्तस्थ नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और बही ऋण, और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखा बही, रजिस्टर और उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेज भी हैं और इसके अन्तर्गत संस्था पर सभी प्रकार के समस्त उधार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी ।"

नयी धारा 16-ङङ का बढ़ाया जाना ।

7--मूल अधिनियम की धारा 16-ङ के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

छंटनी किये गये कर्मचारियों का आमेलन

"16-ङङ--(1) जहां किसी संस्था के किसी कर्मचारी की छंटनी 1 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो और ऐसा कर्मचारी मूल नियुक्ति के दिनांक को उसके लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, वहां सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक इस निमित्त आवेदन-पत्र दिये जाने पर निदेश देगा कि इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कर्मचारी को उसी संस्था में या उसकी अधिकारिता के भीतर किसी जिले में स्थित किसी अन्य संस्था में होने वाली किसी स्थायी रिक्ति में आमेलित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् छंटनी किये गय किसी कर्मचारी के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक सम्बद्ध कर्मचारी के आवेदन-पत्र के बिना इस धारा के अधीन निदेश देगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर दिया जायगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा कोई निदेश जारी किया जाय, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्--

(एक) सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन करने के किए बाध्य होगी और ऐसे कर्मचारी को, जिसके पक्ष में ऐसा निदेश दिया जाय, समिति द्वारा उसे जारी किये गये नियुक्ति के आदेश के दिनांक से या उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध समिति पर निदेश तामील किये जाने के दिनांक से दो मास की अवधि की समाप्ति से, जो भी पहले हो, ऐसी संस्था का कर्मचारी समझा जायगा ।

(दो) ऐसे कर्मचारी द्वारा अपनी छंटनी के दिनांक के पूर्व किसी संस्था में की गयी मौलिक सेवा की अवधि की गणना उसकी ज्येष्ठता और पेंशन के प्रयोजनों के लिये की जायगी ।

(तीन) जहां सम्बद्ध कर्मचारी पद का कार्यभार इस निमित्त दिये गये समय के भीतर ग्रहण करने में चूक करता है, वहां इस धारा का लाभ उसे उपलब्ध नहीं होगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिये गये निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश की तामील के दिनांक से एक मास के भीतर निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है, और उस पर निदेशक का आदेश अन्तिम होगा ।

(5) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि म किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ,--

(क) किसी संस्था के सम्बन्ध में 'कर्मचारी' का तात्पर्य उस संस्था के ऐसे अध्यापक, संस्था के प्रधान या अन्य कर्मचारी से है जो छंटनी के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को स्थायी पद पर हो,

(ख) "संस्था" के अन्तर्गत राज्य सरकार या निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था भी है,

(ग) किसी संस्था के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "छंटनी" का तात्पर्य त्याग-पत्र, सेवानिवृत्ति या अनुशासनिक कार्यवाही में दंड स्वरूप हटाये जाने के कारण से भिन्न किसी कारण से उसकी सेवाओं की समाप्ति से है ।"

धारा 16-ज का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 16-ज में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "उपधारा (2) से (7)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (2) से उपधारा (13)" रख दिये जायेंगे ।

अनुसूची का बढ़ाया जाना

9--मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"तृतीय अनुसूची"

(धारा 16-गग देखिये)

सिद्धान्त जिन पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायगा--

प्रत्येक प्रशासन योजना में,--

(1) प्रबन्ध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी;

(2) नियम कालिक निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ, धर्म या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों ।

(4) बैठक बुलाने और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किये जायं और प्रत्यायोजन की शक्ति, यदि कोई हो, सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी;

(6) यह सुनिश्चित किया जायगा कि प्रबन्ध समिति और उसके पदधारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों,

(7) संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भी और लेखों की नियमित जांच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी ।"

इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 6 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 16-घ की उपधारा (14) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(14) भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था में यदि प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति अभीष्ट समझी जाये तो प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में ऐसे व्यक्ति तथा व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी जो कि उसी अल्प-संख्यक वर्ग के हों जिनके द्वारा उक्त संस्था स्थापित और प्रशासित हो ।"

माननीय, मैं खंड 6 में संशोधन के संबंध में तर्क प्रस्तुत कर चुका हूं ज्यादा न कह कर केवल एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कहा था कि अगर ग्राइस साहब होते तो उनसे अपील करती कि हमारे इस अच्छे विधेयक की हवा उन तक पहुंच जायेगी और वह अपने अध्यापकों की सुरक्षा देंगे । लेकिन अगर नतिक अपीलों से काम चल जाता तो विधेयक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और शासन

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

व्यवस्था की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए नैतिक अपीलों से काम चलने वाला नहीं है। मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं एक शर्त पर कि अगर इसमें इस बात को ध्यान दिया जायेगा कि जिस अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था है उसी वर्ग के लोगों की कोई एडवाइजरी बाडी बना दी जायेगी। वह अपनी रुचि से उस संस्था को चलायेंगे, अपन अधिकार से वंचित नहीं हो सकेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाय कि उनकी एक एपेक्स बाडी बना दी जाय जिसम जाकर कोई अपील कर सकता है और उसके द्वारा दिये गये निर्णय संस्था को मान्य हों। अगर ऐसा फोरम बनाने का आश्वासन दें तो मैं वापस ले सकता हूं अन्यथा नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है जिस पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की है। मैं अपनी पार्टी की इस नीति का पक्षधर होते हुए भी अपनी रुचि के अनुरूप अध्यापकों का शोषण बचाने के लिए इसे आवश्यक समझ कर इस मांग को प्रस्तुत करता हूं।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो उपधारा (14) में संशोधन पेश किया है, मैं एक अध्यापक के नाते समझता हूं कि उसमें भी बड़ा बल है। लेकिन कुछ आपत्तियां और कठिनाइयां ऐसी है जिनके कारण जो अल्पसंख्यक हैं उनके मैनेजमेन्ट करने का वह अधिकार नहीं ले सकते। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, ए0 पी0 रेकगनाइज्ड प्राइवेट एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (कंट्रोल) ऐक्ट सुप्रीम कोर्ट केसेज, 1980--वाल्यूम 2 के पृ0 479 पर जस्टिस फजल अली का फैसला है--

Sectio (1) as well as the proviso in the absenc of any rules interfere with the right under Article 30 (1)

Section 3 (2) is bad because it is inherent and fundamental right of the institution to deal with its employees or teacher and to take necessary action against them.

कोई भी अध्यापक किसी भी विद्यालय में जहां नौकरी कर रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार विद्यालय को है। यह संक्षिप्त में अनुवाद है। 1980 का सुप्रीम कोर्ट का केस है 748 पृष्ठ पर बसु की जो कांस्टीट्यूशन की कमेन्टरी है इसके अन्दर आर्टिकल 30 को जहां बयान किया गया है वहां पर साफ लिखा है--

It follows that no such regulation would be valid, if it has the effeot of disploting the minority administration or complet ly taking away its autonom ty.

गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है कि किसी भी विद्यालय का मैनेजमेन्ट, जिसको अल्पसंख्यक चलाते हैं, ले सकें। अनुच्छद 30 की परिधि में स्टेट गवर्नमेंट को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई अधिकार नहीं है कि उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या रोक लगाये। यह संवैधानिक स्थिति है। जहां तक अध्यापकों के चुनाव का सम्बन्ध है, जहां तक उनके स्टैंडर्ड का सवाल है, अगर कुछ ऐसे लोगों को रखा जाता है जो क्वालिफिकेशन्स नहीं रखते तो उस मैनेजमेन्ट के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। इसलिए जो शंका उन्होंने व्यक्त की है, ऐसी चीज नही है जिससे काम करने में सरकारी स्तर पर किसी प्रकार की रुकावट आती हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

दो मिनट मुझे इसके बाद सुन लिया जाय। बड़ी कृपा होगी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर प्रस्तुत किया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट वापस कर दिया है। जस्टिस हिदायतुल्ला ने इसी तर्क को काटा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के शोषण की शिकायत आयी है या नहीं मान्यवर, मैं मानसिक जमनास्टिक में नहीं लाना चाहता हूं और न सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में ही जाना चाहता हूं। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि अगर वे शिकायतें आयीं तो उसके निराकरण के लिए शासन की कौन सी एजेन्सी है? मान्यवर, अपनी नीति और नयी परम्परा के विपरीत इस संशोधन को वापस ले लेता अगर शासन इसके समाधान का आश्वासन दे दे कि जो लिंग्विस्टिक माइनारिटी और धर्म के अनुरूप उनके अन्दर काम करने वाले कर्मचारी या उनके अन्दर जो भी उनके व्यक्ति हैं उनको कम वेतन मिल रहा है, वे निकाले जा रहे हैं, मैनेजमेंट नियमों के विरुद्ध का आचरण कर रहे हैं तो उसके निर्धारण के लिए अगर किसी ऐजेन्सी का मन्त्री जी आश्वासन दे देंगी तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो यहां पर शिकायतों की बात कही गयी है तो वे तो हर कोने से आती ही रहती हैं चाहे माध्यमिक विद्यालय हों या माइनोरिटी के हों लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शिकायतें कम से कम हों और अध्यापकों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जायं साथ ही साथ उनसे ज्यादा से ज्यादा काम भी लिया जाये और जैसा कि मैंने पहले भी कहा जहां तक माइनारिटी इन्सटीट्यूशन्स का सवाल है तो वहां पर चाहे उनकी कम्युनिटीज के हों, इन्टेलेक्चुअल लोग हैं, मैनेजिंग कमेटीज हैं, जो बड़ी एफिशिएन्टली स्कूलों और कालेजों को चला रहे हैं तो मैं समझती हूं कि हमारा जो यह विधेयक है इसकी प्रेरणा लेकर अपने अध्यापकों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अतः मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से अपील करती हूं कि वे अब अपना संशोधन वापस ले लें और इसको पास होने दें। यह विधान परिषद् में 2 बार पास हो चुका है, आप नाराज क्यों बैठे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार जी, क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

चूंकि शासन की ओर से कोई समाधानकारक आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए मैं अपना संशोधन वापस नहीं लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 16-घ की उपधारा (14) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(14) भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था में यदि प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति अभीष्ट समझी जाये तो प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में ऐसे व्यक्ति तथा व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी, जो कि उसी अल्पसंख्यक वर्ग के हों जिनके द्वारा उक्त संस्था स्थापित और प्रशासित हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 6 से 9, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, मैं इसको पेश करते समय विधायक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहती हूं, वे भूल जाते हैं ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

वे भी भूल जाते हैं और आप भी भूल जाती हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह विधेयक मान्यवर, 1979 में विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया था और 4 सितम्बर, 1979 को पारित किया गया था, कहिये हां । किन्तु विधान परिषद् ने इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया था, कहिये हां । (हंसी) मैं आपको सब याद दिला रही हूं । उसके बाद विधान परिषद ने 6 फरवरी, 1980 को, आपके ही साथियों ने पारित किया, कहिये हां । (हंसी) लेकिन जब उसे विधान सभा में यहां पेश करने का अवसर आया तो यह सब, मान्यवर, गोल हो गय । (हंसी) अब हम आ गये और पुरानी स्मृतियों को याद दिला रही हूं ।

यह विधेयक मान्यवर, बिल्कुल नानकन्ट्रोवर्शियल है । हम एक आयोग का गठन करना चाहते हैं, जिसके द्वारा महाविद्यालयों के टीचर्स का सुचारू रूप से चयन हो । मैं खुद भुक्तभोगी हूं, 35 वर्ष कैसी यातना में शिक्षा जगत में मैंने गुजारे, मैं जानती हूं । अभी तक चयन समितियां इनका चयन करती थीं । इनमें होता क्या था । दो एक्सपर्ट्स को बुलाते थे, कभी एक आता था तो दूसरा नहीं आता था कभी दूसरा आता था तो पहले वाले को नजला, खांसी, जुखाम हो जाया करता था, कभी एक रूठ जाता था तो कभी दूसरा । वे दोनों आ जाते थे तो प्रबन्धक महोदय तशरीफ नहीं लाते थे । वे किसी शादी आदि में फंसे रहते थे । बड़ी परेशानी होती थी चयन करने में । चयन समिति की बैठक ही मुश्किल से हो पाती थी । फिर लोकल होने के कारण प्रधानाचार्य की वह मुसीबत होती थी कि मैं बता नहीं सकती । जिस दिन चयन होना होता था उससे एक हफ्ते पहले प्रधानाचार्य को अन्डर ग्राउन्ड चले जाना पड़ता था, मैं खुद अन्डर ग्राउन्ड चली जाती थी । बड़े-बड़े महारथियों के ट्रंककाल आते थे, सुनते-सुनते कान बहरे हो जाते थे । तो मान्यवर, यह सब बातों के झगड़े इनकी वजह से, इनसे बचने की वजह से, हमने आयोग बनाया है । जैसे कि हमारे राजकीय महाविद्यालयों में, हमारे, जो चयन होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसी प्रकार इन महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए हमने एक केन्द्रीय आयोग बनाया है ताकि जो चयन हैं वह सुचारु रूप से और बिना किसी प्रिजुडिश के और बिना किसी सिफारिश के, एक फेयर चयन हो सके । यह सामने आपके जो विधेयक पेश है, इसमें हमारी माइनारिटीज जो हैं, वह शामिल नहीं हैं, इनके इंस्टीट्युशन शामिल नहीं है । लेकिन इसमें यह प्राविधान किया

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---]

गया है, जो कि माइनारिटीज के इंस्टीट्यूशन्स हैं, वह अपनी चयन समिति के द्वारा चयन करेंगे लेकिन उसका अप्रूवल वाइस चांसलर या जो आयोग है, आयोग के द्वारा उनका अप्रूवल अवश्य लिया जायगा । इसलिए यह प्रतिबन्ध एक तरीके से उनके ऊपर भी लागू होता है । तो मान्यवर, म अनुरोध करूंगा अपन विपक्ष के साथियों से कि अपना प्रवर समिति वाला नुश्खा जो है कड़आ-कड़आ, वापस ले लें, इसको पास करें और अध्यापकों का कल्याण करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो बात कही, उनको तो अध्यापन का दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त है । कड़आ और मीठे का भी अनुभव प्राप्त है । मुझ भी 5 साल का प्राध्यापक रहने का कुछ कड़आ और मीठा अनुभव उस क्षेत्र में है । मान्यवर, मैं खुद यह समझता था कि यह प्रवर समिति को जा चुका है और वहां से लौट के आया है, इसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी । लेकिन मान्यवर, इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें रह गयी हैं । मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस विधेयक को दोष से मुक्त, युक्तसंगत बनाने पर विचार करेंगी, आप कहेंगी कि संदेह आप क्यों करते हैं । मान्यवर, आदमी के काम से उसके आगे के काम का विश्वास और संदेह किया जाता है । हर विधेयक जो सरकार की तरफ से आता है, उसमें लिखा रहता है कि यह त्वरित प्रभावी होगा, लेकिन इसमें आपने कहा है कि यह उस दिनांक से लागू होगा जब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करेगी । मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि इसको तत्काल लागू कर दिया जाय । इसमें तो कुलपति के, कांफ्रेन्स में कुछ सुझाव लिये गये थे, तब भी आपत्ति की गयी, आज भी आपत्ति कर रहा हूं । कुलपति की क्या रिपोर्ट थी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके अनुरूप यह विधेयक है या नहीं ? मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा पोषित विद्यालय को छोड़ने का क्या कारण है । जो कमियां अध्यापकों के चयन में कुछ दिखाई पड़ती हैं, प्रोफेसर्स की नियुक्तियों में क्या कड़आ अनुभव आपको नहीं है ? आप जब इधर बैठती थीं । आपने मेरी इस बात पर मेज थपथपाई थीं । पहाड़ पर एक कंवोकेशन होने जा रहा था । एक गुजराल नाम की लड़की को गोल्ड मेडल देने के लिये बुलाया गया था । उसने वापस कर दिया । उसने कहा मैं फर्स्ट क्लास टापर हूं, जब मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वहां पर थर्ड डिवीजन वाले को सेलेक्ट किया गया था और उसको नहीं सेलेक्ट किया गया । आप याद करिये मेरे कहने पर आपने मेज थपथपाई थी । तो मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट डिग्री कालेजेज को इसके परिध्यु से बाहर क्यों कर दिया ?

इनमें जो नियुक्तियां की जायेंगी वह सब सिफारिश पर हुआ करेंगी और लोग पहुंच जायेंगे आपके पास और सिक्रेट्रीज के पास अगर यह मेरी बात आपको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सही नहीं लग रही हो, तो जाँच आप करा दीजिए इसकी । और यह बातें गलत निकलती हैं तो मैं माफी मांग लूगा सदन में । और इस बात को सिद्धान्तया में कई बार कहता रहा हूं कि अगर आप अपनी ब्युरोक्रसी की गलतियों को माफ करती जायेंगी, तो यह ब्युरोक्रेट्स कहीं का भी आपको नहीं छोड़ेगें । जो अपने देश की इज्जत के साथ-साथ विदेशों की लड़कियों स्पेन और पोलैन्ड की इज्जत के साथ भी खेल रहे ह । इस तरह यह आपकी इज्जत को चौराहों पर बेंच देंगे । अगर इन पर आपने अंकुश नहीं लगाया । तदर्थ नियुक्तियां जो महाविद्यालय की चयन समितियों द्वारा हुआ करती थीं अब आयोग करेगा । तो मान्यवर इनमें जो नियुक्तिया होंगी वह डायरेक्टर और डिप्टी डारेक्टर के मर्जी पर हुआ करेगे, वह जब चाहें निकाल दें और वह बिना किसी कारण निकाला गया आदमी हाईकोर्ट भी नहीं जा सकता ह, ऐसे नियमों को आप बनाने जा रहे हैं इस संबंध में हमारे इधर के साथियों और कुछ उधर के साथियों ने जो बहुमूल्य सुझाव रखें है, उन सब पर विचार करके ही आप कोई निर्णय लें और अगर हमारे हाथ में कोड़ा नहीं होगा, तो हम सही रास्ते पर चलानें के लिए योग्य नहीं बन पायेंगे । और शासन बिल्कुल निरंकुश हो जायेगा । जैसा आपने इस उद्देश्य और कारणों में लिखा ह कि तदर्थ नियुक्तियों के चयन प्रक्रिया में विलम्ब हुआ करता था, तो उसमें आप ने 3 महाने की छूट दे दी । अगर आप इन तदर्थ नियुक्तियों म 3 महीने की छूट का प्रविधान रखेंगे तो हमारा सारा पर्पज ही फारफिट हो जायेगा । इसलिए मेरा सुझाव यह ह कि तदर्थ नियुक्तियों का अधिकार किसी भी दशा में दिया गया तो शोषण को बढ़ावा देना होगा । हम यह नहीं कहते हैं कि हमारे तरफ के सुझाव ही योग्य हैं और वही माने जायं, आप स्वयं यदि इस पर गौर करें तो आपको इसकी कमी मालूम हो जायेगी । वैसे मैं इस पर बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन दो एक बातें ऐसी सामने आ गयीं तो बोलना पड़ा और इसमें आपने जो शर्त रखी है, उसको ओर भी आपताप ध्यान दें दूसरा मान्यवर, मेरे सुझाव है जो लोग अन-इम्पलाइड हैं मैं यह नहीं कहता कि आप उन्हें बेरोजगारी भत्ता दें । मगर इतना जरूर कहूंगा जैसा कि इससे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जो अन-इम्पलायड हैं, वह अगर किसी सर्विस के लिए प्रार्थना-पत्र दे, तो उससे आप किसी प्रकार की फीस न लें, जैसे कि बांड वगैरह या अन्य तरीकों से जो फीस उनसे वसूला जाती हैं, वह गलत है । हां अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी हैं, जो कहीं इम्पलाइड है, जैसे कहीं प्रोफेसर, अध्यापक या किसी सचिवालय या किसी अन्य जगह पर काम कर रहा है, उससे आप फीस लें और जो बेकार है, कहीं काम नहीं कर रहा है, उससे फीस न लें । और अंत में एक बात और कहकर अपनी बात को खतम करता हूं । हमारे अम्मार रिजवी साहब यह बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि अब संविधान के अंदर जो बातें दी गयी हैं कि जितने भी इन्टरमीडिएट कालेज हैं, उनके मैनेजमेंट को टेंक ओवर किया जाय तो वह बात अब खत्म हो गयी, अब इसमें क्या कमी रह गयी है । इसमें आपने अध्यापकों की नियुक्ति में माइनारिटीज इन्स्टीट्यूशन को आपने क्यों अलग कर दिया अध्यापकों की नियुक्ति में उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हम कहां हाथ डाल रहे थे । इन सब बातों को मैंने सदन के सामने रख दिया हैं । इससे अगर सदन सहमत हो और यह चाहता हो कि यह विधेयक इन सब दोषों से मुक्त हो कर गुणयुक्त होकर आये तो इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इन शब्दों के साथ में पुनः अपने प्रस्ताव पर प्रवर समिति के सुपुर्द करने की पुरजोर बल प्रदान करता हूं ।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[प्रवीन कुमार शर्मा--]

हूं कि उन्होंने उच्च शिक्षा का सेवा आयोग जिसकी बहुत बड़ी अहम जरूरत थी आज के जमाने में उसको एक विधेयक की स्कीम म लाने की उन्होंने यहां पर हिम्मत की है और बहुत ह। साहसिक कदम उ होंने उठाया है। यह कोई नई चीज नहीं है अगर आप पुराने इतिहास को उठाकर देखें तो 1979 के अन्दर इसी विधान सभा के अन्दर यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया और जिसको 4 सितम्बर को इसी महीने में पारित किया गया, उसके बाद जब विधान परिषद में यह भेजा गया तो वहां इसको समिति के सुपुर्द कर दिया गया और प्रवर समिति को रिपोर्ट के आधार पर उसको मंजूरी भी कर ली। मान्यवर, फिर जब विधान सभा में विचार के लिये भेजा गया तो उसके पहले विधान सभा भंग हो गई तो मान्यवर सितम्बर के महीनें में ही जो काम बाकी बचा था उसको हम पूरा करने जा रहे ह मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें विरोध पक्ष को क्या आपत्ति है। दूसरी बात यह है कि 73 में जो नियम बनाया गया है चयन समिति, चुनाव समिति हर विद्यालय के अन्दर बना दी गई कि यह चुनाव समिति अध्यापकों का चयन करेंगी। मान्यवर, होता यह था कि इस चयन समिति में चुनाव साफ ढंग से नहीं हो पाता था एक आधा जगह को छोड़कर। जो चुनाव होता था वह जातीय आधार पर होता था दलगत राजनीति के आधार पर होता था अथवा मैं यहां तक कहना चाहूंगा यह शर्म की बात है कि पैसा लेकर चुनाव किया जाता था। इन आयोगों के द्वारा जो दलालों की कमाई थी उसको बन्द किया जा रहा है इस विधेयक के द्वारा मैं पूछना चाहूंगा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी क्या दुःख उनको हो सकता है जो उन्होंने प्रवर समिति को सुपुर्द कराने के लिये इतनी पुरजोर सिफारिश की है। उन लोगों की कमाई इतनी बड़ी संख्या में है। हो सकता है आप कहीं प्राध्यापक रहे हों। पांच साल रहे हों जैसा आपने बताया हो सकता है उनके सामने ऐसी चीज न आई हो। मेरे शहर अनूप शहर के अन्दर यह समस्या सुनाई देती है कि फलां डिग्री कालेज के प्रबन्धाधिकरण रकम मांगते हैं नियुक्ति के लिये। मेरे क्षेत्र में यह बात है तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह होगा। तीसरी बात उन्होंने कही की व्यूरोक्रेटस आपके ऊपर घोड़े की तरह सवार है। वह उसको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं सदन को और गुप्ता जी को यह सूचना देना चाहता हूं कि हो सकता है आप घोड़े के लिये नये रहे हों और उसने आपको गिरा दिया हो हम घोड़े के अच्छे सवार हैं हम उसकी रकाब को खींचे रहेंगे और गिरेंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

लगाम खींचे रहेंगे या रकाब।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

एक बात गुप्ता जी ने कहा कि किसी कुमारी ने अपना मेडल वापस कर दिया था तो मंत्री जी ने मेज थपथपाई थी। जब कोई ऐक्ट आफ डेरिंग होता है अर्थात् जब कोई बहादुरी का काम किया जाता है चाहे वह उचित न हो लेकिन फिर भी आ जाता है। एक काम तो किया एक लेडी ने लेकिन उसके अन्दर इन्टेलीजेन्स या सेन्स नाम की कोई चीज है जिससे मेज थपथपायी गयी है। मैं अपील करूंगा कि अपन इसको वापस ले लें और हमारी जेबें और हमारी गर्दनें कटने से बचा दें। अन्त में मैं धन्यवाद देता हूं कि आपन मुझे मौका दिया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उच्च स्तरीय शिक्षा सेवा आयोग पर बोलने का अवसर दिया । इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि जो रिक्तियां होंगी वे आयोग को सूचित की जायगी और एक पद के लिये 3 या 3 से अधिक नाम के सुझाव दिये जायेंगे । अभी सरकार की मंशा साफ नहीं है । वह अपने कुछ लोगों को जोड़ने की बात सोच ली है क्योंकि 3 या 3 से अधिक संख्या संदेहास्पद जो विधेयक में साफ ह । इसमें यह भी त्रुटि पायी गयी है कि एक अध्यक्ष होगा और जो उसमें 2 या 2 के बाद 4 अधिकतम सदस्य होंगे, इस देश की परम्परा ह और आज भी सरकार शासन में यह धर्म निरपेक्षता, कमजोर और अल्पसंख्यकों को भलाई की बात कहती है, कहीं यह नहीं है कि जो सदस्य बनगे उसमें अनुसूचित जाति का कोई आदमी होगा या नहीं । या मान लिया ह कि शायद अनुसूचित जाति में, किसी भी क्षेत्र में हो, विज्ञान, केमेस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट में मिलते नहीं हैं, इनको पीछ छोड़ा जाये, ऐसा इनका मन है । इसके साथ ही साथ यह भी कहना है कि जो अधिसूचना जारी करने की तिथि है, कोई निश्चित करनी चाहिये । जो त्रुटियां यहां हो जाती हैं या हुई हैं उनको दूर करने में शासन को कुछ परेशानियां होती होंगी । यह भी होना चाहिये कि जो आगे आयोग द्वारा चुने जायें उनके लड़के जो हाई स्कूल या इन्टर म रहते ह थर्ड, जब विश्वविद्यालय में आते हैं तो टाप कर जाते ह । यह खुला सत्य है, गोरखपुर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट अगर देख ली जाये, तो ऐसे जो लोग नियुक्त होते हैं जो अपने बच्चों, जाति और घरानों को टाप करायें, तो मान्यवर, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये कि एसे नियुक्त अध्यापकों को निश्चित् रूप से निकाल दिया जाये । मान्यवर, इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति को सुपुर्द करने की जो बात है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री पंचानन—

मैं पुनः शिक्षा मंत्री जी को और इस प्रदेश की अपनी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि यह विधेयक इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में कदम उठायेगी । यह एक क्रान्तिकारी कदम है । एक लम्बे अर्से से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सामान्य जन इस बात की निरन्तर मांग करता रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे लोगों की नियुक्ति की जाये । योग्य लोग रखे जांये । शिक्षा के क्षेत्र में जैसा मंत्री जी ने कहा हम जाति बिरादरी मिटाना चाहते हैं । इसलिए आयोग द्वारा भर्ती चाहते हैं । आज व्यक्तिगत प्रबन्ध के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में जो भर्ती होती है उससे जो जातीयता फैल रही है समाज में, उसको हटाया जाना चाहिये । इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं । इसके द्वारा हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिससे शिक्षा का राष्ट्रीकरण आने वाले दिनों में होगा । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि हमारे साथी जब सत्ता में थे तो यह इस सदन में आया था और दूसरे सदन में पारित हुआ था । शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रगति नहीं चाहते । इस तरह के विधेयक लाते थे और कानून नहीं बनने देते थे । आज हमारी सरकार इस विधेयक को लेकर आयी तो स्वागत नहीं किया । इसका स्वागत करना चाहिये । यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील कदम है । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि कम से कम हमारी सरकार ने प्रगति की दिशा में कदम उठाया । इसके कई प्रभाव होंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री पंचानन]

निष्पक्ष चयन होगा । जाति विरादरी पर रोक लगेगी । जिस स्कूल में अध्यापक कम होंगे दूसरे स्कूल से भेजे जा सकते हैं । राष्ट्रीयकरण की दिशा में यह एक कदम ह । संक्षेप में इसके कई लाभ हैं । इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं । गुप्ता जी से निवेदन ह कि वह इसको सर्वसम्मति से पास करें । प्रगतिशील कदम का समर्थन करें ।

श्री किरन पाल सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संशोधन रखा है उसमें उन्होंने इसका विरोध नहीं किया । इसमें कुछ कमियां हैं उनके निराकरण के लिए समय मांगा है । जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने वसे इसका हृदय से स्वागत किया है । क्योंकि अध्यापकों की नियुक्ति में प्राइवेट कालेजेज में मनेजमेन्ट द्वारा जो धांधली होती ह उससे निजात पाना आवश्यक था । शायद मैं अपनी बात को कहने में सही भी हूं । जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में होंगे सबसे ज्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं, मैंने डिग्री कालेजेज में इन्टरव्यू दिये होंगे । एम० एस० सी० करने के बाद जहां-जहां कालेज में गया वहां पहले ही मैनेजमेन्ट को बता दिया गया कि यह लड़का राजनीति में दिलचस्पी रखता है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है । मनेजमेन्ट के खिलाफ सरदर्द बन सकता है, प्रिन्सिपल के खिलाफ सरदर्द बन सकता है । गलत काम को नहीं बरदास्त करेगा । मैं सोचा करता था कि मैनेजमेन्ट का हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिये । मैं एक इन्टरव्यू का उदाहरण देना चाहता हूं । स्पष्ट हो जायेगा । एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में म इन्टरव्यू देने गया था । वहां के मैनेजमेंट का यह हाल था ।

(शोर)

उदाहरण दे रहा हूं । एक आदमी हमारे साथ डाक्टर भी था जो इन्टरव्यू देने आया था । जब इन्टरव्यू देकर सभी लोग चले गये तो मैनेजमेन्ट के एक आदमी ने कहा कि इस डाक्टर को रख लीजिये पढ़ायेगा भी और बच्चों की नब्ज भी देखेगा । यह विधेयक स्वागत योग्य है । मगर मान्यवर, इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं जिनका निवारण करना भी आवश्यक है । मान्यवर, सबसे पहले मेरा सुझाव यह ह कि इसमें जो लिखा गया है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 या 2 से अधिक सदस्य होंगे जिनमें से वह या तो न्यायिक सर्विस या प्रशासनिक सर्विस का या समाज सेवा के क्षेत्र का होगा । मान्यवर, मेरा कहना है कि प्रशासनिक सर्विस का कोई आदमी नहीं होना चाहिये । न्यायिक और समाज का व्यक्ति होना चाहिये ।

मान्यवर, इसके अलावा एक और भी सुझाव देना चाहता हूं । कितनी शैक्षिक योग्यता है, केवल इतना ही देखना आयोग के लिये काफी नहीं है । मेरा सुझाव है कि आयोग कुछ और चीजों का भी ध्यान रखे । मान्यवर, जसे फोर्स की सर्विसेस में है कि उसमें सर्विस सलेक्शन बोर्ड होता है । आयोग यह भी देखे कि अभ्यार्थी का व्यक्तित्व कैसा है । कम से कम एक दिन या 2 दिन टेस्ट लिया जाय इन्टेलीजेंस टेस्ट, सायकोलोजी टेस्ट, इन्टैलीजेन्स कंशैन्ट ये सब लिये जांय और देखा जाय कि वह विद्यार्थियों को फेस कर सकता है कि नहीं । एसा देखा गया है कि किताबों से रटकर डिवीजन हांसिल कर लेते हैं

लेकिन विद्यार्थिओं को सही तौर से फेस नहीं कर पाते । इसलिए क्लासेस ठीक तरह लेकर पढ़ा नहीं पाते । तो इसके लिये विधेयक में कमी है ।

मान्यवर, इसमें तदर्थ नियुक्तियों का भी प्राविधान है । ये तदर्थ नियुक्तियों को नहीं रखना चाहिये क्योंकि यह एक बीमारी ह । तदर्थ नियुक्तियों के करते रहने से असल आदमी का सलेक्शन नहीं हो पाता ।

मान्यवर, अल्प संख्यकों के लिए कहना चाहता हूं कि उनको अलग नहीं करना चाहिये । अध्यापकों की नियुक्ति आयोग के द्वारा होगी तो काबिल आदमी आयेंगे और विद्यार्थियों का भला होगा, माइनरिटी इन्स्टीट्यूशन का भी भला होगा ।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, वैसे सभी माननीय सदस्यों को जल्दी है लेकिन एक विवकत की वजह से सामने खड़ा होना पड़ा है गुप्त और त्रिपाठी दोनों के फर्क को सामने लाने की वजह से कहना पड़ रहा है ।

एक सदस्य--

अच्छा हो यदि गुप्त ही रखें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा रहेगा कि आप बीच में ही रहें । (हंसी)

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो उच्चतर शिक्षा आयोग विधेयक है, उसका समर्थन करते हुये एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं । मान्यवर, एक छोटी सी बात याद आती है । जब कभी बारात जाती है तो चाहे राजी से ही जाती हो, लेकिन लोग गाली गाया करते हैं । तो ऐसा लगता है कि जब शासन की तरफ से कोई विधेयक आता है, तो विरोध पक्ष के लोग, चाहे भले ही उसको चाहते हों, लेकिन वही गाली गाने का काम करते हैं और कहते हैं कि इसको प्रवर समिति को भज दिया जाये । राजी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं । दोनों तरफ से समर्थन है और इसको लोग चाहते भी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको गाली में मजा तो आ रहा है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, हम वर पक्ष के हैं, इसलिए गाली मिलती है । गाली देने वाले तो उधर बैठे हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, गाली भी हो गई और सोहारी भी हो गई । अब शिक्षा मन्त्री को बुलायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री हरदेव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और यह जो विधेयक लाया गया है, इसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं एक हरिजन मेम्बर हूं । मैंने विभागों में देखा है कि बहुत सी बातें हुआ करती हैं । मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आयोग जो बनाया है, उसमें एक हरिजन मेम्बर को भी रखें अन्यथा हरिजनों के साथ अन्याय हो जायेगा । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हर बजट की किताबों को मैंने देखा है । उसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी अच्छा नहीं था, मिला नहीं, इतनी जगह नहीं । तो निवेदन है कि इस विभाग में जो खाली जगहें हैं, उसमें हरिजनों को मौका दिया जाय । तो अन्त में मेरा यह कहना है कि इसमें हरिजनों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये । जय हिन्द ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे कुछ और अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो मंशा है वह स्पष्ट है आयोग के गठन का कोई विरोध नहीं है । मेरा प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है, उसका तात्पर्य यह है कि इसको प्रभावी कैसे बनाया जाय, कुछ मैंने सुझाव दिए हैं और मुझसे भी विद्वान लोग उसमें बैठेंगे और सुझाव दिये जायेंगे । इसलिये मैं यही बात कहकर समाप्त करता हूं । जहां तक बात शिक्षा मन्त्री की गिलौरी की बात रही वह बार-बार दावत दे रहा हैं, मैं तो डायबिटीज का मरीज हूं, मिठाई तो मैं खाता नहीं । हां, दूसरी बढ़िया चीज खिलाने की बात वह करती हैं तो उसके लिये वादा करता हूं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरा कहना था कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें तो दावत है । मगर आप तो कड़वा दवाई पेश करते हैं । तो हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की ।

मैं अपने हर पक्ष और विपक्ष के साथियों को और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को धन्यवाद इस बात का भी देती हूं कि उन्होंने यह कहा कि मुझे कोई विरोध नहीं है । यह मालूम होता है कि वाकई में उनकी शिक्षा के प्रति बहुत गहरी आस्था है । वह वाकई में चाहते हैं कि शिक्षा में प्रगति हो, इस भावना का मैं हृदय से स्वागत करती हूं । मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं उनके संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकूंगी । उनकी जो शंकायें हैं, एक बात उन्होंने यह कहा कि जो राजकीय महाविद्यालय हैं, उनको हमने इसमें इन्क्लूड नहीं किया है । तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि राजकीय महाविद्यालयों के टीचर्स का चयन तो पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है और जब यह आयोग स्थापित हो जाता है और आप इससे सन्तुष्ट होंगे, मुझे पूरा यकीन है, तो उस पर भी विचार किया जायेगा । दूसरी बात उन्होंने माइनारिटी स्कूलों के बारे में कही, जो माइनारिटी स्कूल हैं, वह चयन स्वयं करेंगे, उसका अधिकार उनको है, लेकिन यह भी उसके साथ-साथ है कि जो वह चयन करेंगे, उनके टीचर्स का अनुमोदन, एप्रूवल जो आयोग है वह और वाइस चांसलर देंगे । इसी प्रकार उनको पद से हटाने के बारे में भी है नम्बर तीन उन्होंने यह बात कही कि इसको प्रवर समिति में दे दिया जाय । तो एक तरफ तो आप चाहते हैं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तुरन्त प्रभावी हो और दूसरी तरफ आपने यह प्रस्ताव रखा है । आप चाहते हैं कि अच्छा पनीर हो, दाल और सब्जी हो तो आप गृहणी को कुछ समय दीजिये बनान के लिये ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

इसके साथ-साथ रसगुल्ला भी हो, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी के यहां, सीतापुर में बड़ अच्छे बनते हैं ।

(हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि यह तुरन्त प्रभावी होगा और तुरन्त लागू किया जायेगा । उन्होंने धारा 8 का जिक्र किया है । उसमें मैं आपको शंका दूर करती हूं । यह अगर नहीं रखी जायेगी तो आयोग के गठन में, पहली बार यह चीज कायम करने जा रहे हैं, नयी-नयी चीज करने जा रहे हैं तो ऐसा न हो कि सरकार आयोग की कार्यवाही करे और वह अदालत के दरवाजे पर पहुंच जाय । तो इसको रोकने के लिए यह किया गया है । समय-समय पर जो परेशानियां होंगी, उनको दूर करने के लिए हमने इसमें 32 रखा है । इसमें ह "राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।" मान्यवर, तदर्थ नियुक्तियों की बात आयी तो वह हम स्वयं नहीं चाहती ह । इस झंझट को दूर करन के लिये आयोग स्थापित कर रहे हैं । 30-40 कालेजों को हमने अभी चलाया है । चूंकि कभी चयन नहीं हो पाता है, कभी अध्यापक नहीं मिलते हैं तो उस समय हम क्या करें । छात्रों को क्या गुल्ली-डंडा खेलने के लिये कहें । तो स्कूलों का इंतजाम करना पड़ता है । डेढ़ करोड़ बच्चों की मैं मां हूं और उनपर जातिवाद की आंच मैं नहीं आने दूंगी । इसी जातिवाद की रक्षा करने के लिये यह विधेयक लायी हूं । मैं आपसे मान्यवर, अपील करती हूं कि जातिवाद चाहे यहां फैलायें लेकिन हम डेढ़ करोड़ अपने बच्चों पर इस तरह से आंच नहीं आने देंगी । इन शब्दों के साथ मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त से कहूंगी कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 23 तक

परिभाषायें

2--इस अधिनियम में--

(क) किसी अध्यापक के सम्बन्ध में "नियुक्ति" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन कोई नियुक्ति नहीं है;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का संपादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(ग) "महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है, जिसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार दिया गया हो, और इसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित कोई महाविद्यालय भी है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा पोषित कोई महाविद्यालय नहीं है;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से है;

(ङ) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) से है और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संयुक्त शिक्षा निदेशक या उप-शिक्षा निदेशक भी है;

(च) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष भी है;

(छ) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित परन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में परिभाषित अन्य शब्दों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

अध्याय--दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

3--(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे, एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कहलायेगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा।

आयोग की संरचना

4--(1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम दो और अधिक से अधिक चार अन्य सदस्य होंगे।

(2) सदस्यों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार की राय में, सार्वजनिक जीवन में या न्यायिक या प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पद पर हो या रहा हो, और अन्य व्यक्तियों को अध्यापन का निम्नांकित अनुभव होगा, अर्थात्--

(क) किसी विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में, अथवा

(ख) कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में; अथवा

(ग) कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिये किसी महाविद्यालय के अध्यपक के रूप में।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक से उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

5--(1) प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह उन नियमों के अधीन जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाया जाय, उस रूप में बने रहने के लिए निरर्हित न हो जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति दो लगातार पदावधियों से अधिक के लिये आयोग का सदस्य नहीं होगा ।

(3) आयोग का कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय ।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे ।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, न तो आयोग का सदस्य नियुक्त किया जायगा और न इस रूप में बना रहेगा ।

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6--(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह,--

(क) दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय, या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से भिन्न किसी वैतनिक रोजगार में कार्य करे, या

(ग) राज्य सरकार के राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिये अनुपयुक्त हो ।

स्पष्टीकरण--जहां कोई सदस्य किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, सदस्य से भिन्न रूप में किसी प्रकार से सम्बद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में किसी प्रकार से भागीदार हो वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायगा ।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसे सदस्य को, जिसके सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही अनुध्यात हो, उसके पद से निलम्बित कर सकती है ।

सहयुक्त करने की शक्ति

7--आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये जो धारा 31 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायं, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह उस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहे ।

आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य न होंगी

8--आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि :--

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका सार पर कोई प्रभाव न पड़े ।

आयोग का कर्मचारि-वर्ग

9--(1) आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये प्रति नियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा, और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर अवधारित करें ।

(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी कर, आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिये आवश्यक समझे, और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें आयोग उचित समझे, नियुक्त कर सकता है ।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

10--आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव, या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

अध्याय--तीन

आयोग के कृत्य

शक्तियां और कर्त्तव्य

11--आयोग को निम्नलिखित शक्तियां और कर्त्तव्य होंग, अर्थात्--

(क) महाविद्यालयों में अध्यापकों के भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) ऐसे अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये जहां आवश्यक समझा जाय परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार लेना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति के लिए प्रबन्धतन्त्र को सिफारिश करना;

(ङ) महाविद्यालयों से अध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और उनमें अध्यापकों की नियुक्ति, पदच्युति, हटाये जाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के सम्बन्ध में नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं प्राप्त करना;

(च) विशेषज्ञों और परीक्षकों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना;

(छ) आयोग को सौंपी गई निधि का प्रबन्ध करना;

(ज) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जाय, या जो उपर्युक्त कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आनुषंगिक या साधक हों।

प्रबन्धतन्त्र केवल आयोग की सिफारिशों पर नियुक्तियां आदि करेगा।

12—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी किसी महाविद्यालय के अध्यापक के रूप में प्रत्येक नियुक्ति, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित दिनांक के पश्चात् प्रबन्धतन्त्र द्वारा केवल आयोग की सिफारिश पर की जायगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अध्यापक की नियुक्ति के प्रयोजन के लिये प्रबन्धतन्त्र रिक्ति की सूचना आयोग को देगा।

(3) किसी महाविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के चयन की रीति ऐसी होगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाय, परन्तु आयोग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकृष्ट करने की दृष्टि से उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों का राज्य में व्यापक प्रचार करेगा।

(4) इस धारा के उपबन्ध किसी ऐसे अध्यापक की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे जिससे सम्बन्धित रिक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31 की उपधारा (10) के अनुसार विज्ञापित कर दी गयी हो।

(5) इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में की गयी प्रत्येक नियुक्ति शून्य होगी।

आयोग की सिफारिश

13—(1) आयोग, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन रिक्ति को अधिसूचित करने के पश्चात् यथाशीघ्र, अभ्यर्थियों का (परीक्षा सहित या रहित) साक्षात्कार करेगा, और अध्यापक के प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिये तीन से अधिक अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करेगा। इन नामों को अधिमान क्रम में रखा जायगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे या जहां वे नियुक्ति के लिये अन्यथा

अनुपलब्ध हो, वहां आयोग, प्रबन्धतन्त्र के अनुरोध पर उक्त उपधारा के अधीन आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर उपयुक्त पाये गये दो तक और व्यक्तियों के नाम की सिफारिश कर सकता ह ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आयोग की प्रत्येक सिफारिश ऐसी सिफारिश के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी ।

नियुक्ति करने का कर्तव्य

14--(1) प्रबन्धतन्त्र, धारा 13 के अधीन आयोग को सिफारिश की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उस अभ्यर्थी को जिसका नाम अधिमान-क्रम में सबसे ऊपर हो, नियुक्ति-पत्र जारी करेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर, या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसके लिये प्रबन्धतन्त्र इस निमित्त अनुज्ञा दे, पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिय अन्यथा अनुपलब्ध हो, वहां प्रबन्धतन्त्र युक्तियुक्त अवधि के भीतर आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अगले अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा और यह प्रक्रिया तब तक दोहरायी जायगी जब तक कि इस प्रकार सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम निशेषित न हो जायं ।

निदेशक द्वारा जांच

15--(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 12 से 14 के अनुसार किसी महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति पाने का हकदार हो, किन्तु उसे इसके लिये उपबन्धित समय के भीतर प्रबन्धतन्त्र द्वारा इस प्रकार नियुक्त न किया जाय, तो वह निदेशक को उपधारा (2) के अधीन निदेश के लिये आवेदन कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर निदेशक जांच कर सकता है, और यदि उसका समाधान हो जाय कि प्रबन्धतन्त्र इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके आवेदक को अध्यापक के रूप में नियुक्त करने में विफल रहा है तो वह, आदेश द्वारा--

(क) प्रबन्धतन्त्र से आवेदक को अध्यापक के रूप में तुरन्त नियुक्त करने और आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उसे वेतन का भुगतान करने, और

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से उससे अध्यापक के रूप में कार्य लेने, की अपेक्षा कर सकता है ।

(3) ऐसे अध्यापक को देय वेतन की धनराशि, यदि कोई हो, निदेशक द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर, कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

तदथ अध्यापकों की नियुक्ति

16--(1) जहां प्रबन्धतन्त्र ने धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार आयोग को किसी रिक्ति की सूचना दी हो, और आयोग ऐसी सूचना के दिनांक से तीन मास के भीतर उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करने में

विफल रहता है, वहां प्रबन्धतन्त्र किसी अध्यापक पद के लिये विहित अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों में से किसी को पूर्णतया तदर्थ आधार पर अध्यापक नियुक्त कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी तदर्थ अध्यापक की नियुक्ति निम्नलिखित म से पूर्वतम दिनांक को समाप्त हो जायेगी, अर्थात्—

(क) जब आयोग द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी पद का कार्यभार ग्रहण कर ले;

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन आयोग की सिफारिश की प्राप्ति के दिनांक से दो मास की अवधि समाप्त हो जाय;

(ग) ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से ठीक पश्चात्वर्ती तीस जून ।

17—आयोग किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जैसी वह उचित समझे, और प्रबन्धतन्त्र उसका अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा । सूचना मांगने की शक्ति

18—प्रबन्धतन्त्र के कब्जे में विद्यमान प्रत्येक अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहुंच में होंगे और वह किसी युक्तियुक्त समय पर किसी परिसर में जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज होगा, प्रवेश कर सकता है और संगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उनकी प्रतिलिपियां ले सकता है । अभिलेख रजिस्टर आदि का निरीक्षण करने की शक्ति

अध्याय—चार

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

19—राज्य सरकार, विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात्, आयोग को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जैसी इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आवश्यक समझी जाय । आयोग को धनराशि संदत्त करन

20—(1) आयोग की अपनी निधि होगी और राज्य सरकार द्वारा उसे संदत्त समस्त धनराशि और आयोग की समस्त प्राप्तियां उस निधि में जमा की जायेंगी और आयोग द्वारा सभी भुगतान उसी निधि से किये जायेंगे । आयोग की निधि

(2) उस निधि का सभी धन ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति से विनिहित, किया जायगा जैसा आयोग, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए विनिश्चित करे ।

(3) आयोग ऐसी धनराशियां व्यय कर सकता है जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के लिये उचित समझे, और ऐसी धनराशियों को आयोग की निधि से देय व्यय माना जायगा ।

वार्षिक रिपोर्ट

21—आयोग, प्रतिवर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी, और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा ।

लेखा और लेखा परीक्षा

22—(1) आयोग अपने लेखे के सम्बन्ध में, ऐसी लेखा बहियां और अन्य बहियां ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, रख जायगा ।

(2) आयोग अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशीघ्र लेखा विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा और उसे नियंत्रक—महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखा परीक्षा के लिये महालेखाकार को ऐसे दिनांक तक अग्रसारित करेगा जैसा राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे ।

(3) आयोग का वार्षिक लेखा और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रसारित की जायगी और सरकार उसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों से समक्ष रखवायेगी ।

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

प्रत्यायोजन

23—आयोग धारा 3 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किये गये कार्य के सामान्य अधीक्षण और उसके सम्बन्ध में निदेश देने की अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है, जिसके अन्तर्गत कार्यालय के अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में किये गये व्यय से सम्बन्धित शक्ति भी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 के उपखंड (ग) की अन्तिम पंक्ति "परन्तु....नहीं है" को निकाल दिया जाये ।

मान्यवर, मैंने अपने भाषण में यह बल दिया था कि आयोग एक अच्छी चीज है लेकिन इसके क्षेत्राधिकार में राजकीय डिग्री कालेज को भी आना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने तर्क दिया था चूंकि डिग्री कालेज के लेक्चरार हैं, उनका सेलेक्शन गवर्नमेन्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है इसलिये वह इसमें नहीं लेते हैं । तो मान्यवर, मंत्री जी के कथन से मेरे तर्क को और भी पुष्टि हो जाती है कि एक ही तरह के कालेज में अध्यापकों को दो स्थानों से नियुक्ति का कारण क्या है कि एक शिक्षा आयोग से और पब्लिक सर्विस कमीशन से ।

मान्यवर, दूसरी बात आयोग का गठन करने जा रहे हैं और 3 महीने में नियुक्त हो जायेगी । क्या यह सही नहीं है कि 10—10 साल तक तदर्थ नियुक्ति

करते रहे हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन से बाद में एप्रूवल होता है। इसलिये नर्क यह होना चाहिये था कि यह आयोग गठित होने के बाद राजकीय कालेजों में नियुक्ति इसी आयोग के माध्यम से होंगी। समानता स्थापित करने के लिये यह मेरा संशोधन अनिवार्य है। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

स्वीकार करने की आवश्यकता कोई नजर नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 के उपखंड (ग) की अन्तिम पंक्ति "परन्तु.... नहीं है" को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 23 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 24 से 32 तक

24--इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, धर्म या अल्पसंख्यक भाषा पर आधारित किसी अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित किसी संस्थाओं को महाविद्यालय (जिसके प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार हो) को प्रबन्धतन्त्र आयोग के और सम्बन्धित विश्वविद्यालय के, केवल अनुमोदन के अधीन रहते हुये किसी अध्यापक को नियुक्त, पदच्युत, हटाने, उसकी सेवा समाप्त करने या उसे पंक्तिच्युत करने का हकदार होगा। छूट

25--कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों, या निदेशक द्वारा पारित आदेशों, का अनुपालन करने में विफल रहे, या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी अध्यापक की नियुक्ति करें, दोष सिद्ध होने पर ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा। अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये दंड

26--यदि कोई व्यक्ति--

(क) जानबूझ कर आयोग द्वारा विधिपूर्वक अपेक्षित कोई विवरणी या सूचना रोक रखता है या उसके लिये अनुज्ञेय समय के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहता है; सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहने या जानबूझ कर

(ख) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी या किसी उपलब्ध को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करने में जानबूझ कर बाधा पहुंचाता है; बाधा पहुचाने के लिये दंड

दोष सिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना से जो एक हजार रुपया तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा।

सोसाइटी द्वारा अपराध

27—(1) यदि धारा (25) या धारा (26) के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो तो सोसायटी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिय सोसाइटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दंड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस धारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस सोसाइटी के किसी सदस्य की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या ऐसा अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, वहां ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दंड दिया जा सकेगा ।

अभियोजन का वर्जन

28—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन राज्य सरकार की या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की जिसे निदेशक इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करे, पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायगा ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

29—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

30—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

विनियम बनाने की शक्ति

31—(1) आयोग, चयन के आयोजन, जहां आवश्यक हो परीक्षाओं के संचालन और साक्षात्कार के आयोजन के लिए, फीस विहित करने के लिए और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, विनियम बना सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या धारा 32 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे ।

नियम बनाने की शक्ति

32—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं खण्ड 24 का विरोध करता हू । मान्यवर, मेरा तर्क यह है कि इसमें कोई प्रबन्धतंत्र पर हस्तक्षेप नहीं है और न ही टेक ओवर का मामला है । अल्प संख्यक वर्ग के जो संस्थायें हैं उनके अध्यापकों की नियुक्तियों का भी रास्ता होना चाहिए । आप ने अन्य कालेजों को सुविधायें दी हैं उन्हीं के साथ इसको ले लें । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री अभी हाई कोर्ट की रूलिंग दिखा रहे थे । उससे इसमें कोई बंधन नहीं पड़ता । मैनेजमेंट में हस्तक्षेप का मामला नहीं है । मैं समझता हूं कि सब लोगों की भावना है, इसे स्वीकार कर लें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसको स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 24 से 32 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिये अध्यापकों के चयन के लिय सेवा आयोग स्थापित करने और उसके सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता ह :--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा संक्षिप्त नाम आयोग अधिनियम, 1980 कहा जायगा । और आरम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड 1 के उप खन्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाये--

"यह तुरन्त प्रभावी होगा ।"

मान्यवर, यह विधेयक जनता पार्टी की सरकार के समय बन गया था इस पर चर्चा की गई थी, कहीं इस आरोप का पक्षधर न बनना पड़े, आपने

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

एक अच्छे काम को निकाल दिया । इस शंका के निराकरण के लिए मैंने संशोधन रखा था कि इसमें लिख दिया जाय कि तुरन्त प्रभावी होगा । इसे स्वीकार कर ल ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, लागू नहीं करने का होता तो हम इसे पास ही क्यों कराते और माननीय, हमारी जो हां है वह हां ही है पोलिटिकल ना नहीं है । स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं, माननीय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खन्ड 1 के उप खन्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाय--

"यह तुरन्त प्रभावी होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खन्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में कुल आठ सूचनायें आई थी लेकिन उनमें से एक सूचना स्वीकार की गई । श्री गौरी शंकर भइया, श्री राम गोविन्द, श्रीमती गौरा देवी की दी हुई यह सूचना है जो दिनांक 15, 16 सितम्बर, 1980 को जिला बलिया में एक बस से एक छात्र के घायल होने के बाद छात्रों द्वारा शान्ति पूर्वक प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है ।

बाकी सभी सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं ।

अब हम उठते हैं और 29 सितम्बर, 1980 को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 10 मिनट पर सोमवार, 29 सितम्बर, 1980 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

26 सितम्बर, 1980 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1177 पर)

संलग्नक

निगम की इकाइयां, सहायक इकाइयां व प्रशासित चीनी मिल का पेराई सत्र 1979–80 में मिल वार गन्ने की पेराई एवं शक्कर उत्पादन का विवरण—

क्रम सं0	मिल का नाम	पेरे हुये गन्ने की मात्रा (लाख कु० में)	चीनी का उत्पादन (कु० में)
	इकाइयां—		
1	मोहीउद्दीनपुर	4.02	39,510
2	अमरोहा	17.13	1,75,905
3	बिजनौर	5.63	53,212
4	रामपुर	9.45	95,580
5	बाराबंकी	4.06	37,739
6	भटनी	4.65	43,350
7	खड्डा	8.43	80,000
8	पिपराइच	8.74	82,232
9	बुढ़वल	4.94	46,029
10	जरवलरोड	5.64	52,492
11	रामकोला (खेतान)	6.88	64,333
12	लक्ष्मीगंज	10.04	91,116
13	सलोनीटांसा (वर्ष 1979–80) में इस मिल ने उत्पादन कार्य नहीं किया।		
	सहायक इकाइयां—		
1	किच्छा	21.90	2,21,960
2	चांदपुर	8.63	87,035
3	छाता	7.36	77,343
4	नंदगंज	1.09	8,049
5	रायबरेली	1.95	18,834
	प्रशासित चीनी मिल—		
1	डोईवाला	11.56	1,11,713

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ...पर)

संलग्नक–1

सूची न्याय पंचायत, जिनमें ग्रामीण गोदामों का निर्माण हो चुका है अथवा निर्माणाधीन है :

क्रम–सं०	विकास खण्ड	नाम न्याय पंचायत स्तरीय साधन सहकारी समिति	
1	मियागंज	मुस्तफाबाद	
2	,,	परेन्दा	
3	,,	कोरारी कला	
4	,,	रसूलाबाद	
5	नवाबगंज	बगहरी	निर्माण पूर्ण हो गया है ।
6	,,	चमरौली	
7	,,	मिर्जापुर	
8	हसनगंज	मोहनपूर्वी	
9	,,	धँरा कुइयां मदारपुर	
10	औरास	औरास	
11	,,	सीमऊ	
12	,,	दिपवल	
13	,,	रामपुर गढ़ौवा	
14	,,	झबरा	
15	,,	परसहरा	
1	मियांगंज	पाठकपुर	1980–81 में पूर्ण होना सम्भावित ।
2	,,	कुलहा अटौरा	
3	,,	ताजपुर	
4	,,	आसीवन लोकमन	
5	नवाबगंज	सरायजोगा	निर्माणाधीन ।
6	हसनगंज	तेगपुर चक्कुसहरी	
7	,,	मिर्जापुर उर्फ भगवन्त खेड़ा	
8	औरास	मवई	
9	हसनगंज	सन्दाना	निर्माण कार्य भूमि चयन सम्बन्धी विवाद के कारण अवरुद्ध है ।

संलग्नक—2

सूची न्याय पंचायत समिति जहां ग्रामीण गोदाम निर्माण होना बाकी है—

क्रम सं0	विकास खण्ड	नाम न्याय पंचायत स्तरीय साधन सहकारी समिति	
1	हसनगंज	कुरौली	वर्ष 1980–81 में पूर्ण
2	औरास	शाहपुरतोदा	होना सम्भावित ।
3	,,	टिकरासामव	
4	मियांगंज	तियर	वर्ष 1981–82 में पूर्ण
5	,,	हैदराबाद	होना सम्भावित ।
6	नवाबगंज	सोहरा ाऊ	
7	,,	कुसुम्भी	
8	,,	गौरी कठेरवा	
9	,,	नवाबगंज	
10	हसनगंज	नबीनगर खोरवा	
11	,,	खानपुर कुरौली	
12	नवाबगंज	इतवारपुर	वर्ष 1982–83 में पूर्ण
13	,,	बालहेमऊ शेखउर	होना सम्भावित ।
14	,,	बिरसिंहपुर	
15	हसनगंज	मोहनी खेड़ा	
16	,,	लखावापुर	
17	,,	समदपुर हरदास	
18	औरास	बछौली	

पी0 एस0 यू0 पी0—49 वि0 सभा—1980—30—पी0 डी0 ।